स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री

Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल-16

स्वयंसेवी संगठनों का गठन एवं प्रबंधन

Formation & Management of Voluntary Organizations

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व)

Bachelor of Social Work (Community Leadership)

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

मॉड्यूल–16 : स्वयंसेवी संगठनों का गठन और प्रबंधन
(Formation & Management of Voluntary Organizations)

अवधारणा एवं रूपरेखा : **संस्करण 2017**

बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

अशोक शाह, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा एवं मार्गदर्शनः

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्शः

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति

जयश्री कियावत, आई.ए.एस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण

उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन–अभियान परिषद

लेखक मण्डलः

डॉ. अरूण गोपाल

डॉ. देवेन्द्र पाण्डेय

डॉ. प्रवीण शर्मा

संपादक मण्डल :

डॉ अमरजीत सिंह

डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास

मुद्रक एवं प्रकाशक :

ग्रामोदय प्रकाशन के लिए कुलसचिव

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

ई–मेल– cmcldpcourse@gmail.com, मोबाइल– 9424356841

श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.

ई–मेल– rkmishraguna@gmail.com, मोबाइल– 9425171972

कॉपीराइटः © – महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

आभारः– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। पाठ्यक्रम के परामर्शदाताओं का अनुभव और सुझाव भी इसमें शामिल है। सभी के प्रति आभार।

मॉड्यूल–16 : स्वयंसेवी संगठनों का गठन और प्रबंधन
(Formation & Management of Voluntary Organizations)

16.1 स्वैच्छिक संगठनों की अवधारणा एवं पृष्ठभूमि **5–32**

16.1.1 स्वैच्छिकता के सिद्धांत तथा स्वैच्छिक संगठनों की अवधारणा एवं परिभाषायें

16.1.2 स्वैच्छिक संगठनों की विशेषताऐं चुनौतियाँ एवं क्षमताएं,

16.1.3 देश में स्वैच्छिकता एवं स्वैच्छिक संगठनों के विकास का इतिहास

16.1.4 विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

16.1.5 शासन एवं स्वैच्छिक संगठनों की विकास में साझेदारी

16.1.6 स्वैच्छिक संगठनों के प्रकार एवं स्वैच्छिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली

16.1.7 भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में स्वैच्छिक संगठनों का स्थान

16.1.8 मध्यप्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों के विकास के लिए शासन द्वारा उठाये गये महत्त्वपूर्ण कदम : म.प्र. जन अभियान परिषद्

16.2 स्वैच्छिक संगठनों का पंजीयन **33–60**

16.2.1 सोसाइटी अधिनियम एवं नियम सम्बंधित, पंजीयन, गठन –

16.2.2 ट्रस्ट अधिनियम एवं नियम सम्बंधित पंजीयन, गठन –

16.2.3 कम्पनी अधिनियम एवं नियम सम्बंधित पंजीयन, गठन –

16.2.4 सहकारी संस्था अधिनियम एवं नियम सम्बंधित पंजीयन, गठन –

16.3 स्वैच्छिक संगठनों के संचालन हेतु नीति एवं अधिनियम **61–94**

16.3.1 स्वैच्छिक क्षेत्रक हेतु राष्ट्रीय नीति एवं मध्य प्रदेश की प्रादेशिक नीति

16.3.2 स्वैच्छिक संगठनों पर लागू होने वाली आयकर अधिनियम की धाराएं

16.3.3 विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 1976, (एफसीआरए) / 2010

16.3.4 निगमीय सामाजिक दायित्व की अवधारणा एवं अधिनियम

16.4 स्वैच्छिक संगठनों का संचालन एवं प्रबंधन **95–133**

16.4.1 वित्तीय प्रबंधन खाता संचालन – दस्तावेज संधारण, प्रलेखन, बजट व लेखा, वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक अंकेक्षण

16.4.2 शासनी निकाय, कार्यकारणी समिति तथा कार्मिक प्रबंधन

16.4.3 कार्य प्रबंधन वार्षिक कार्य योजना का निर्माण, संसाधनों का समुचित उपयोग, हितग्राहियों की सहभागिता, सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

16.4.4 संगठनात्मक व्यवहार, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता

16.4.5 वित्त की व्यवस्था विभाग / पेंशनदाता संस्था– कोष की स्थापना एवं सामाजिक सहयोग

16.4.6 स्वैच्छिक संगठनों के लिये नेतृत्व कौशल

16.5 परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन **134–160**

16.5.1 परियोजना प्रस्ताव निर्माण, तर्कसंगत ढांचागत विश्लेषण

16.5.2 परियोजना क्रियान्वयन

16.5.3 परियोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सामाजिक – तकनीकि और वित्तीय परिशिष्ट

16.5.4 सामाजिक संगठनों एवं समाजसेवियों द्वारा किये गये अनुकरणीय कार्य

16.5.5 स्वैच्छिक संगठनों के पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रस्तावना

किसी भी ग्राम अथवा नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग हैं। विकास की समस्याओं का हल समाज द्वारा ही संभव हैं। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक संभव नही हो पायेगा जब तक कि उसमें स्थानीय जन भागीदारी सुनिश्चित न हो। स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं के पास है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका भी आंकलन वहां के लोग ही कर सकते हैं।

प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वैच्छिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिये कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे लोगों को जागरूक, क्षमता सम्पन्न एवं सशक्त कर दिया जाए तो वे अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित तरीके से समाज की सहभागिता से समाज के विकास के लिये कार्य कर सकेंगे। ऐसे ही स्वप्रेरणा से प्रयासरत लोगों को शिक्षित कर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश शासन के सहयोग से समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पाठ्यक्रम का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में सर्टिफिकेट, दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में डिप्लोमा तथा तीन साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समाज कार्य (सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता) में डिग्री दी जायेगी। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओत–प्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हों, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें।

यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हो और सबके विकास में सहयोगी हो।

पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष का यह दूसरा मॉड्यूल है। तीसरे वर्ष के मॉड्यूल इस मान्यता पर आधारित है कि प्रथम दो वर्षों में अर्जित सैद्धान्तिक ज्ञान को कैसे प्रभावी रूप में कार्यरूप में परिणित किया जाए। समाज के स्तरोन्नयन के लिए और विषमता, विसंगतियों के समापन के लिए सरकारें प्रयासरत रहती हैं। किन्तु वृहत समाज की बड़ी अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए इतने प्रयास पूर्ण नहीं होते। वर्तमान में अनेक सामाजार्थिक लक्ष्यों को लेकर स्वयं सेवी/गैर–सरकारी/स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं। आप भी अपने क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस तरह के संगठन बना सकते हैं। प्रारम्भ में जरूरत होगी इस तरह के संगठनों को बनाने और चलाने के लिए आवश्यक जानकारी की। हमने इस मॉड्यूल में किसी स्वयंसेवी संगठन के गठन, पंजीयन एवं संचालन के समस्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों को संकलित कर प्रस्तुत किया है। विश्वास है कि यह जानकारी आपको अपने स्तर पर इस तरह के संगठन और संचालन के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी।

■■■

16.1 : स्वैच्छिक संगठनों की अवधारणा एवं पृष्ठभूमि
(Background and Concept of Voluntary Organizations)

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि :–

- स्वैच्छिकता के सिद्धान्त तथा स्वैच्छिक संगठनों की अवधारणा एवं परिभाषाएं क्या हैं?
- स्वैच्छिक संगठनों की विशेषताएं, क्षमता एवं चुनौतियाँ क्या हैं?
- देश में स्वैच्छिकता एवं स्वैच्छिक संगठनों का विकास कैसे हुआ?
- विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका क्या है?
- शासन एवं स्वैच्छिक संगठनों की विकास में साझेदारी से क्या उपलब्धियाँ हो सकती हैं?
- स्वैच्छिक संगठनों के प्रकार कौन–कौन से हैं?

16.1.1 विषय प्रवेश

मानव सभ्यता के साथ–साथ संगठनों की शुरुआत हुई। देश में आजादी पूर्व रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी जैसे समाजसेवी द्वारा विभिन्न संगठनों के माध्यम से स्वैच्छिक कार्य प्रारंभ किये। कालान्तर में आजादी मिलने के साथ सरकार ने भी स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देते हुए स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शुरू किया। इस इकाई के माध्यम से हम स्वैच्छिकता, स्वैच्छिक संगठन, देश में स्वैच्छिक संगठनों की स्थिति, उनकी भूमिका एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करेंगे।

16.1.2 स्वैच्छिक संगठन

स्वैच्छिकसंगठन से तात्पर्य लोगों के एक ऐसे समूह से है जो संगठित हो, गैर–सरकारी हो, औपचारिक हो एवं स्व–चलित हो अर्थात् संगठन के सदस्य इसे संचालित करने के लिए नियम व नीतियाँ बनाते हों। ऐसे संगठन

समुदाय में कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्य करते हैं। ये अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करके स्व–प्रेरणा से समुदाय में सकारात्मक बदलाव के लिए कार्य करते हैं। ऐसे संगठनों के अपने आदर्श एवं मूल्य होते हैं तथा ये सकारात्मक बदलाव से होने वाले लाभ को समुदाय के बीच बाँटते हैं।

भारत में गैर–सरकारी संगठनों को स्वैच्छिक संगठन, अलाभकारी संगठन, परोपकारी संगठन, परमार्थ संगठन, नगर समाज संगठन के नाम से जाना जाता है। गैर–सरकारी संगठनों का पंजीकरण विभिन्न अधिनियम यथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8, रिलिजियस इण्डोमेंट एक्ट 1863, चैरिटेबुल एण्ड रिलिजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, मुसलमान वक्फ एक्ट 1973, वक्फ एक्ट 1954, पब्लिक वक्फ एक्ट 1959 के अंतर्गत किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने अपने 52वें अधिवेशन में वर्ष 2001 को अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष घोषित किया।

गैर–सरकारी संगठन वे सभी संगठन हैं जो सीधे सरकारी विभाग या उसकी कोई इकाई नहीं है (वेस्ग्राड, 1997) । गैर–सरकारी संगठनों को स्वैच्छिक संगठन, नागरिक समाज संगठन, स्वयंसेवी संगठन के नाम से भी जाना जाता है।

विश्व बैंक के अनुसार "ऐसे सभी समूह एवं संस्थायें पूर्णतः स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्यों, कार्यक्रमों एवं वित्त का संचालन स्वयं करते हैं एवं जिनका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना न होकर सामुदायिक परोपकार होता है गैर–सरकारी संगठन कहलाता है। इसके अन्तर्गत वे सभी परोपकारी एवं धार्मिक संस्थायें भी आती है जो निजी पूंजी के द्वारा विकास के लिये अपनी सेवायें प्रदान कर सामुदायिक संगठन को प्रोत्साहित करती है।"

सामान्यतः गैर–सरकारी संगठनों का अर्थ निम्न रूप से रेखांकित किया जा सकता है :–

- अलाभकारी, स्वयंसेवी प्रदाता, विकासोन्मुखी संगठन जो अपने सदस्यों या कार्यक्षेत्र की जनता के लिये स्वयंसेवी स्वरूप में सेवा प्रदाता का कार्य अलाभकारी दृष्टिकोण से करता है गैर–सरकारी संगठन कहलाता है।
- यह कुछ लोगों का ऐसा संगठन है जो मूलभूत सामाजिक सिद्धान्तों पर विश्वास करता और समुदाय के विकास के लिये गतिविधियों का निर्धारण कर उसे क्रियान्वित कर सेवा प्रदान करता है।
- लोगों का ऐसा संगठित समूह जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वतंत्रापूर्वक अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करता है, ताकि निर्दिष्ट क्षेत्र के जनसमूह में वांछित परिवर्तन सुनिश्चित हो सके, गैर–सरकारी संगठन कहलाता है।

- लोगों का ऐसा स्वतंत्र, प्रजातांत्रिक समूह जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को मजबूती प्रदान करने के लिये कार्य करता है, गैर–सरकारी संगठन कहलाता है।
- ऐसे संगठन जो राजनैतिक दलों से संबद्धता न रखते हुए समुदाय के विकास, कल्याण एवं सेवा का कार्य करते हैं, गैर–सरकारी संगठन कहलाते है।
- सामान्य जन समुदाय को बिना किसी स्वार्थ/लाभ के सेवायें प्रदान करने वाले प्रजातांत्रिक व अपेक्षाकृत सरल समूह को गैर–सरकारी संगठन कहते हैं।
- ऐसी संस्था जो समुदाय और व्यक्तियों के बीच बदलाव की पहल और विशिष्ट मुद्दों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के जरिये कार्य करती है स्वयंसेवी संस्था या गैरसरकारी संस्था कहलाती है।

16.1.3 संगठनों की विशेषताएँ :

विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में संस्थाएं प्रभावी भूमिका निभा सकती है। स्वयंसेवी संस्थाओं को ग्रामीण विकास के लिए उत्प्रेरक अभिकर्ता माना जाता है, क्योंकि ये गरीबी उन्मूलन में विविध भूमिकाएं अदा कर सकते हैं :

- लाभ न मिल पाने वाले समूहों को सामाजिक न्याय दिला सकते हैं। उनमें अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं में प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं।
- सरकारी लोगों की अपेक्षा ये संगठन लोगों से अधिक नजदीकी सम्बन्ध स्थापित कर पाते हैं, क्योंकि ये संगठन नियमों/उपनियमों और पद्धतियों से बंधे हुए नहीं होते हैं।
- ग्रामीण गरीबों को विकास प्रक्रिया में भागीदारी के लिये संगठित कर सकते हैं।
- प्रत्येक योजना, उसके उद्देश्य, अपेक्षित लाभ, कार्य प्रणाली, आदि के बारे में बेहतर ढंग से समझा सकते हैं।
- गलत धन प्रवाह को रोकने एवं भ्रष्टाचार निवारण में सहायक हो सकते हैं।
- लोगों का परम्परागत कौशल बढ़ाने तथा उनमें प्रबन्धकीय विशेषज्ञता विकसित करने में सहायक हो सकते हैं।
- राजकीय अधिकारी तथा वर्ग के साथ बैठकर अनेक समस्याओं को बातचीत द्वारा सुलझाने में संगठन कारगर भूमिका निभाते हैं।
- यह संगठन स्थानीय वित्तीय संसाधन इकट्ठा करके लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

योजनाओं में कुछ लाभार्थी, उपभोक्ता, बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण का दुरुपयोग करते हैं। स्वैच्छिक संगठन ऐसे लाभार्थियों को ऋण का प्रभावी और उत्तम उपयोग करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं। ये संगठन सत्त प्रयास, वृद्धि, चातुर्य और नवीन कार्य करके ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। ग्रामीण समुदायों को अपने ही विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये, प्रोत्साहित, जागरूक एवं समर्थ बना सकते हैं। (देषपुरा 2011)

स्वैच्छिक संगठन भारत में अनेक प्रकार की गतिविधियां चलाते हैं, जिससे लोगों को लाभ होता है, क्योंकि मूल रूप से वे बिना किसी व्यावसायिक हित अथवा लाभ के काम करते हैं। इन संगठनों का उद्देश्य निर्धनता अथवा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कष्ट सह रहे लोगों की सेवा करना है। हालांकि स्वैच्छिक संगठनों पर प्रायः सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है, परन्तु वे इनका प्रतिकार सामाजिक समस्याओं का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन कर उनका समाधान ढूंढने की कोशिशों से करते रहे हैं। चूंकि भारत में स्वैच्छिक संगठन इकट्ठा की गई राशि से ही काम करते हैं, वे बहुत सोच–समझकर अपनी योजना तैयार करते हैं ताकि उनका किफ़ायती कार्य हो जाए।

स्वैच्छिक संगठनों के अनेक लाभ हैं। भारत एक विशाल देश है और इसकी जनसंख्या भी काफी अधिक है। ऐसे में सरकार के लिए सभी गतिविधियों की देखभाल करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः देश को सभी शेष गतिविधियों की देखभाल के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की आवश्यकता है।

लोगों के जीवनस्तर में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय स्वैच्छिक संगठन विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इससे लोगों की जीवनशैली में सुधार में निश्चित ही मदद मिलेगी। स्थानीय स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र के विकास में बेहतर मदद कर सकते हैं क्योंकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन ला सकते हैं और इस प्रकार विकास की एकीकृत परियोजनाएं अपना सकते हैं। लोगों के साथ सीधा संपर्क होने के कारण वे स्थानीय ग़रीबों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अच्छी मदद कर सकते हैं। वे बिना किसी झंझट के विशेषज्ञों और अनुप्रेरित कर्मचारियों को सरकार की अपेक्षा आसानी से काम पर रख सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में स्वैच्छिक संगठनों के सक्रिय हस्तक्षेप से नेतृत्व का गुण भी विकसित होता है। स्वैच्छिक संगठन शिक्षा और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां चलाते हैं। इस देश में स्वैच्छिक संगठन वास्तव में आशा की एक किरण के रूप में उभरे हैं।

16.1.4 गैर–सरकारी संगठनों की क्षमता

गैर–सरकारी संगठनों ने देश में कई रूप में कल्याण और विकास का कार्य किया है चाहे शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य, कृषि या अन्य क्षेत्र। दसवीं पंचवर्षीय योजना की स्टीयरिंग समिति ने

गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर लिखा – "सामाजिक मोबिलाइजेशन और समुदाय के द्वारा शुरू किये गये कार्य का विकास बिना स्वैच्छिक संगठनों के सक्रिय सहयोग के नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह देखने में आ रहा है कि स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है जिससे वे राज्य और बाजार संस्थाओं के बीच सामंजस्य बनाने का कार्य कर सकें। स्वैच्छिक संगठनों, निजी संस्थाओं एवं पंचायतीराज संस्थाओं के बीच ज्यादा साझेदारी की आवश्यकता है। गैर–सरकारी संगठनों के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों के दिशा–निर्देश एवं विधि को और सरलीकृत किया जाय जिससे अच्छे संगठन ज्यादा योगदान दे सकें।"

भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग गैर–सरकारी संगठनों में जाते रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रामकृष्ण मिशन में गये। देश के कई उद्योग घरानों एंव कम्पनियों ने गैर–सरकारी संगठनों के साथ कल्याण और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग लिया है।

देश में स्वैच्छिक संगठन अपनी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण, शिक्षा, सामाजिक सुधार, महिला एंव बाल कल्याण, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, आजीविका, संवर्धन, स्वच्छता, साक्षरता इत्यादि कार्यों में संलग्न है तथा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं।

16.1.5 स्वैच्छिक संगठनों की चुनौतियाँ

वैश्वीकरण एवं निजीकरण के इस युग में एक तरफ जहाँ स्वैच्छिक संगठनों के लिए अपार अवसर हैं तो दूसरी ओर इनके लिए गम्भीर चुनौतियाँ भी हैं।

पिछले पाँच वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों विशेषकर ग्रीन पीस और फोर्ड फाउण्डेशन को कड़े पहरे में रखा गया। भारतीय स्वैच्छिक संगठनों को विदेशी अनुदान का वार्षिक प्रतिवेदन न प्रस्तुत करने पर उनके पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया।

यद्यपि सी.एस.आर. नियम 2014 के क्रियान्वयन से स्वैच्छिक संगठनों के लिए साझेदारी का नया अवसर प्राप्त हुआ है किन्तु बहुत सी कम्पनियों द्वारा अपने ट्रस्ट, सोसाइटी या फाउण्डेशन बताने से उनके सामने वित्तीय सहायता प्राप्त करने की चुनौती भी आ गयी है।

स्वैच्छिक क्षेत्र की राष्ट्रीय नीति 2007 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि अधिक दक्ष नहीं हैं और उनको प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। वास्तव में अधिकांश स्वैच्छिक संगठन के

प्रतिनिधि व्यावसायिक दक्षता एवु निपुणता में कमजोर होते हैं। दूसरी ओर उनके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं आयोजित किये जाते हैं।

स्वैच्छिक संगठनों के समक्ष चुनौतियाँ भी कुछ कम नहीं हैं। बढ़ती संख्या और विस्तृत होते कार्यक्षेत्र के बीच मूल्यहीनता एवं दिशाहीनता के आधार पर संस्थाओं की आलोचना बढ़ती जा रही है।

16.1.6 देश में स्वैच्छिकता :

भारत के आजादी पाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ज़मीन से जुड़े अनेक संगठनों के प्रेरणा स्रोत बन गए। तब उन्हें गाँधीवादी संगठन कहा जाता था। आजादी मिलने के बाद महात्मा गाँधी ने आह्वान किया कि हमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मिली है और भूख, ग़रीबी एवं वंचना से आज़ादी पाना अभी बाक़ी है। इसीलिए उन्होंने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को जो राजनीतिक साधनों के जरिये उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते थे, सलाह दी कि वे चुनावी राजनीति में चले जाएं और अन्य लोगों को सामाजिक सेवा में शामिल होने की सलाह दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने देश के दूर–दराज के इलाक़ों तक इन बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा काम शुरू किया। इसके अंतर्गत विनाशकारी अकाल और देश विभाजन की त्रासदी से राहत दिलाने के प्रयास किए जाते थे। यह एक जटिल काम था और इसके लिए जरूरी वित्तीय और मानवीय संसाधनों तथा राजकीय सहायता का अभाव था।

समय की आवश्यकता को देखते हुए स्वैच्छिक संगठनों ने देश के दुर्गम इलाक़ों तक फैलकर अपना कामकाज ही नहीं किया, बल्कि नये–नये तरीक़े भी निकाले जिनके जरिये वे वंचित और ग़रीब लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा पाते थे। इनमें से अनेक सरकार के संसाधनों को आगे बढ़ाने वाले साधन बन गए। जैसे–जैसे स्थिति बदलती गई, इन स्वैच्छिक संगठनों की प्रकृति, स्वरूप और कार्य भी बदलते गए। अगर हम आज की स्थिति का विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि स्वैच्छिक संगठनों के सामने नये अवसर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी और गंभीर चुनौतियां भी मौजूद हैं।

16.1.7 भारत में स्वैच्छिक कार्य का विकास क्रम

तमाम विषमताओं के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का देश है। गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण जैसी सामाजिक–आर्थिक समस्याएं अभी भी प्रायः सभी क्षेत्रों में विद्यमान हैं। इन समस्याओं के समाधान में गैर–सरकारी संगठन वर्षों से सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। गैर–सरकारी संगठन क्षेत्र सामाजिक उन्नयन और आर्थिक विकास में योगदान देने वाली शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत में लगभग 33 लाख पंजीकृत

गैर–सरकारी संगठन हैं (योजना, नवम्बर, 2011)। वे सहभागी लोक–तंत्र के क्रियान्वयन और उसको ठोस रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी भूमिका समाज में उनकी रचनात्मक और उत्तरदायी भूमिका पर निर्भर है। वे दूर–दराज के क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर जन साधारण के लिए कार्य करते हैं तथा उनकी पहुंच व्यापक होती है।

यदि हम भारत के लिखित इतिहास पर ध्यान दें तो पायेंगे कि मानव जीवन को गरिमा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य और जनता के अनौपचारिक समूहों में हमेशा बँटी रही। मंदिर एवं अन्य धर्म स्थल हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के काम में राज्य संगठनों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। स्वैच्छिक संगठनों का सुसंगठित रूप तब अस्तित्व में आया जब 1860 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया।

स्वैच्छिक संगठनों का उदय मानव सभ्यता के विकसित होने के साथ–साथ हुआ। भोजन के इकट्ठा करने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूरी करने हेतु मानव समूह या संगठन विकसित हुए। जैसे–जैसे यह समूह भोजन, आवास इत्यादि के लिए घूमता वैसे–वैसे इनमें अपनी रुचि के लोग एक होते गये। तब आदिम समूह एक जगह स्थिर हुए तो समाज का निर्माण हुआ। सामाजिक सम्बद्धता इन समूहों का प्रमुख आधार थी। राजनैतिक अर्थव्यवस्था ने स्व–समूहों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। धीरे–धीरे अपने वर्ग के लोगों तथा राज्य की सीमा के प्रति लोग ज्यादा सतर्क हुए। इस समय मानव सेवा आर्थिक गतिविधि तथा सामाजिक सुरक्षा के ज्यादा समीप थी।

जैसे–जैसे आर्थिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ने लगा मानव सेवा राज्य के प्रति उत्तरदायी होने लगी। संसाधन की प्रतिस्पर्धा में सभी के प्रति सभी का युद्ध शुरू हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ताकतवर का आकार बढ़ा जबकि कमजोर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगे। चाणक्य के 'अर्थशास्त्र' में राज्य के कल्याणकारी होने के प्रमाण मिलते हैं। चाणक्य ने राजा के अपनी जनता के प्रति किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों का विस्तृत वर्णन किया। हिन्दू धर्म के विभिन्न वेद, वेदांग, श्रुति, महाभारत, रामायण इत्यादि में राज्य के कल्याणकारी कार्य का उल्लेख मिलता है। बौद्ध एवं जैन धर्म में भी मानव सेवा तथा कमजोर एवं कष्ट में रह रहे लोगों की सेवा के प्रति नैतिक दायित्व का वर्णन मिलता है। धर्म के सेवा का माध्यम इसी काल में बताया गया।अशोक के समय वृक्षारोपण, कुएँ, बावली का निर्माण जन–सहयोग से किया गया।

स्वैच्छिक कार्य की आधारश्िला आजादी पूर्व रखी गयी जो प्रमुखतः समाज सुधार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित थी। इसाई मिशनरियों ने अस्पताल, विद्यालय और कल्याणकारी संस्थाएँ बनायीं। आजादी–पूर्व पूरे देश में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रयोग किये गये।

16.1.8 देश में स्वैच्छिक संगठनों के विकास का इतिहास :

महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ग्रामीण पुनर्रचना का कार्य 1908 में सिलाईदहा में तथा 1921 में श्रीनिकेतन में प्रारम्भ किया। स्पेंसर हैच ने निर्धन विकास परियोजना की शुरुआत वाई.एम.सी.ए. के तत्वावधान में मार्तण्डम के आस–पास की। महात्मा गाँधी ने सामाजिक–आर्थिक जीवन में बदलाव के लिए अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 1931 में वर्धा से की। जुगतराम दुबे ने ग्रामीण पुनर्रचना का कार्य स्वराज्य आश्रम वेडची में 1922 से शुरु किया।

अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों का इतिहास 1839 से प्रारंभ होता है। अनुमान है कि 1914 तक विश्वभर में 1,083 स्वैच्छिक संगठन थे जो दासता, महिलाओं के मताधिकार, निरस्त्रीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे थे। परंतु 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) के अस्तित्व में आने के बाद विश्वभर में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में बाढ़–सी आ गई। स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में हुई वृद्धि के प्रमुख कारण हैं– आर्थिक मंदी, शीतयुद्ध की समाप्ति, निज़ीकरण, बढ़ती मांग आदि। बीसवीं सदी में वैश्वीकरण के प्रादुर्भाव के कारण भी गैर–सरकारी संगठनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

भारत में दान और सेवा की धारणा पर आधारित नगर समाज (सिविल सोसाइटी) का लंबा इतिहास रहा है। मध्यकालीन युग में ही सांस्कृतिक संवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने वाले अनेक स्वयंसेवी संगठन सक्रिय थे। उन्नीसवीं शदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार भारत के कोने–कोने में जा पहुंचा और सामाजिक–राजनीतिक आंदोलनों में स्वयंसेवा के माध्यम से अपने को स्थापित करने का रास्ता अपनाया। इस प्रकार के प्रयासों के कुछ प्रमुख प्रारंभिक उदाहरण हैं–फ्रेंड इन नीड सोसाइटी (1858), प्रार्थना समाज (1864), सत्यशोधन समाज (1873), आर्य समाज (1875), नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इंडिया (1875), दि इंडियन नेशनल कांफ्रेंस (1887) आदि। स्वैच्छिक संगठनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें वैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए 1860 में समिति पंजीकरण विधेयक को अनुमोदित किया गया।

1980 के दशक में, स्वैच्छिक संगठनों के स्वरूप में काफी विशिष्टता आने लगी और स्वैच्छिक सेवा का आंदोलन तीन प्रमुख समूहों में विभाजित हो गया।

पहले समूह में वे पारंपरिक विकासमूलक स्वैच्छिक संगठन आते हैं जो किसी एक गांव या गांवों के समूह को जाकर साक्षरता कार्यक्रम चलाते हैं, किसानों को फ़सलों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करते हैं, पशुधन की उन प्रजातियों को पालने के लिए ग्रामीणों को तैयार करते हैं जो अधिक लाभ दे सकते हैं, बुनकरों और अन्य ग्रामीण शिल्पकारों को अपना उत्पाद बाज़ार में बेचने के लिए ले जाने को प्रेरित करने जैसे अन्य कार्य करते हैं। वास्तव में

यदि देखा जाए तो ये संगठन अपने चुनिंदा क्षेत्रों में उसी समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। मध्य भारत में बाबा आमटे द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए शुरू किया गया संगठन इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों का उत्तम उदाहरण है।

स्वैच्छिक संगठनों का दूसरा समूह उन संगठनों को कहा जा सकता है। जिन्होंने किसी विषय विशेष में गहन अनुसंधान किया और फिर सरकार पर प्रभाव डालकर अथवा न्यायालयों में याचिका दायर कर लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम किया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों का उत्तम उदाहरण है।

तीसरा समूह उन स्वयंसेवकों का है जो अपने–आप को अन्य स्वैच्छिक संगठनों की अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। स्पष्ट है कि इस वर्ग के स्वैच्छिक संगठन कुछ सीमा तक आंदोलन जैसी गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं।

भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है जहां गैर–सरकारी और लाभ के लिए काम नहीं करने वाले सक्रिय संगठनों की संख्या सबसे अधिक है। पिछले दशक में भारत में नये स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1970 तक देश में केवल 1.44 लाख समितियां पंजीकृत थीं। पंजीकरण की संख्या में अधिकतम वृद्धि वर्ष 2000 के बाद हुई। सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में 2009 के अंत तक लगभग 30 लाख 30 हज़ार स्वैच्छिक संगठन थे। इसका अर्थ हुआ कि औसतन लगभग 400 भारतीयों के पीछे एक स्वैच्छिक संगठन। यह विशाल संख्या भी वास्तविकता में, देश में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों की संख्या से कम ही होगी। ऐसा इसलिए कि 2008 में कराए गए अध्ययन में केवल उन संगठनों की गिनती की गई थी जो 1860 के सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन कानून अथवा मुंबई सार्वजनिक ट्रस्ट या अन्य राज्यों में उसके समकक्ष कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत थे।

सबसे अधिक सरकारी संगठन महाराष्ट्र में पंजीकृत हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। भारत में राज्यवार स्वैच्छिक संगठनों की संख्या निम्नानुसार हैः–

महाराष्ट्र (4.8 लाख), आंध्र प्रदेश (4.6 लाख), उत्तर प्रदेश (4.3 लाख), केरल (3.3 लाख), कर्नाटक (1.9 लाख), गुज़रात (1.7 लाख), पं. बंगाल (1.7 लाख), तमिलनाडु (1.4 लाख), ओडिशा (1.3 लाख), राजस्थान (1 लाख)।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 10 राज्यों में ही 80 प्रतिशत से अधिक संगठनों का पंजीकरण हुआ है। इसी प्रकार वित्तपोषण के मामले में, सरकार का योगदान सबसे अधिक रहा है। ग्यारहवीं योजना में सामाजिक क्षेत्र के लिए 80 अरब रूपये अलग से निर्धारित किए गए थे। इसके बाद विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता का

स्थान आता है। व्यक्तिगत दानदाता स्वैच्छिक संगठनों के लिए सबसे बड़े और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहे हैं (मैथ्यू एवं वर्गीज 2011)

अधिकांश स्वैच्छिक संगठन छोटे संगठन हैं। सभी स्वैच्छिक संगठनों की तीन–चौथाई संख्या को समग्र रूप से केवल कार्यकर्ता ही चला रहे हैं। लगभग 13 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों में 2 से 5 कर्मचारी हैं; लगभग 5 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों में 6 से 10 कर्मचारी हैं और केवल 8.5 प्रतिशत संगठनों में ही 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (पीआरआईए) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 73.4 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों में केवल एक या एक भी वैतनिक कर्मचारी नहीं है, यद्यपि देशभर में, 1 करोड़ 90 लाख से अधिक लोग स्वैच्छिक संगठनों में या तो स्वयंसेवक या वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। स्वैच्छिक संगठनों का पंजीकरण प्रायः भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत ट्रस्ट, सोसाइटी (समिति) अथवा लाभ के लिए काम नहीं करने वाली निज़ी कंपनी के रूप में होता है। उन्हें आयकर में छूट का लाभ भी मिलता है।संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं आम सभा 1985 में 5 दिसम्बर को स्वैच्छिक दिवस (बालण्टरी डे) घोषित किया गया।

16.1.9 गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका

गैर–सरकारी संगठनों ने विकास, सामाजिक कल्याण, अधिकार इत्यादि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया संक्षेप में इनकी निम्न भूमिका महत्वपूर्ण हैं :–

16.9.1.1 अधोसंरचना का विकासः

अधोसंरचना का विकास गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अर्न्तगत भूमि का अधिग्रहण एवं उसका विकास करना, भवनों का निर्माण कार्य करना, भवनों का रखरखाव, इनकी मरम्मत करना, अपशिष्ट प्रबंधन हेतु संरचनायें बनाना, भूमि, जल संवंर्धन एवं संरक्षण हेतु संरचनाओं का निर्माण करना, सामुदायिक कुओं, तालाबों, शोचालयों का निर्माण एवं रखरखाव आदि। इसके साथ ही भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु सामुदायिक स्तर पर रोजगारोन्मुखी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना भी सम्मिलित है। कुछ ऐसे भी गैर–सरकारी संगठन है जो सरकार को अधोसंरचना विकास हेतु तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान कर सहयोग देते हैं।

16.9.2 नवोन्मेषी प्रदर्शन एवं अग्रगामी परियोजनायें

गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की परिस्थिति के अनुरूप नवोन्मुखी अर्थात नवीन परिवर्तनों हेतु परियोजना कार्य का संचालन व क्रियान्वयन किया जाता है। इसी प्रकार प्रदर्शन आधारित क्रियाकलाप भी सम्पादित किये जाते हैं ताकि जन समुदाय को वांछित परिवर्तन हेतु माडॅल रूप में करके दिखाया जा सके। वास्तव में उक्त दोनों ही माध्यम मुख्यतः सरकारी अनुदान आधारित परियोजनाओं द्वारा किये जा रहे हैं। सामाजिक समस्याओं के निराकरण एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु नवीन समाधानों पर आधारित कार्यक्रम अग्रगामी परियोजनाओं के अर्न्तगत तैयार किये जाते हैं। ऐसी अनेकों अग्रगामी परियोजनायें हैं जिन्हें मुख्यतः गैर–सरकारी संगठनों द्वारा ही सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अनेकों सरकारी परियोजनायें ऐसी हैं जिनमें गैर–सरकारी संगठनों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है क्योंकि ये संगठन शासन की तुलना में अधिक प्रभावी क्रियान्वयन, निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने की क्षमता को स्पष्ट कर चुके हैं।

16.9.3. संवाद/संचार प्रेरण

गैर सरकारी संगठन का जनसमुदाय के साथ जीवंत एंव परस्पर मधुर संवाद होता है। इसी कारण से ये संगठन आम जनता का विश्वास प्राप्त करने में सफल होते हैं। यही विश्वास परस्पर सहयोग के द्वारा विकास कार्यों को गतिशील एवं टिकाऊ बनाता है। गैर–सरकारी संगठन स्थानीय समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु वांछित सुझाव नीचे से ऊपर की ओर पहुचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वास्तविक परिस्थितियों एवं जन भावनाओं को स्पष्ट रूप से शासन स्तर के नीति निर्माताओं तक पहुचाने में इन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाने का कार्य भी ये संगठन कुशलतापूर्वक पूर्ण करते हैं।

16.9.4. तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण

गैर–सरकारी संगठन वांछित सकारात्मक परिवर्तन हेतु तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य संपादित करते हैं। कौशल संवर्धन/दक्षता संवंर्धन एवं जानकारी को सम्प्रेषित करने हेतु प्रशिक्षण आयोजित कर सहयोग देते हैं। कुछ गैर–सरकारी संगठन शासन स्तर से जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों को भी तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं।

16.9.5 अनुसंधान मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन

गैर–सरकारी संगठनों द्वारा अनुसंधान से जुड़े कार्यों को भी संचालित किया जाता है। वर्तमान परिवेश में जन भागीदारी आधारित अनुसंधान परियोजनाओं का गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा विकासोन्मुखी परियोजनाओं की वस्तुस्थिति को देखना, मार्गदर्शन करना एवं मूल्यांकन का कार्य भी इन संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

16.9.6 गरीबों के साथ गरीबों के लिये समर्थन

गैर–सरकारी संगठन की आरंम्भिक अवस्था से अभी तक एक विशेष झुकाव गरीब जन समुदाय की ओर अधिक दृष्टिगत होता है। अधिकांश कार्यक्रम एवं परियोजनाएं भी इन्हीं गरीब परिवारों को केन्द्र में रखकर तैयार की गई एवं क्रियान्वित की गई है। वस्तुतः सरकारी परियोजनाओं का वास्तविक लाभ गरीबों को कम ही मिल पाता था क्योंकि निर्धन गरीब लोग जहाँ एक ओर अशिक्षा के कारण आगे नहीं आ पाते थे वहीं दूसरी ओर इन्हें स्थानीय सशक्त लोग अपने समकक्ष आने या अधिकार दिलाने से दूर रखते थे। गैर–सरकारी संगठनों ने वास्तविक जरूरतमंद की पहचान कर शासकीय योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया है। गरीबों की आवाज, उनके कष्ट, हालात एवं परिस्थितियों को शासन तक पहुंचाने एवं शासकीय योजनाओं के लाभ को गरीबों तक ले जाने में गैर–सरकारी संगठनों ने सेतु का प्रभावी कार्य किया है।

16.10 शासन एवं स्वैच्छिक संगठनों की विकास में साझेदारी

स्थानीय स्तर पर कार्य करने के कारण स्वैच्छिक संगठन समुदाय में अपनी पैठ बनाने में सफल रहते हैं। स्वैच्छिक संगठनों के इसी समुदाय आधारित विकासात्मक एवं कल्याणकारी पहल के कारण उनके द्वारा किये गये कार्य का परिणाम दिखता है। यही कारण है कि शासन अधिकांश विकास कार्यों में स्वैच्छिक संगठनों की भागेदारी सुनिश्चित करता है। मध्यप्रदेश में आदिवासी बालक/बालिकाओं के छात्रावास हों या महिलाओं के समूह बनाया हो या उद्यमिता प्रशिक्षण हो, प्रत्येक विकास के कार्य में शासन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने वाली कुछ योजनाएं प्रदेश शासन की होती है तो कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार से प्रायोजित होती हैं।

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने कुछ विशेषज्ञ संस्थाएं बना रखी हैं जैसे कपार्ट, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इत्यादि। इसी तरह से राज्य शासन ने भी कुछ संस्थाएं बनायी हैं जिनसे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान और अन्य सहायता प्राप्त होती है। जैसे मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड।

16.11 स्वैच्छिक संगठनों के प्रकार

स्वैच्छिक संगठनों को विभिन्न प्रकार में विभक्त किया जा सकता है।

1. **गतिविधि के आधार पर** : स्वैच्छिक संगठनों को उनकी गतिविधि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, आदिवासी विकास, इत्यादि।

2. **कार्यक्षेत्र के आधार पर** : कुछ स्वैच्छिक संगठन राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं और कई प्रांत में इनके कार्य संचालित होते हैं। जैसे दीनदयाल शोध संस्थान एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला स्वैच्छिक संगठन है जिसका कार्य वीड (महाराष्ट्र), राँची (झारखण्ड), मझगवां (मध्यप्रदेश), गोण्डा, चित्रकूट एवं गनीवां (उत्तरप्रदेश) इत्यादि में संचालित है। कुछ स्वैच्छिक संगठन अपने कार्य को मात्र एक क्षेत्र तक रखते हैं।

3. **विशेषज्ञता के आधार पर** : किसी विशिष्ट उद्देश्य पर कार्य में लगे रहने के कारण एक स्वैच्छिक संगठन अपनी विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है और समाज में उसकी पहचान उसी विशेषज्ञता के आधार पर होती है। जैसे सद्गुरू सेवा संघ ट्रस्ट का जानकीकुण्ड अस्पताल नेत्र चिकित्सालय के रूप में उत्तर भारत में विख्यात है।

4. **वैधानिक पंजीयन के आधार पर** : कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न होकर एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करते हैं। कुछ संगठन सोसाइटी के रूप में तो कुछ संगठन ट्रस्ट के रूप में कार्य करते हैं। कुछ संगठन विदेशी अनुदान लेकर कार्य करते हैं जबकि कुछ संगठन राष्ट्रीय एजेंसी की सहायता से कार्य करते हैं।

1.12 पंचवर्षीय योजनाओं में गैर–सरकारी संगठन

प्रथम पंचवर्षीय योजना में गैर–सरकारी संगठनों का उल्लेख है कि इन संगठनों के द्वारा किये जा रहे कार्य के फलस्वरूप किसी भी योजना में आर्थिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान के लिए इन संगठनों की सहायता ली जाय तथा इनके प्रयास को मजबूत करने में राज्य अत्यधिक सहयोग करेंगे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में जन सहयोग पर बल दिया गया।

1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने गैर–सरकारी संगठनों को ''लोकतंत्र की तीसरी आँख'' से सम्बोधित किया। बोर्ड की तत्कालीन सदस्या इंदिरा गाँधी ने बोर्ड की बैठक में कहा''वर्तमान सामाजिक कल्याण संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने, नयी संस्थाएं खोलने और इन सभी संस्थाओं को एक–दूसरे से जोड़ने के लिए बोर्ड ने एक विशेष कार्यक्रम बनाया है।

इन संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए करीब 28 लाख रुपये की मदद जारी की गयी है। वर्तमान और नयी संस्थाओं को एक–दूसरे से जोड़कर बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रम सुचारू ढंग से चलाये जायेंगे।'' (दैनिक जागरण, 13 नवम्बर 1954)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ''स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता'' हेतु रुपये 4.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी क्योंकि इन्हें सामाजिक समस्या के समाधान हेतु सक्षम माना गया जिसे राज्य नहीं कर सकते।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के सफल क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों को लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जन सहभागिता आधारित कार्यक्रम लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व दिया गया। स्वैच्छिक संगठनों पर जन–सहयोग हेतु बृहद रूप से संगठनात्मक जिम्मेदारी पर बल दिया गया।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1975–80) में गैर–सरकारी संगठनों को गरीबी निवारण हेतु संचालित योजनाओं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संलग्न किया गया और यह माना गया कि ये संगठन जमीनी स्तर पर कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन कर सकते हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में जन संगठनों की सहभागिता के परिणामों का उल्लेख करते हुए सेवा, बाएफ (भारत एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन) के पशु चिकित्सा कार्य का वर्णन किया गया और यह उम्मीद की गयी कि देश में स्वैच्छिक कार्य के और उदाहरण प्रस्तुत होंगे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यों में स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेने और शासकीय प्रयास में उनको सहयोगी के रूप में स्वीकार किया गया जिससे गरीब को विकास के अवसर प्राप्त हो सकें।

नौंवी पंचवर्षीय योजना में स्वैच्छिक संगठनों को पंचायतीराज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह इत्यादि के गठन, प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। स्वैच्छिक संगठनों को देश में सहभागी विकास में सहयोगी बनने का वर्णन है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में देश में स्वैच्छिक संगठनों के लिए राष्ट्रीय नीति बननी शुरू हुई जो बारहवीं योजना के प्रारम्भ में वर्ष 2007 में योजना आयोग ने अनुमोदित की। इस नीति के माध्यम से सृजनात्मक, स्वतंत्र एवं प्रभावी स्वैच्छिक क्षेत्र का प्रोत्साहन एवं उत्थान करना था।

- 1958 में ''ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का संगठन'' किया गया।

- 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारम्भ हुआ। 1973 में पैडी तथा 1983 में 'कार्ट' का गठन हुआ।

- 1986 में पैडी तथा कार्ट को मिलाकर 'कपार्ट' का गठन किया गया। कपार्ट को स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी बनाया गया।

16.13 मध्यप्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों के विकास के लिए शासन द्वारा उठाये गये कदम :

मध्य प्रदेश शासन स्वैच्छिक संगठनों को हमेशा से विकास एवं कल्याणकारी कार्यों में साझेदार के रूप में देखता रहा है। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्राप्त वित्तीय संगठनों के लिए सहायता मध्यप्रदेश में संचालित विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की जाती है।स्वैच्छिक संगठन संवाद– 2013 का आयोजन कर स्वैच्छिक संगठनों के विचार सुने गये। स्वैच्छिक संगठनों को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2013 के लिए आशा ग्राम ट्रस्ट बड़वानी को पाँच लाख रुपये, भाऊ साहब मुस्कुटे स्मृति न्यास होशंगाबाद को तीन लाख रुपये तथा सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्था भोपाल को एक लाख रुपये से पुरष्कृत किया गया। वर्ष 2012 के लिए 5 शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान की गयी।

16.14 म.प्र. जन अभियान परिषद्

16.14.1 परिकल्पना

समाज का समग्र विकास एक सामूहिक प्रयास है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ विभिन्न क्षेत्रों में लगन व तत्परता से कार्यरत रही हैं। शासन व इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य एक होते हुए भी दोनों के कार्य सदैव समानांतर रहे हैं। म.प्र. शासन ने इस अंतर के बीच छिपी अनंत संभावनाओं व शक्ति को महसूस किया और शासन व स्वयंसेवी संस्थाओं को एक साथ, एक मंच पर लाने का अभिनव प्रयास किया, जिसे नाम दिया गया जन अभियान परिषद्।

परिषद् ने समाज की, आवश्यकता, क्षमता, भावना, दक्षता के आंकलन और अनुकूलन हेतु स्वयंसेवी संगठनों को उपयुक्त माना है। जन अभियान परिषद् का लक्ष्य है अपने में समाहित जन संगठनों के माध्यम से प्रदेश के एक–एक व्यक्ति तक पहुँचना। केवल समाज की अंतिम पंक्ति में खडे अंतिम व्यक्ति तक ही नहीं, बल्कि पर्वत कंदराओं और दुर्गम वन प्रांतों में बसे उन वनवासियों तक भी जिन्हें अभी पंक्ति की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। म.प्र. जन अभियान परिषद् की मूल दृष्टि है स्थानीय ज्ञान, कौशल और परम्पराओं के साथ जनता को विकास अभियान से जोड़ना। जनता अपने ही ज्ञान को संजोएं, आत्मविश्लेषण करें, आत्मनिर्भर हों, विकास करें और आत्मसम्मान का जीवन जीएं। इस विकास अभियान में जन अभियान परिषद् पथ भी है और पथ–प्रदर्शक भी।

स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य व महत्व को मान्यता देने का यह संभवतः पहला और अनूठा कदम है। सरकार और जनता के बीच सेतु के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं को संपूर्ण क्रांति का वाहक बनाना परिषद् का आधार स्वप्न है। इसीलिए परिषद् ने व्यवस्था और लोगों के बीच स्वयंसेवी जगत को खिवैया के रूप में निरूपित किया है। स्वयंसेवी संस्थाओं का आधार सेवा है और सेवा आत्मा से होती है। आत्मा से किये गए कार्य ही सबसे प्रामाणिक और खरे होते हैं। जन अभियान परिषद् की आत्मा जनकेन्द्रित है। परिषद् की दृष्टि में यह अभियान जन–विकास का पवित्र यज्ञ है। सामाजिक विकास के इस महायज्ञ की पूर्ण आहूति तभी होगी जब जन जुड़े जन के लिए, जन–जन समिधा बनें। अपनी अनंत ऊर्जा के अंश से विकास के महायज्ञ को पूर्ण करे। ऐसा क्रांतिवाहक समाज ही सार्वभौमिक विकास का आरंभ है।

16.14.2 जन अभियान परिषद का संक्षिप्त विवरण

परिषद् समाज और सरकार के बीच की वो कड़ी है जो सरकार, जनता औरस्वयंसेवी संगठनों के बीच सेतु का काम करती है। यह शासन को सलाह देन, सामुदायिकभागीदारी प्रोत्साहित करने, स्वयंसेवी संस्थाओं से संबंधित जानकारी समेकित करनीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक समन्वयक अभिकरण के रूप में कार्यरत है।जन अभियान परिषद् जन संगठनों का समन्वयक है, सहायक है, मार्गदर्शक है और प्रोत्साहक भी। परिषद् जन संगठनों को सरकार की योजनाओं की जानकारीदेती है। उनके क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण तथा साधनों को जुटाने में सहायता करतीहै। जिस तरह नदियों का संग्रहित जल एक महासागर का रूप ले लेता है उसी तरह प्रदेश भरमें कार्यरत जनसंगठनों से मिलकर म.प्र. जन अभियान परिषद् जन विकास यज्ञ कर रहा है।परिषद् विकास के लिए जन संगठनों का एक ऐसा मंच है जो नए संगठनों को प्रोत्साहन व पुराने को विस्तार देता है

16.14.3 उद्देश्य

- राज्य शासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्य विकास के सभी क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा सम्बन्धित विषयों पर शासन को सलाह देना।
- राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण तथा इसके लिए नीतियां तैयार करना।
- शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी से सम्बन्धित प्रक्रियाओं की जानकारी एकत्र करना तथा प्रचार करने के लिए समन्वय अभिकरण के रूप में कार्य करना।

- स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव क्षेत्र के आधार पर उसका वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करना तथा उनकी सूची संधारित कर इच्छुक व्यक्तियों/हितार्थियों की सूची पत्र का संधारण कर चाहने वालों को उपलब्ध करवाना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय कर स्वयंसेवी संस्थाओं की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जानकारी एकत्र कर उपलब्ध करवाना।
- शासकीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभागीय कार्यक्रमों/नियमों में परिवर्तन करने में मदद करना।
- शासन से एवं शासनोत्तर व्यवस्थाओं से नई व पुरानी स्वयंसेवी संस्थाओं को तकनीकी प्रबंधकीय एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बहुददेशीय अभिनव परियोजनायें प्रारंभ करने हेतु शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय विभागों, नगरीय प्रशासन की संस्थाओं तथा पंचायत राज संस्थाओं में प्रबंधन सहभागिता तथा संवाद की क्षमता को बढ़ाने, विचारों तथा सूचनाओं के आदान–प्रदान तथा विकास के विभिन्न मुद्दों का समय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण आदि के विशिष्ट कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करने हेतु एक कोष की स्थापना कर अनुदान उपलब्ध करवाना।
- राज्य के सभी स्तरों पर विकास गतिविधियों में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने की प्रगति की समीक्षा तथा परीवीक्षा कर या वांछित आवश्यकतानुसार सुधार हेतु सुझाव देना।
- उपयुक्त तकनीक, सामुदायिक नेतृत्व, सहभागिता, प्रशिक्षण एवं विकास के क्षेत्रों में अभिनवता को प्रोत्साहित करना।
- इस परिषद् द्वारा पंजीकृत संस्थाओं को ही राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी। राज्य शासन परिषद् द्वारा पंजीकृत संस्थाओं को ही भारत सरकार से अनुदान दिलाने की अनुशंसा करेगा।

16.14.4 मुख्य उददेश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले कार्य :

- संस्था स्वयं की गतिविधियों के संचालन हेतु तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की अनुदान एवं ऋण उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त पूंजी एकत्र करने हेतु कार्यवाही ।

- स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं को उनकी प्रबंधकीय, पर्यवेक्षणीय तथा तकनीकी अमले की क्षमता बढ़ाने हेतु अनुदान, दान तथा प्रशिक्षण देना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं को विषय विशेषज्ञों का परामर्श उपलब्ध करवाना तथा उसे संगठित एवं विस्तारित करने में मदद करना/करवाने में मदद करना।
- संस्था द्वारा प्रारंभ या समर्थित कार्यक्रम या योजनाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित करने को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्यक्ष या अन्य निर्धारित रीति से सहयोग प्रदान करना।
- पूंजी निवेश गतिविधियों/कार्यक्रमों को कारगर एवं सफल करने हेतु आवश्यक सहयोग की व्यवस्था करना।
- राज्य शासन द्वारा निर्धारित स्वयं के अधिकार क्षेत्र में संस्था द्वारा या स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना।
- उक्त कार्यक्रमों के प्रभाव तथा क्रियान्वयन की प्रगति एवं हितग्राहियों को योजना के लाभों के वितरण के कार्यों की समीक्षा करना।
- आर्थिक विकास तथा समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के प्रभाव को ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण आयोजित करना या सहयोग करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा उनके आयोजन में सहायता करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामुदायिक जन भागीदारी बनाने के लिए शासन, नगरीय स्थानीय शासन एवं पंचायत राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सूचनाओं का संकलन, न्यूज लेटर एवं पत्रिका का प्रकाशन आंकड़ों का संग्रहण करना तथा सूचना सलाह या परामर्श देने पर शुल्क लेना।
- संस्था अपने उददेश्यों की पूर्ति के लिए जो उचित समझे वह सब प्रासंगिक एवं सहायक/प्रेरक का कार्य करना।

16.14.5 संस्थागत संरचना

म.प्र. जन अभियान परिषद् उच्च स्तरीय निकाय द्वारा संचालित संस्था है। संस्था के अंतर्गत एक शासी निकाय तथा एक कार्यकारिणी सभा का गठन किया गया है।

16.14.6 शासी निकाय

म.प्र. जन अभियान परिषद् उच्च स्तरीय शासी निकाय द्वारा संचालित संस्था है। शासी निकाय में पदेन अध्यक्ष म.प्र. शासन के मुख्यमंत्री हैं।

16.14.7 शासी निकाय के सदस्यों में शामिल है –

- स्कूल शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्थानीय शासन, नगरीय कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जनशक्ति नियोजन विभाग, गृह विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्रीगण, सभापति कार्यकारिणी सभा।
- शासन द्वारा मनोनित प्रत्येक संभाग से प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के 15 प्रतिनिधि, जिनमें कम से कम 3 महिलाएँ 3 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। सचिव ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय भारत शासन या उनके द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि।
- महानिदेशक, कपार्ट या उनके द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि।
- सदस्य सचिव, राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी, जो संस्था के कार्यपालक निदेशक भी हैं।

16.14.8 कार्य प्रणाली

- संस्था के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये स्थान, समय एवं दिनांक पर शासी निकाय की बैठक सम्पन्न की जाती हैं। वित्तीय वर्ष में एक वार्षिक सामान्य बैठक करना अनिवार्य है।
- शासी निकाय की बैठक बुलाने के लिये कम से कम 10 दिन पूर्व से सूचना दी जाती है संस्था के अध्यक्ष या तो स्वयं या संस्था के कार्यपालक निदेशक को लिखित में सूचित कर शासी निकाय की बैठक करते हैं।
- बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के एक उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जा सकती है। यदि दोनों अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष द्वारा नामांकित सदस्य द्वारा की जाती है।
- शासी निकाय की बैठक में न्यूनतम कोरम कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्य का होना अनिवार्य है। यदि कोरम पूरा न हो तो सदस्य सचिव द्वारा बैठक स्थगित कर तुरंत पुनः बैठक की जा सकती है। बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होती।

- शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। यदि सदस्यों के वोटों के मध्य समानता हो तो विषय के निर्णय के लिये अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति को निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा।
- बैठक में सदस्य सचिव अध्यक्ष की ओर से विषय से संबद्ध किसी शासकीय विभाग या अशासकीय संस्था के प्रतिनिधि या व्यक्ति विशेष को आमंत्रित कर सकते हैं।
- यदि किसी विषय पर तुरंत निर्णय लेना आवश्यक हो तो सदस्यों के बीच वह विषय लिखित में अनुमोदन हेतु भेजा जाता है तथा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर उपरान्त यह निर्णय निकाय की बैठक में पारित प्रस्ताव की तरह प्रभावशील होता है।

16.14.9 कार्यकारिणी सभा

- शासी निकाय द्वारा निर्धारित नियम विनियम तथा आदेशों के अन्तर्गत संस्था के प्रशासकीय कार्यकार्यकारिणी सभा द्वारा किये जाते हैं।

16.14.10 कार्यकारिणी सभा की संरचना

- सभापति मुख्य सचिव म.प्र. शासन
- उपसभापति शासन द्वारा नामांकित अशासकीय सदस्य।

16.14.10.1 कार्यकारिणी सभा के सदस्य

- स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण ग्रामोद्योग, वित्तए पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्थानीय शासन, नगरीय कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनशक्ति नियोजन, गृह विभाग, आदिम जाति कल्याण आदि विभागों के प्रमुख सचिव।
- प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के 5 प्रतिनिधि। यह प्रतिनिधि शासी निकाय द्वारा नामांकित 15 प्रतिनिधियों में से होंगे।
- सदस्य सचिव, राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी, जो संस्था के कार्यपालक निदेशक हैं।

16.14.10.2 कार्यकारिणी सभा के अधिकार एवं कार्य

- शासी निकाय द्वारा दिये गये आदेश, सभी कर्त्तव्य, शिक्तयाँ कार्य एवं अधिकारों का उपयोग संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यकारिणी सभा द्वारा किये जाते है।
- प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग तथा विभिन्न स्तर के पदों का निर्माण करना।

- संस्था के वित्तीय एवं अन्य सभी कार्यकलापों का प्रबंधन एवं नियंत्रण।
- संस्था की गतिविधियाँ एवं कार्यकलाप संचालन के लिए राज्य शासन से विचार विमर्श कर नियम बनाने, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक या व्यक्तिगत संस्थाओं एवं व्यक्तियों से अनुबंध करने का अधिकार है।
- चल एवं अचल संपत्ति क्रय करना, किराये पर लेना, भवनों का संधारण, परिवर्तन या निर्माण करने का कार्य करेगी।
- शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से निर्मित परिसंपत्तियों का विक्रय शासन की पूर्व अनुमति बिना नहीं किया जा सकता, न ही गिरवी रखा जा सकता और न उस उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसके अनुदान स्वीकृत किया गया था।
- विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु स्थायी समितियों एवं टास्क फोर्स का गठन तथा इनकी गतिविधियों, सदस्य संख्या, अधिकार तथा कार्यों का निर्धारण करना।
- उचित समझने पर सभापति, उपसभापति, कार्यपालक निदेशक या किसी अन्य सदस्य या समिति व दल या संस्था के किसी अन्य अधिकारी को प्रशासनिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक अधिकार कर्तव्यों के क्रियान्वयन तथा निर्वहन हेतु सीमाएं निर्धारित करना।
- कार्यकारिणी सभा को यह अधिकार है कि वह कार्यक्षेत्र पर ऐसे उपनियम पारित करे जो कार्यकारिणी सभा को दी गई शिक्तयों, अन्य प्राधिकारियों या संस्था के उद्देश्यों के विपरीत न हो।

16.14.11 कार्य विस्तार

किसी भी समाज, प्रांत और राष्ट्र का विकास तब तक संभव ही नहीं है जब तक उससे जुडे हुए अथवा उसमें निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विकास की अवधारणा में सम्मलित नही हो। म.प्र. के विकसित स्वरूप के लिए आवश्यक है कि प्रदेश का हर वासी अपने स्वभाव, क्षमता और दक्षता के अनुरूप, अग्रिम पंक्ति में खडे होने के प्रयास में सम्मिलित हो। म.प्र. जन अभियान परिषद् ने इसी काम का बीडा उठाया है। उसे अपने कार्य का विस्तार समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति तक करना है, उस तक पहुँचना है। उसे विकास का साथी बनाना है। जब तक वह व्यक्ति जन विकास की अवधारणा के रूप में सक्रिय नहीं होगा, तब तक म.प्र. के विकास की कल्पना नही की जा सकती।

परिषद् को विकास के लिए आवश्यक तत्वों और तथ्यों तक पहुँचना है। हर उस गाँव तक और उस बस्ती तक परिषद् को अपना कार्य विस्तार करना है, जो अब तक अशिक्षा और पिछडेपन के अंधेरे में अपनी जिन्दगियाँ जीने को मजबूर हैं.। उन तमाम जन समूहों और जन क्षमताओं को अपना भागीदार बनाना है, जिनमें ऊर्जा और

क्षमता की असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। इसके लिए इन असीमित संभावनाओ और क्षमता वाले स्थानीयजनों को जोड़कर स्वयंसेवी संगठन बनाए जायेंगे। म.प्र. में भाषा, जीवन शैली और व्यवहार की विविधता के बावजूद उन्हे शिक्षित और प्रशिक्षित कर विकास की मूलधारा से जोड़ा जाएगा।

यह स्वयंसेवी समूह अपने क्षेत्र के संसाधनों, आवश्यकताओं, विशेषताओं, वर्जनाओं और सृजनाओं के तत्वों का अध्ययन करेंगे। उनका कार्य व्यवहार में उपयोग कर गाँव और क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र बनाने में सहभागी होंगे। परिषद् अपने कार्य का विस्तार स्थानीय लोगों से निरन्तर संपर्क सहयोग के साथ संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और समूह–समागमों द्वारा करेगी। व्यवस्था और समाज के बीच समन्वयक की भूमिका निभाना ही जन अभियान परिषद् के कार्य विस्तार का आधार है।

16.14.12 सहभागिता

जन अभियान परिषद् ने सृजनात्मक और सकारात्मक सोच से सहभागिता द्वारा एक संतुलित संसार के निर्माण की अभिकल्पना की है। ऋग्वेद का 'संगच्छध्वम् संवदध्वम्' मंत्र सदियों से हमें साथ चलने, साथ बोलने की प्रेरणा देता है। यही भाव लोकतंत्र का है और जन अभियान परिषद् का भी। परिषद् द्वारा सहभागिता का लक्ष्य आंमत्रित है, सहभागिता में कार्य एवं भाग दोनों शामिल है जिसमें सेवा की भावना है, जो समाज के लिए मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, किसी भी रूप में कुछ करने की इच्छा रखता हो, आंमत्रित है। आप अपने भाव से, विचार से, श्रम से, साधन से, संवाद से, कार्य से जुड़ सकते हैं। साथ चलने, साथ बैठने के इस यज्ञ में देने के भाव में परस्पर पूरकता है। यहाँ सभी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आगे बढेंगे, सकारात्मक समालोचना द्वारा कमियों को दूर करेंगे और उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होंगे।

नये प्रयोग का समावेश और सहभागिता से सभी पक्ष लाभन्वित होंगे। हम व्यवस्थाएं समाज और स्वयंसेवी संगठनों के बीच समपूरकता से सहभागिता का एक ऐसा सेतु निर्मित करेंगें जिसमें सभी एक–दूसरे के सहायक हो, सहभागी हो, विकसित हो। एक मंच पर इकट्ठे होकर उत्पादकता को विस्तार दें तथा समाज की क्रियाशीलता को संगठित करके जागृति और जन–निर्माण के काम में जुटें। विश्व के एक गाँव में सिमटती आधुनिक दुनिया की दौड़ में हम अपने मध्यप्रदेश को तभी आगे रख सकेंगे, जब विकास की धारा में काम करने वाले सभी व्यक्ति, व्यवस्था और संगठन परस्पर सहभागी हों। स्वयंसेवी संगठन अपनी क्रियाशीलता और सकारात्मक सोच के लिए लोकप्रिय है। संगठनों की सेवा भावना और सामर्थ्य को देखकर ही म.प्र. जन अभियान परिषद् इनके सहयोग से विकास की धारा को तेज गति से बहाने के लिए प्रयासरत है।

16.14.13 प्रमुख योजनायें

16.14.13.1 प्रस्फुटन

किसी भी गांव/नगर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक विकास पुरूष स्थानीय न हों। प्रत्येक ग्राम/नगर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वावलंबन की दिशा में कार्य करते हैं। समाज की इसी स्वैच्छिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने हेतु प्रति वर्ष प्रत्येक विकासखण्ड में 10 नये गांवों/नगरीय क्षेत्रों का चयन किया जायेगा। ''गांव/नगर में चिन्हित व चयनित सक्रिय समूह को 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष रू. दस हजार (एक मुश्त) दिए जाने का प्रावधान हैं। आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त ग्रामों/नगरों में स्वैच्छिकता का भाव विकसित होकर सक्रिय समूह स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं के रूप में परिवर्तित हो सकेंगे।''

16.14.13.2 नवांकुर

नवांकुर योजना (नवगठित स्वैच्छिक संगठनों की क्षमतावृद्धि एवं सशक्तिकरण)(कोलन)– प्रदेश में कार्यरत नवगठित स्वैच्छिक संगठन, जिन्हें वैधानिक पंजीयन से तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, उनकी क्षमतावृद्धि कर सशक्त स्वैच्छिक संगठन के रूप में विकसित करने हेतु परिषद् द्वारा नवांकुर योजना का संचालन किया जा रहा है।

एक अच्छे उद्देश्य को लेकर गठित होने के बाद भी अधिकांशतः नवगठित संस्थाऐं पर्याप्त क्षमता एवं मार्गदर्शन के आभाव में अपने प्रयासों को मूर्त रूप नहीं दे पातीं हैं, इसी संदर्भ में नवांकुर योजना के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर नवगठित स्वैच्छिक संगठनों/नवांकुर संस्थाओं की क्षमता वृद्धि करने हेतु पहल की जा रही है जिसके अंतर्गत वर्ष में राज्य स्तर पर 25, संभाग स्तर पर 20, जिला स्तर पर 15 तथा विकासखंड स्तर पर 10 स्वैच्छिक संगठनों के मान से प्रदेश में कुल 4045 स्वैच्छिक संगठनों का चयन कर उनकी क्षमता वृद्धि की जावेगी।

परिषद् द्वारा प्रशिक्षण का कार्य विद्वान विषय विशेषज्ञों/उच्च स्तरीय प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्वानों से कराया जायेगा। संस्थाओं के प्रभावी क्षमतावर्धन (Capacity Building) होने से वह अपने क्षेत्र में शासन व समाज के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य करने में सहायक सिद्ध हो सकेंगी।

16.14.13.3 दृष्टि

राज्य की समस्त पंजीबद्ध संस्थाओं का पंजीयन कर उनका परीक्षण व मूल्यांकन किया जायेगा। ''इन संस्थाओं की ताकत, कमजोरियों व अवसरों का मूल्यांकन'' उनके कार्यालय, मैदानी कार्य व वार्षिक रिपोर्ट साथ ही अन्य प्रकाशित दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा। ''इसके आधार पर संस्थाओं का प्रत्याययन

(Accreditation) किया जाएगा। यह प्रत्याययन शासन के विभिन्न शासकीय विभागों को उनके कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन में भागीदारी हेतु प्रदेश के अलग–अलग क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाएँ उपलब्ध कराने का आधार बनेगा।''

16.14.13.4 सृजन

ग्रामीण अंचलों में लोगों के पास पारंपरिक ज्ञान और कौशल का अथाह भण्डार है। क्षमता और सृजनात्मकता के धनी इन लोगों को जहां एक ओर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर इसका लाभ आम जनता तक व्यापक रूप से नहीं पहुंच पाता है। प्रत्येक जिले में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यकता अनुसार ''सहयोग'' देकर उनके सृजनात्मक कार्यों को व्यावसायिक स्तर पर स्थापित किया जाना प्रावधानित है।

''पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित प्रतिभाओं जैसे –कला, साहित्य, सांस्कृतिक, विज्ञान एवं खेलकूद आदि क्षेत्रों से चिन्हांकन कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु मेला/प्रदर्शनी /प्रतिस्पर्धाएं आदि आयोजित करना तथा प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमतावर्द्धन कर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।''

16.14.13.5 संवाद

''स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर विकास कार्यों के दौरान सामूहिक प्रक्रियाओं को परस्पर बांटने, विकास की रणनीतियों में आ रहे व्यवधानों को चिन्हित करने तथा विकास की प्रक्रिया को गति देने हेतु किए जाने वाले प्रयासों को साझा करने के लिए तथा स्वैच्छिक संगठनो के साथ संवाद, संचार, अभिप्रेरणा और सूचना संप्रेषण के उद्देश्य से राज्य, संभाग, जिला, विकासखण्ड स्तर पर बैठकें, संगोष्ठियाँ तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना प्रावधानित है।''

16.14.13.6 समृद्धि

''स्वयंसेवी संस्थाओं तथा परिषद् के कार्यकर्ताओं की क्षमता का आंकलन कर उनकी क्षमतावृद्धि हेतु प्रशिक्षण/कार्यशालायें/अध्ययन भ्रमण/शोध कार्य आयोजित करना तथा विभिन्न स्तरों पर पारितोषिक आदि प्रदान किया जाना प्रावधानित है।''

16.14.13.7 विस्तार

समसामयिक एवं स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को चिन्हित कर स्थानीय समूह की जागरूकता व सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना, शासकीय विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना, आम जन को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु हितग्राहियों के चयन में शासन का सहयोग करना तथा ग्रामीण, शहरी एवं सामाजिक विकास से संबंधित विषयों जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, नशामुक्ति, हरियाली/पर्यावरण संरक्षण, जलसंरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छता एवं साफ–सफाई, कृषि को लाभकारी बनाना, कुपोषण एवं परिवार नियोजन आदि पर समुदाय में जागरूकता लाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्य करना। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जन सूचना केन्द्र आदि संचालित किया जाना तथा लोगों को जागरूक करने हेतु उन्हें प्रचार–प्रसार साहित्य एवं अन्य मल्टीमीडिया साधनों के माध्यम से जानकारियाँ उपलब्ध कराना तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जावेगा।

16.14.13.8 मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम (CMCLDP)

मध्यप्रदेश दृष्टि पत्र 2018 के अनुसार समावेशी विकास के लिए समाज के वंचित वर्गों हेतु समुचित अवसरों का विस्तार के अनुक्रम में अनुसूचित जनजाति व उन सभी समूहों, जिन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता हैं, का समेकित विकास राज्य की प्राथमिकता है। इसी तारतम्य में शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिनमें मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्वैच्छिकता एवं सामूहिकता के भाव से समाज के विकास एवं उत्थान के लिए कार्यरत्त लोगों को शिक्षित एवं क्षमता सम्पन्न बनाकर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करना एवं प्रदेश के सुदूर अंचलों में बसे समाज तक मध्यप्रदेश शासन की जन–कल्याणकारी योजनाओं को सुगमता से पहुँचाना है जो कि जन अभियान परिषद् के उद्देश्यों के समरूप है। इस हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के 20 जिलों के 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन का दायित्व जन अभियान परिषद् को सौपा गया है। इसी की तर्ज पर प्रदेश शेष 30 जिलों के 224 गैर अनुसूचित विकासखण्डों में भी इस पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम का संचालन मध्यप्रदेश शासन के समय से महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश में 51 जिला मुख्यालयों में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सभी 313 विकासखंड मुख्यालयों में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

हमने जाना

- स्वैच्छिकसंगठन से तात्पर्य लोगों के एक ऐसे समूह से है जो संगठित हो, गैर–सरकारी हो, औपचारिक हो एवं स्व–चलित हो अर्थात् संगठन के सदस्य इसे संचालित करने के लिए नियम व नीतियाँ बनाते हों। ऐसे संगठन समुदाय में कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्य करते हैं। ये अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करके स्व–प्रेरणा से समुदाय में सकारात्मक बदलाव के लिए कार्य करते हैं। ऐसे संगठनों के अपने आदर्श एवं मूल्य होते हैं तथा ये सकारात्मक बदलाव से होने वाले लाभ को समुदाय के बीच बाँटते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों का इतिहास 1839 से प्रारंभ होता है। अनुमान है कि 1914 तक विश्वभर में 1,083 स्वैच्छिक संगठन थे जो दासता, महिलाओं के मताधिकार, निरस्त्रीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे थे।
- **स्वैच्छिक संगठनों के प्रकार**

  स्वैच्छिक संगठनों को विभिन्न प्रकार में विभक्त किया जा सकता है :

  1. **गतिविधि के आधार पर** : स्वैच्छिक संगठनों को उनकी गतिविधि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, आदिवासी विकास, इत्यादि।
  2. **कार्यक्षेत्र के आधार पर** : कुछ स्वैच्छिक संगठन राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं और कई प्रांत में इनके कार्य संचालित होते हैं। जैसे दीनदयाल शोध संस्थान एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला स्वैच्छिक संगठन है जिसका कार्य वीड (महाराष्ट्र), राँची (झारखण्ड), मझगवां (मध्यप्रदेश), गोण्डा, चित्रकूट एवं गनीवां (उत्तरप्रदेश) इत्यादि में संचालित है। कुछ स्वैच्छिक संगठन अपने कार्य को मात्र एक क्षेत्र तक रखते हैं।
  3. **विशेषज्ञता के आधार पर** : किसी विशिष्ट उद्देश्य पर कार्य में लगे रहने के कारण एक स्वैच्छिक संगठन अपनी विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है और समाज में उसकी पहचान उसी विशेषज्ञता के आधार पर होती है। जैसे सद्गुरू सेवा संघ ट्रस्ट का जानकीकुण्ड अस्पताल नेत्र चिकित्सालय के रूप में उत्तर भारत में विख्यात है।
  4. **वैधानिक पंजीयन के आधार पर** : कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न होकर एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करते हैं। कुछ संगठन सोसाइटी के रूप में तो कुछ संगठन ट्रस्ट के रूप में कार्य करते हैं। कुछ संगठन विदेशी अनुदान लेकर कार्य करते हैं जबकि कुछ संगठन राष्ट्रीय एजेंसी की सहायता से कार्य करते हैं।
- समाज का समग्र विकास एक सामूहिक प्रयास है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ विभिन्न क्षेत्रों में लगन व तत्परता से कार्यरत रही हैं। शासन व इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य एक

होते हुए भी दोनों के कार्य सदैव समानांतर रहे हैं। म.प्र. शासन ने इस अंतर के बीच छिपी अनंत संभावनाओं व शक्ति को महसूस किया और शासन व स्वयंसेवी संस्थाओं को एक साथ, एक मंच पर लाने का अभिनव प्रयास किया, जिसे नाम दिया गया जन अभियान परिषद्।

कठिन शब्दों के अर्थ

गैर सरकारी संगठन – ऐसे सभी समूह एवं संस्थायें पूर्णतः स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्यों, कार्यक्रमों एवं वित्त का संचालन स्वयं करते हैं एवं जिनका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना न होकर सामुदायिक परोपकार होता है गैर–सरकारी संगठन कहलाता है। इसके अन्तर्गत वे सभी परोपकारी एवं धार्मिक संस्थायें भी आती है जो निजी पूंजी के द्वारा विकास के लिये अपनी सेवायें प्रदान कर सामुदायिक संगठन को प्रोत्साहित करती है।"

पंजीकृत संगठन – ऐसे संगठन जो वैधानिक रूप से किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हों।

स्वैच्छिक कार्य – ऐसा कार्य जो स्वेच्छा से समाज हित में किया जाये।

शासी निकाय – ऐसा निकाय जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य होते हैं।

सकारात्मक परिवर्तन – परिवर्तन जो सकारात्मक एवं वांछित हों और समाजहित में हों।

अभ्यास के प्रश्न

1. स्वैच्छिक संगठनों की अवधारणा स्पष्ट करें।
2. स्वैच्छिक संगठनों की प्रमुख विशेषता एवं भूमिका स्पष्ट करें।
3. स्वैच्छिक संगठनों के समक्ष कौन–कौन सी चुनौतियाँ हैं
4. विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका का वर्णन करें।
5. भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका पर अपने विचार लिखें।
6. स्वयंसेवी संगठनों के इतिहास पर प्रकाश डालें।
7. म.प्र. जन अभियान परिषद की गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत करें।
8. स्वैच्छिक क्षेत्र की राष्ट्रीय नीति 2007 से स्वैच्छिक संगठनों को कौन–कौन लाभ हैं?
9. स्वैच्छिक संगठनों के विभिन्न प्रकार स्पष्ट करें।
10. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डालिये।

आओ करके देखें

1. भारत के प्रमुख स्वयंसेवी संगठनों की सूची तैयार कर उनकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कीजिये।
2. आपके क्षेत्र में जिस तरह की समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिये किस प्रकार का स्वयंसेवी संगठन आवश्यक होगा।
3. अपने क्षेत्र में कार्यरत महत्त्वपूर्ण गैर–सरकारी संगठनों के नाम, कार्यक्रम एवं उपलब्धियों पर एक आलेख लिखिये और संपर्क कक्षा में प्रस्तुत कर इस विषय पर विचार–विमर्श कीजिये।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

1. Iqbal Shah : A practical guide to NGOs and Project Management, Amazon.
2. एन.जी.ओ. हैण्डबुक
3. Pandey, Devendra Prasad : "Development and Management of NGOs, Adhyayan Publishers, New Delhi.
4. Levis David : Non-governmental organisations management and development, Routledge Publishers
5. Michael Edwards : The Earthscan Reader on NGO Management, Earthscan Reader Series.

■■■

16.2 स्वैच्छिक संगठनों का पंजीयन (Registration of Voluntary Organizations)

उद्देश्य :

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि :

- स्वैच्छिक संगठन शुरु करने के मूल चरण कौन–कौन से होते हैं?
- सोसाइटी, ट्रस्ट, कम्पनी, सहकारी संस्था के गठन, पंजीयन संम्बन्धित नियम तथा अधिनियम कौन–कौन से हैं?
- स्वैच्छिक संगठन शुरू करने से पहले वे कौन–कौन से बुनियादी तथ्य हैं जिन्हें जानना आवश्यक है।
-

16.2.1 विषय प्रवेश

इस भाग में उन मूल मुद्दों और चरणों पर चर्चा की गई है जिनकी जानकारी उस प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो स्वैच्छिक संगठन शुरू करना चाहता है।

16.2.1.1 स्वैच्छिक संगठन शुरू करने के मूल चरण

स्वैच्छिक रूप से कार्य करने की भावना प्रायः व्यक्ति विशेष द्वारा की गई पहल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है जो बाद में सदृश मानसिकता वाले अन्य व्यक्तियों को साथ मिलकर उस कार्य की पहल के लिए आकृष्ट कर सकती है या यह भावना कुछ व्यक्तियों के साझा आदर्श या प्रयोजन जिसके लिए स्वयं की ओर से पहल किए जाने के परिणामस्वरूप भी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्तियों के दो अलग–अलग वर्ग भी हो सकते हैं। एक वर्ग वह हो सकता है जिसमें कुछ व्यक्ति समूह के रूप में रहें, आपस में मिलें, एक साथ सोच विचार करें और एक साथ कुछ करने की इच्छा करें। प्रायः यह देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति एक स्थान पर पहुँचने के बाद आगे बढ़ाने का रास्ता भटक जाते हैं। उदाहरण के तौर पर विकलांग बच्चों के अभिभावक एक समूह बनाकर अपने बच्चों की मदद करने लिए एकजुट होकर आगे आएं या कुछ ग्रामीण अपने जीवन की बेहतरी के लिए एक छत के नीचे खड़े हों। हालांकि ऐसे उदाहरण तुंरत शुरूआत कर देने वालों को संगठनात्मक हुनर रखने वाले व्यक्तियों के सहयोग की जरूरत होती है जो इसके आगे बढ़ने की भावना को जीवित बनाए रखे।

2.1.2 दूसरे वर्ग में ऐसे लोगों के समूहों के उदाहरण हो सकते हैं जो किसी खास उद्देश्य के प्रति अपनी चिंता प्रकट करें हालांकि यह जरूरी नहीं है कि वे स्वयं उस उद्देश्य से सीधे तौर पर जुड़े हों, ऐसे व्यक्ति उस नियम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठन का स्वरूप ग्रहण करते है किन्तु सीधे तौर पर संगठनात्मक प्रबंधन में संलिप्त नहीं होते। यहीं से साझा सिद्धांत या उद्देश्य (अथवा प्रयोजन) की प्राप्ति हेतु संगठित प्रयासों की प्रक्रिया शुरू होती है और बाद में स्पष्ट कारण उत्पन्न होने पर इन प्रयासों को कानूनी वैधता प्रदान करने की जरूरत उत्पन्न होती हैं। इस भाग में हम आपसे उन सभी औपचारिक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो स्वैच्छिक संगठन शुरू करने के लिए जरूरी है।

चरण 1 : शुरूआती तैयारी का कार्यः अपने आशय, प्रयोजन, आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में पूरी स्पष्टता रखें अर्थात् स्वयं से पूछें, आप किस उद्देश्य/मुद्दे को उठाना या संबोधित करना चाहते हैं, आप किन लोगों की सेवा करना चाहते हैं एव आपके संगठन का दृष्टिकोण क्या होगा? आपको यह याद रखना होगा कि समाज के लिए कार्य करने या कुछ भी करने में उत्साह या लगन की एक नियत दिशा होनी चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उस क्षेत्र को पहचाने जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं (क्षेत्र का आशय भौगोलिक अथवा विषय संबंधी दोनों से है)। सामाजिक क्षेत्र बहुत व्यापक है और आपके पास जो संसाधन हैं उनके आधार पर आप कुछ खास क्षेत्रों में ही कार्य कर सकेंगे या आपके पास दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा किसी एक क्षेत्र की स्पष्ट रूप से पहचान करें, उदाहरण के तौर पर एक संगठन के रूप में आप निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों का चयन कर सकते हैंः

1. महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे जिनमें बाल शिक्षा, बाल देख–रेख और सुरक्षा आदि क्षेत्र शामिल हो सकते है;
2. महिला सशक्तिरण अथवा लिंग भेद से जुड़े मुद्दे, बुजुर्गो एवं विशेष देखभाल की जरूरत महसूस करने वालों की देखरेख ;
3. स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे/समाज के सुविधा विहीन वर्गो से जुड़े मुद्दे;
4. ग्रामीण विकास अथवा समाजिक वानिकी/जीविकोपार्जन के साधन जुटाने संबंधी मुद्दे।

उक्त बिन्दु पर आपका अपनी आशंकाओं को इंगित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे आप इस बात की पूरी जाँच कर सकेंगे कि क्या आपके पास उचित रणनीतियाँ और दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता है और उनके लिए आप कार्य कर सकते हैं।

चरण 2 : उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अगला महत्वपूर्ण चरण कोई कार्य शुरू करने से पहले यह है कि आपकी एक सुपरिभाषित दृष्टि और मिशन हो और आपके संगठन के लिए एक अध्यादेश हो।

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आप अपना कार्य शुरू करें इससे पहले इन बातों की जरूरत आपको क्यों है ? क्योंकि ये तीनों जरूरी तत्व (एक सु–प्रबंधन वाले संगठन के सूचक के रूप में) उस उद्देश्य और प्रयोजन को स्पष्ट करते हैं जिसके लिए संगठन की स्थापना की जानी है। (अंततः एक बार संगठन का पंजीकरण हो जाने के बाद बोर्ड के सदस्य ही सुप्रशासन के हिस्से के रूप में दृष्टि, मिशन और संगठन के लिए दिशा–निर्देशों की स्थापना करेंगे। अतएव इस स्थिति में यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने बोर्ड के सदस्यों का चयन करें। (इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 3 को देखें)

पहले से इस जरूरी तैयारी कार्य को पूरा कर लेने के बाद आप निस्संदेह सामाजिक परिवेश में एक स्पष्ट शुरूआत करने के लिए व्यापक क्षेत्र बना सकेंगे आर तद्नुसार समाज 'आपकी' वचनबद्धता और अवधारणा एवं साथ ही अनेकों अन्य स्वैच्छिक संगठन आपके संगठन की स्थापना के उद्देश्यों को समझ पाने की स्थिति में होगा।

(क) दृष्टि : एक स्वैच्छिक संगठन के लिए दृष्टि का क्या आशय है? मूल रूप से यह वह स्वप्न है जिसके बारे में संगठन की स्थापना करते समय कल्पना की जाती है। दृष्टि एक सीधा किन्तु विस्तृत वक्तव्य है (जो एक–दो पंक्तियों का हो सकता है) जिसमें भविष्य की स्थिति को वर्तमान से अलग करके व्यक्त किया जाता है। यह सफलता के लिए एक मार्गदर्शी परिकल्पना है जो लोगों को एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा और संबल प्रदान करती है और प्रभाविकता एवं उत्पादकता में सुधार करती है। यह उत्साह उत्पन्न करती हैऔर साथ ही संगठन को एक उद्देश्य की आकांक्षा के लिए उद्वेलित करती है। दृष्टि विवरण संगठन के सामान्य दर्शन, लक्ष्यों रणनीतियों, नैतिक मानकों और निष्पादन मानदण्डों का ढाँचा प्रदान करता है।

दृष्टि विवरण में निम्नलिखित का होना जरूरी है :

- सामान्य (जो इसे अस्थिर वातावरण में भी जीवित रहने की अनुमति देते हैं)
- संक्षिप्त, स्पष्ट और पारदर्शी एक–दो पंक्तियों में
- संगठन की दिशा और प्रयोजन की स्पष्टता
- बेहतर भविष्य पर केन्द्रित होना
- चुनौतियों और प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में उच्च आदर्शों की अभिव्यक्ति
- विशिष्ट और विलक्षण आदर्शवादी दृष्टिकोंणों वाले संगठनों को केन्द्र बनाना।

दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि वह लोगों को प्रेरणा देने में समर्थ हो और साथ ही वास्तविकता पर आधारित हो ताकि लोगों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा। दृष्टि विवरण में एक आश्वासन भी होता है कि संगठन इस दृष्टि को प्राप्त करने में अपने सदस्यों का सहयोग करेगा।

(ख) मिशन : संगठन की समग्र रणनीति को रेखांकित करता है जिसके द्वारा वह दृष्टि/स्वप्न को प्राप्त करता है। यह संगठन के प्रयोजन को स्पष्ट करता है। मिशन बहुत स्पष्ट सीधा और संक्षिप्त होना चाहिए (जो 3–4 वाक्यों से बड़ा न हो : जिसे समझना आसान हो, याद रखना/ग्रहण करना आसान हो उसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि संगठन किसी अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। दूसरे शब्दों में मिशन विवरण में यह स्पष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए कि संगठन अपने लाभग्राहियों को किस तरह से लाभान्वित करेगा। आमतौर पर मिशन विवरण वे मार्गदर्शी विचार/सिद्धांत/मूल दर्शन है जिन्हें संगठन के सदस्यों द्वारा निर्मित किया जाता है, समझा जाता है, समर्थन और साझा किया जाता है और व्यवहार में लाया जाता है। अतएव संगठन के दृष्टि और मिशन विवरणों से यह समझ पाने में मदद मिलती है कि एक संगठन के रूप में आप क्या हैं : आपके अस्तित्व का क्या आधार है, आप क्या करते हैं, आप किसकी सेवा करते हैं या आप किसके लिए बने हैं आदि। अतएव संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ''दृष्टि एक स्वप्न है और मिशन एक उद्देश्य है''। वास्तविक मिशन सदैव संगठन में एक उत्साह और उत्तेजना सृजित करता है – चाहे वह पणधारी हो, स्टॉफ हो या बोर्ड के सदस्य हों।

अंततः चूंकि मिशन संगठन की जरूरतों, प्रयोजन और कार्यकलापों के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान करता है अतः यह न केवल एक साझा मूल्यों के स्वीकृत आधार के रूप में होता है बल्कि उसमें अपने निजी विचार और संदर्भगत अवधारणाएं भी शामिल होती हैं। मिशन विवरण से संगठन के सिद्धांतों को समझने के संबंध में उठे किसी विवाद को उसके दायरे के भीतर हल करने में मदद मिलती है। संगठन की दृष्टि और मिशन को परिभाषित करने उपरान्त अब हम आपके संगठन को एक मूर्त स्वरूप प्रदान करने की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार इससे संगठन की सीमाएं निर्धारित करने और उसके अधिदेश के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

चरण 3 *:* उपरोक्त पहलू को ध्यान में रखते हुए संगठन को मूर्त स्वरूप प्रदान करने का संतोषजनक निर्णय लिए जाने के उपरान्त अगला महत्वपूर्ण चरण यह सुनिश्चित करना होगा कि संगठन को राज्य/देश के सक्षम सार्वजनिक प्राधिकारी से उचित ढंग से पंजीकृत कराया जाए। इस औपचारिक प्रक्रिया से पहले निम्नलिखित पहलुओं के बारे में निर्णय करना महत्वपूर्ण होगा :–

- संगठन का नाम/उपनामः संगठन के नामकरण में उसके कार्यो का संकेत होना चाहिए अर्थात् उसका नाम यह इंगित कर सके कि संगठन का उद्देश्य क्या है अथवा वह किसके लिए कार्य करता है। सुनिश्चित करें कि कहीं प्रस्तावित नाम आवांछित या चित्त भ्रमित करने वाले तो नहीं हैं और उनका

पहले से प्रयोग नहीं किया जा रहा है या किसी अन्य पहले से विद्यमान संगठन के नाम से बिल्कुल मिलता–जुलता नहीं है। प्रस्तावित नाम ऐसे नहीं होने चाहिए कि उनसे भारत सरकार के आश्रय का अर्थ निकले या ऐसा अर्थ निकाला जा सके। सलाह दी जाती है कि 2 से 3 वैकल्पिक नामों के बारे में (अधिमान्यता क्रम में) विचारें करें क्योंकि पंजीकरण के दस्तावेज प्रस्तुत करते समय इनकी जरूरत पड़ सकती है।

- संगठन के लिए शुभंकर (प्रतीक चिह्न) : यह संगठन की दृष्टि को प्रकट करने वाला प्रतीक चिह्न है और आपके लेटर हैड, ब्रोशर या आपके संगठन के किसी प्रोत्साहक साहित्य में आपके संगठन के नाम के साथ इसे भी छापा जाएगा। नाम की तरह लोगो को भी भ्रमित करने वाला या पहले से मौजूद किसी कारपोरेट/राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के लोगों से मिलता–जुलता नहीं होना चाहिए। प्रतीक चिह्न/लोगो/नाम/उपनाम का चयन इस प्रकार किया जाए कि उसे प्रतीक और नाम (बचाव और अनुचित उपयोग) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।
- आपके संगठन का आकार– (बोर्ड के सदस्यों की संख्या)
- संगठन के उद्देश्य : (बोर्ड के सदस्यों की संख्या)
- संगठन के उद्देश्य : (संगठन की दृष्टि, मिशन और अधिदेश पर आधारित होना चाहिए। विशिष्ट तौर पर अभिव्यक्त किया गया हो और उसमें प्रत्याशित परिणामों को मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार दर्शाया गया है। उद्देश्यों की संख्या दस से बारह तक सीमित हो जो उन कारकों की सीमा पर निर्भर हो जिनके लिए आपके संगठन की काम करने की आशा है)
- कार्य संचालन और तकनीकी निर्णयः संगठन किन–किन सेवाओं/कार्यों को निष्पादित/प्रदान करना चाहता है : कार्य संचालन का स्थान/क्षेत्र एवं संगठन के कार्य की सीमा (स्थानीय/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय) क्या है : लक्ष्य समूह आदि।
- वित्त व्यवस्था संबंधी निर्णय : संगठन अपने कार्यकलापों के लिए निधि की व्यवस्था किस तरह से करेगा।
- संगठन के कानूनी अस्तित्व के बारे में निर्णय : (अर्थात् संगठन का पंजीकरण किस अधिनियम/अधिनियमों के अंतर्गत किया जाएगा)

16.2.1.3 पंजीकरण क्यों जरूरी है?

किसी तरह का औपचारिक पंजीकरण न होने पर भी कोई संगठन अपने कार्यकलापों का संचालन कर सकता है। तथापि पंजीकरण होने के बाद स्वैच्छिक संगठन एक वैधानिक सत्ता का रूप प्राप्त कर लेता है जो –

- अपने स्वयं के नाम पर वाद ला सकता है या उसके खिलाफ वाद लाया जा सकता है (कानूनी विवाद में शामिल हो सकता है)।
- किसी सम्पत्ति को अपने–नाम पर धारण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेता है।
- संगठन को कानूनी पहचान प्रदान कर सकता है और साथ ही निधि को प्राप्त करने की अपनी साख को बढ़ा सकता है और साथ ही अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को भी वैधता और साख प्रदान करवा सकता है।
- अपने सदस्य से स्वतंत्र होकर भी लम्बे समय तक कार्य करवा सकता है।
- संगठन के नाम से बैंक खाता खोलने में सहायता होता है।
- मौजूद कानूनों के अंतर्गत लाभों का दावा कर सकता है, उदाहरण के तौर पर कर से छूट माँग सकता है, आदि।

अतएव जब बोर्ड के सदस्य अपनी दृष्टि और मिशन के बारे में निर्णय ले लें तो उसके बाद शीघ्र ही उन्हें संगठन के आकार और उसके कार्य की प्रकृति के अनुसार उसके कानूनी वैधता दिलाने के बारे में सोचना चाहिए और तद्नुसार संगठन को किसी भी विद्यमान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराना चाहिए।

16.2.1.4 संगठन को औपचारिक आकार प्रदान करना

पंजीकरण *:* स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण पहली औपचारिक प्रक्रिया है जिससे इसे औपचारिक पहचान और कानूनी वैधता मिलती है। कई ऐसे अधिनियम हैं जिनके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठन स्वयं का पंजीकरण करवा सकते हैं। अपने प्रयोजन और आकार के आधार पर प्रत्येक संगठन देश में विद्यमान अधिनियमों में से किसी एक के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों की सूची नीचे दी गई है और कुछ अन्य अधिनियमों और उनके संशोधनों की सूची अनुबंध 3 और 4 में दी गई है :

- सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860
- विभिन्न राज्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
- भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
- बम्बई लोक न्यास अधिनियम, 1950
- परोपकारी और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920
- कंपनी अधिनियम, 1956 (धारा 25)

- सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912
- बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम

अब हम प्रत्येक कानूनी स्वरूप की विशेषताओं और उनके पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे।

16.2.4 सोसाईटी के रूप में पंजीकरण

पंजीकरण रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत प्रत्येक संगठन एक सोसाइटी होता है बशर्ते वह अधिनियम के खण्डों में वर्णित प्रयोजनों को पूरा करे। सोसाइटी व्यक्तियों का समूह है जिसका आशय एक विशिष्ट सामाजिक प्रयोजन को बढ़ावा देना होता है। अधिनियम के अंतर्गत सात या उससे अधिक व्यक्ति किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या परोपकारी प्रयोजन के लिए या अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत वर्णित किसी अन्य प्रयोजन के लिए एक सोसाइटी बना सकते हैं जिसके लिए उन्हें एक संगम ज्ञापन में अपना नाम लिखवाना होगा और सोसाइटी रजिस्ट्रार या विभिन्न राज्यों में अलग–अलग नाम प्रचालित पदनाम के सम्मुख उस संगम ज्ञापन को प्रस्तुत करना होगा। मध्य प्रदेश में इसे रजिस्ट्रार, सोसाइटीज के यहां संभाग स्तर पर पंजीयन कराने हेतु ज्ञापन के साथ स्वैच्छिक संगठन अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

सोसाइटी क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय हो सकती है। राष्ट्रीय प्रकृति की सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम आठ सदस्य विभिन्न राज्यों से लिए गए होने चाहिए।

16.2.4.1 प्रकिया

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत संगठन का पंजीकरण कराने के लिए संस्थापक या अंशदाता एक संगम ज्ञापन तैयार कराएंगे जिसमें सोसाइटी का नाम, सोसाइटी के उद्देश्यों उसके शासी निकाय के सदस्यों के नाम और पते और साथ में सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रमाणित प्रति शामिल होगी। इस संगम ज्ञापन को आवरण पत्र के साथ सोसाइटी रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र में सभी सोसाइटियों का पंजीकरण परोपकार आयुक्त के पास एक लोक न्यास के रूप में भी किया जाएगा। हालांकि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 जो एक केन्द्रीय अधिनियम है– में सोसाइटी के विधिक मामलों से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देशों की व्यवस्था है और वह पूरे भारत के संबंध में लागू है, तथापि विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य स्तर पर अधिनियमित किए गए कानून में स्थानीय जरूरतों और अपेक्षाओं के आधार पर भिन्नता रखी गई है। सोसाइटी को शासित करने वाला अद्यतन अधिनियम हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 है जो हिमाचल

प्रदेश राज्य के लिए लागू है। यह अधिनियम बहुत व्यापक और प्रक्रिया मूलक समझा जाता है। इस कानून का उद्देश्य स्वैच्छिक अधिशासन की परम्परा और पारदर्शिता लाना है।

16.4.2.1 पंजीकरण के साथा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. **आवरण पत्र** : यह आपके संगठन का पंजीकरण करने के लिए रजिस्ट्रार से अनुरोध है इसमें रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेजों की सूची भी शामिल की जाएगी। आवरण पत्र का मानक प्रारूपइस इकाई के अंत में दिया गया है।
2. **संगम ज्ञापनः** यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके निम्नलिखित खण्ड होंगे :

क. **संगठन का नाम** : यह संगठन के कार्यो को इंगित करने वाला होता है। ध्यान रखें कि पंजीकरण हेतु संगठन का नाम लिखते समय (वरीयता क्रम में) कम से कम दो या तीन वैकल्पिक नामों का उल्लेख करें। यह करना आवश्यक होता है क्योंकि यह पहले वाला नाम उपलब्ध नहीं है तो रजिस्ट्रार अगले नाम विचार कर सके और इसी को आधार बनाकर आपके पंजीकरण को निरस्त न किया जा सके।

ख. **पंजीकरण कार्यालय/स्थान** : वह स्थान है जहाँ से संगठन अपना कार्य करना शुरू करेगा। इसी पते पर संगठन के सभी दस्तावेज/पत्र व्यवहार प्राप्त होंगे। यह पता बाद में बदला जा सकेगा।

ग. **संगठन के उद्देश्य और प्रायोजनः** इनका उल्लेख स्पष्ट रूप में किया जाना चाहिए। यह कार्य पूरी सावधानी से और संगठन की दृष्टि और मिशन को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी संभावित कार्यकलापों को भी संक्षेप में रेखांकित किया जाए जिनका निष्पादन वर्तमान में और निकट भविष्य में संगठन करने की इच्छा रखता है। (जैसे.....उठाने, को संगठित करने....., को स्थापित करने ..... आदि, आदि) ''उद्देश्य खण्ड'' में की गई परिभाषा से बाहर आने वाले किसी भी कार्य को अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है।

घ. शासी निकाय के सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय तथा सोसाइटी में उनके पदनाम और साथ में हस्ताक्षर।

16.4.2.2 संगम ज्ञापन के कलेवर में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे :

- सोसाइटी का नाम
- सोसाइटी का पंजीकृत/प्रधान कार्यालय

- सोसाइटी के उद्देश्य
- शासी निकाय के सदस्यों जिन्हे सोसाइटी के नियम और उसके कार्यकलापों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी के नाम, पते, पदनाम, आयु, व्यवसाय और राष्ट्रीयता
- संगम ज्ञापन में शामिल (कम से कम सात) सदस्यों के नाम पते और हस्ताक्षर (विधिवत साक्ष्यांकित)।
- साक्षी का पूरा नाम और पता (ओथ कमीशनर/नोटरी/अधिवक्ता/ सीए/राजपत्रित अधिकारी–उनके हस्ताक्षर और अधिकृत मोहर के साथ)

16.4.2.2 नियम और विनियम

सोसाइटी के नियम और विनियम शासी निकाय के सदस्यों अथवा सोसाइटी के प्रबंधन के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए सोसाइटी के कार्यों का विनियमित करने के लिए दिशा–निर्देश होते हैं। नियम सोसाइटी के उद्देश्यों के संचालन में प्रबंधन की मदद करते हैं। आपकी सोसाइटी के नियम और विनियम किसी नए सदस्य या बाहरी व्यक्ति को यह बताते हैं कि आपके संगठन का प्रशासन कैसे संचालित किया जाता है। सोसाइटी को सक्षम पंजीकरण प्राधिकारी से पंजीकृत कराते समय इन नियमों–विनियमों को दो प्रतियों में संगम ज्ञापन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। नियमों और विनियमों को शासी निकाय के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। सोसाइटी के नियम–विनियम प्रारूपित करते समय निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित किया जाए :

- सोसाइटी का नाम, स्थान और कार्य क्षेत्र।
- नियमों–विनियमों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या जैसे सोसाइटी का अभिप्राय है, अधिनियम का अभिप्राय है, आदि आदि।
- सदस्यता ग्रहण करने के नियम (जैसे कोई भी व्यस्क व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य बन सकेगा)। सदस्यता को समाप्त करना या उसका अंत करना – सदस्यता समाप्त करने या उसका अंत करने का आधार/शर्तें।
- महासभा– परिभाषा (अर्थात् सभी सदस्य समान्य निकाय के सभी सदस्य सामान्य निकाय हिस्सा होंगे)– महासभा की बैठक में किस तरह के निर्णय लिए जा सकेंगे।
    - बैठकों के अंतराल

- गणपूर्ति (बैठक के वैध घोषित किए जाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है) बैठक का नोटिस और उसके आयोजन अंतराल
- सदस्य– उनकी शक्तियाँ, कर्त्तव्य और कार्य कलाप
- सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार

- शासी निकाय – गठन (संख्याबल को इंगित करें – अर्थात् सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या जिसके अन्तर्गत पदाधिकारी और शासी सदस्य भी शामिल होंगे) जो सदस्य हो सकते हैं (न्यूनतम सात और अधिकतम पन्द्रह सदस्यों के नाम का उल्लेख करें)
  - समयावधि – बैठक का नोटिस – गणपूर्ति– बैठकों के बीच समय का अंतराल
  - शासी निकाय के कार्य और शक्तियाँ
  - शासी निकाय का गठन और उसके प्रत्येक पदाधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य
  - अपील, निर्वाचन आदि।

- सोसाइटी के आय/निधि के स्त्रोत
- वित्तीय वर्ष
- लेखा परीक्षा (प्रत्येक वर्ष योग्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा की जानी हो)
- बैंक में खाता और उसका संचालन (खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाए)
- विधिक प्रक्रिया (किसके द्वारा संचालित की जाएगी)
- सोसाइटी के परिसमापन का तरीका
- संगम ज्ञापन और नियमों–विनियमों में संशोधन के लिए किन–किन मानदण्डों का अनुपालन किया जाएगा। (ये संशोधन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 और 12 क के अनुसार किए जा सकेंगे)
- कानूनी कार्यवाई/प्रक्रिया – सोसाइटी की ओर से किसके नाम पर वाद लाया जाएगा या किसके नाम से वाद लाया जा सकेगा।

- अधिनियम को लागू किया जाना – अर्थात् (सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की सभी धाराओं के सभी प्रावधान जिस रूप में (राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश, क्षेत्र का नाम) पर लागू होते हैं उसी रूप में इस सोसाइटी पर भी लागू होंगे)
- प्रमाण पत्र (नियमों–विनियमों को प्रमाणित करने वाले शाही निकाय के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र)

नियमों और विनियमों के अंत में सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और अधिकृत मुहर लगा होना चाहिए। साथ ही यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि ''यह उपनियमों की सत्य प्रतिलिपि है''। नियमों पर शासी निकाय के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किए जाएं। नियमों और विनियमों के अंत में निम्नलिखित प्रमाण–पत्र दिया जाए और सोसाइटी के कम से कम तीन महत्वपूर्ण सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

''प्रमाणित किया जाता है कि यह सोसाइटी के नियमों – विनियमों की सत्य प्रतिलिपि है''

(अध्यक्ष)	(सचिव)	(सदस्य)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

समुचित मूल्य के न्यायिकवत् स्टाम्प पेपर पर सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव की ओर से एक शपथपत्र दिया जाएगा जिसमें अशंदाताओं के बीच संबंध को स्पष्ट किया जाएगा। इस शपथपत्र को ओथ कमीशनर, नोटरी पब्लिक, राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इसे दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

दस्तावेजी सबूत जैसे संपति कर रसीद, सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में दर्शाए गए परिसर के संबंध में किराए रसीद का परिसर के मालिक की ओर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र ।

16.4.2.3 दस्तावेजो का जमा करना

चरण एक : आपको अपने नगर या राज्य में स्थित सोसाइटी रजिस्ट्रार/पंजीकरण का निरीक्षक (उसे जिस पदनाम से पुकारा जा रहा हो) के कार्यालय में जाना पड़ेगा। जिला स्तरों पर उप रजिस्ट्रार के कार्यालय भी हैं। यदि परोपकार आयुक्त हैं तो आपको अपने दस्तावेजों के साथ आयुक्त के कार्यालय में जाकर आवेदन करना पड़ेगा।

चरण दो : आपको आवरण पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की दो–दो प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी :–

- संगम ज्ञापन
- नियम और विनियम
- दस्तावेजी सबूत
- शपथ पत्र

चरण तीन : पंजीकरण शुल्क का भुगतान

आमतौर पर सोसाइटी के पंजीकरण शुल्क के रूप में एक शुल्क (राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार)का भुगतान होता है और उसके साथ एक आवेदन पत्र लगाना होता है। शुल्क का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है या नगद रूप में भुगतान किया जा सकता है और दस्तावेज जमा कराने के बाद शुल्क का भुगतान किया जाए। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को एक पत्र द्वारा सूचित करता है कि सभी औपचारिकता पूरी कर दी गई है और जमा किए गए दस्तावेज स्वीकार्य हैं। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाए। अलग–अलग राज्यों में यह भिन्न–भिन्न है।

चरण चार : जब आप सारी चीजें रजिस्ट्रार के पास जमा करा चुकेंगे उसके बाद रजिस्ट्रार सभी दस्तावेजों की जाँच कराएगा और सब कुछ वैध और तथ्यात्मक पाए जाने के बाद आपके संगठन का पंजीकरण कर दिया जाएगा।

16.2.5 न्यास बनाना

न्यास एक अनुबंध है जो किसी सम्पत्ति से मिलने वाले लाभ का प्रयोग अन्य व्यक्तियों को दिये जाने के लिए उस व्यक्ति के साथ विश्वास के आधार पर किया जाता है जो उस संपत्ति का स्वामी या न्यासी बनाया जाता है, यह लाभ अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ सम्पत्ति का स्वाामी या न्यासी स्वयं अपने लिये भी प्रयोग कर सकता है। परोपकारी न्यास एक विधिक सत्ता है जिसकी स्थापना ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो अपनी कुछ परिसम्पत्ति परोपकारी प्रयोजनों के लिए देने का वचन दे। परोपकारी प्रयोजन में निर्धन व्यक्तियों को सहारा और राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत, मनोरंजन की सुविधा अथवा सामान्य जन के उपयोग हेतु अन्य वस्तुओं की व्यवस्था शामिल है।

16.2.5.1 प्रकिया :

चरण एक: यह निर्णय करना कि न्यास की स्थापना किस प्रयोजन के लिए की जाएगी। न्यास की स्थापना विभिन्न प्रयोजनों के लिए की जा सकती है। इसकी स्थापना किसी परिवार द्वारा, किसी वयस्क द्वारा अपने बच्चे के

लिए की जा सकती है, साथ ही परोपकारी प्रयोजनों के लिए भी जा सकती है। न्यास के रूप में संगठन की स्थापना करना अपेक्षाकृत सरल है। न्यास की स्थापना कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा भी की जा सकती है। जिसके लिए न्यास विलेख का पंजीकरण किया जाएगा। न्यास विलेख के अंतर्गत कोई अन्य विधिक दस्तावेज जैसे कागज हो सकते है। न्यास का पंजीकरण उस जिले के पंजीकरण उप रजिस्ट्रार के यहाँ कराया जाता है जिस जिले में वह स्थित होता है। न्यास पूरी तरह सरकार से स्वतंत्र होते है और उनके ऊपर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता है।

न्यास का प्रमुख दायित्व परोपकारी प्रयोजनों के लिए न्यास विलेख के मानदण्डों के दायरे में रहते हुए करता है। तथापि, भारत में दो कानून प्रचलित हैं। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 और परोपकारी एवं धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 लोक न्यासों में भी इन अधिनियमों में वर्णित सिद्धांतों को लागू किया जाता है। जिन राज्यों में ऐसा विनिर्दिष्ट किया गया है (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश) उनमें लोक हितकारी न्यासों का पंजीकरण संबंधित राज्य के परोपकार आयुक्त से भी कराना अनिवार्य होता है। लोक हितकारी न्यास की स्थापना के लिए, न्यास का उद्देश्य परोपकार और सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं होना चाहिए और इसका स्पष्ट उल्लेख न्यास विलेख में होना चाहिए।

चरण दो : न्यास विलेख तैयार करना

न्यास विलेख न्यास के अस्तित्व के सबूत का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। यह एक प्रमुख दस्तावेज है जो सोसाइटी की तरह किसी संगठन के कार्य विनियमित करता है और उस पर नियन्त्रण रखता है, न्यास के प्रबंधन के लिए कोई विशिष्ट कानूनी दिशा–निर्देश नहीं हैं। न्यास का दायित्व परोपकारी प्रयोजनों के लिए न्यास विलेख के मानदण्डों के दायरे में काम करना है। अतएव इसे पूरी सावधानी बरतते हुए उचित शब्दों का चयन करके तैयार किया जाना चाहिए। न्यास में निम्नलिखित तथ्यों का होना अनिवार्य है :

1. न्यास के संस्थापक का नाम :
2. संस्थापक की न्यास सम्पत्ति छोड़ने की इच्छा :
3. न्यासियों के नाम (प्रबंधन बोर्ड/वे व्यक्ति जो लाभ ग्राहियों के लाभ के लिए न्यास सम्पत्ति का प्रबंधन करेंगे):
4. वह नाम जिससे न्यास को जाना जाएगाः
5. प्रधान कार्यालय का पता :
6. कार्य का क्षेत्र : राज्य, मोहल्ला आदि :
7. न्यास के उद्देश्य और प्रयोजन (स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में) :
8. सदस्य/न्यासी

- न्यासियों की न्यनूतम और अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट करें
- सदस्यता की पात्रता (आयु, योग्यता, राष्ट्रीयता, रूझाान आदि)
- अशंदान की राशि (कितनी निर्धारित की गई है)

9. प्रबंधन/प्रशासन
   - न्यासी की नियुक्ति/निष्कासन/प्रतिस्थापन की प्रक्रिया
   - पदनाम (अध्यक्ष, महासचिव, वित्तसचिव)
   - भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ, अधिकार और कर्त्तव्य
   - कार्यों को सौंपा जाना, जिम्मेदारी ठहराया जाना, समितियों की

   नयुक्ति स्टॉफ की नियुक्ति, वेतन –भत्तों का निर्धारण, कार्य का विवरण और पदनामों आदि के संबंध में निर्णय कौन लेगा।
10. बैठकों का आयोजन/संकल्पों को अंगीकार किया जाना
    - गणपूर्ति (सामान्य और विशिष्ट संकल्पों आदि को अंगीकार किये जाने के लिए वांछित सदस्यों की संख्या और प्रतिशत)
11. वित्त :
    - चेक पर हस्ताक्षर कौन करेगा
    - रोजमर्रा के लेखा–जोखा की देखभाल कौन करेगा
    - बैंक में खाता खुलवाना और उसका संचालन करना
    - कानूनी लेखा–परीक्षा और अन्य विधिक औपचारिकताएं, लेखा–परीक्षक की नियुक्ति आदि

12. निधि और संसाधानों की व्यवस्था

    - यह कार्य कौन करेगा
    - यह कार्य कैसे किया जाएगा
    - किन साधनों का उपयोग किया जाएगा
13. आवश्यक होने पर उद्देश्यों, क्षेत्रों या किसी अन्य बातों में संशोधन कैसे किए जाएंगे
14. यदि किसी कारण से संगठन अपना कामकाज बन्द करता है तो उसकी परिसम्पत्ति और नगद राशियों को बोर्ड के अनुमोदन से अन्य सदृश संगठन को दे दिया जाएगा।

यह सुनिश्चित करें कि न्यास विलेख के अन्त में संस्थापकों और न्यासियों दोनों ओर दो साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएं। इस तरह न्यास विलेख में उस स्वैच्छिक संगठन के कामकाज का संक्षिप्त ब्यौरा होता है जिसे आमतौर पर न्यास कह कर पुकारा जाता है।

पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज

- न्यास विलेख
- अध्यक्ष/सचिव/न्यासी की ओर से न्यायिकवत् स्टाम्प पेपर पर शपत्र पत्र। शपथ पत्र को कार्यपालक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- पंजीकृत कार्यालय के परिसर का दस्तावेजी साक्ष्य। यह साक्ष्य गृह कर रसीद या किराया रसीद जैसे कागजात हो सकता है। भूस्वामी की ओर से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाए।

चरण 3 : न्यास विलेख का पंजीकरण

न्यास विलेख सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है न्यास विलेख का पंजीकरण करवाएं। बगैर पंजीकरण आयकर अधिनियम विदेश अशंदान विनियमन अधिनियम के आधीन पंजीकरण कराना संभव नहीं होगा। विलेख का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकार के पंजीकरण विभाग के उपरजिस्ट्रार के यहाँ कराया जाता है। जब आपके सारे दस्तावेज पंजीकरण के लिए तैयार हो जाएं तब आप उसे क्षेत्रीय परोपकार आयुक्त के पास भी ले जा सकते हैं।

16.2.6 लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में पंजीकरण

स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत लाभ न कमाने वाली कंपनी के रूप में भी कराया जा सकता है। लाभ न कमाने वाली कंपनी का स्वरूप सोसाइटी जैसा होता है। ऐसी कंपनी की स्थापना लाभ न देने वाले कार्यकलाप के लिए की जा सकती है और उसका ढाँचा सोसाइटी की तरह का हो सकता है। यह हर तरह से एक सामान्य कंपनी के समान ही होगी किन्तु उसकी स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना या व्यापार करना नहीं होगा। उसका भी एक शासी निकाय (निदेशक बोर्ड) होगा, पदधारी (सदस्य) होंगे और यह संगम ज्ञापन तथा संघ नियमावली के आधार पर कार्य करेगी। अंतर वांछित दस्तावेजों के प्रकार और पंजीकरण की प्रक्रिया की जटिलता में होगा। यह भी व्यक्तियों का स्वैच्छिक संघ है और उसे आमतौर पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी के रूप में जाना जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 पूरे देश में स्थिति लाभ न कमाने वाली कंपनियों के संबंध में समान रूप से लागू है। केन्द्र सरकार कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत किसी स्वैच्छिक को संगठन को लाइसेंस प्रदान कर

सकती है। लाइसेंस प्रदान किए जाने के बाद सदस्यों को कंपनी के नाम के साथ ''लिमिटेड'' या ''प्राईवेट लिमिटेड'' शब्द जोड़े बगैर सीमित देयताओं की अनुमति दी जाती है।

लाभ न कमाने के लिए कंपनी की स्थापना किसी गैर लाभकारी कार्यकलाप के लिए की जा सकती है। लाभ न कमाने वाली कंपनी के उद्देश्य वाणिज्य को बढ़ावा देना, कला, विज्ञान, धर्म, परोपकार या कोई अन्य उपयोगी कार्य हो सकता है। इन कार्यों से मिलने वाले लाभ का उपयोग केवल कंपनी के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है तथा इसके सदस्यों को लाभांश नहीं दिया जाता। लाभ न कमाने वाली कंपनी सार्वजनिक या निजी हो सकती है। यदि यह एक निजी कंपनी है तो इसके गठन के लिए न्यूनतम तीन सदस्यों की जरूरत होती है, तथपि यदि यह कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तब न्यूनतम सात व्यक्तियों की जरूरत होती है।

पंजीकृत सोसाईटी से उलट यदि कंपनी वार्षिक विवरणी नियमित रूप से जमा करती है तो उसे अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करना पड़ता। यह कुछ खास छूटों और रियायती दर के शुल्क जैसे फायदे पाने की भी पात्र होती है कानूनी घोषणा संबंधी अपेक्षाएं कंपनी को अधिक पेशेवर एवं संगठित कार्यशैली वाली बनाती है। पूरे हिसाब–किताब होने के कारण इसे संचालन संबंधी पारदर्शिता, लोगों का भरोसा और जवाबदारी का लाभ मिलता है।

16.2.6.1 प्रक्रिया

संगठन को कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक संबंधी राज्य की राजधानी में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना पड़ता है।

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय आमतौर पर प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थित है। तथापि निम्नलिखित राज्यों के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय उनके सामने उल्लिखित स्थानों पर स्थित हैं:

- असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैण्ड, अरूणाचल, मिजोरम – शिलांग
- हरियाणा – दिल्ली
- दादर और नागर हवेली – अहमदाबाद,
- मध्यप्रदेश – ग्वालियर
- उड़ीसा – कटक
- पंजाब, हिमाचल और चण्डीगढ़ – जलंधर
- उत्तर प्रदेश – कानपुर

- केरल, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिन्दीव, द्वीपसमूह – कोचिन
- कोएम्बतूर, नीलगिरि, पेरियार और धरमुरी – कोएम्बतूर

16.2.6.2 लाभ न कमाने वाली कंपनी स्थापित करने/उसका पंजीकरण कराने के चरण

चरण 1 :कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत चैरिटेबल कम्पनी का पंजीयन

कम्पनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत कम्पनी बनाने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा आवेदन पत्र फार्म 12 में कम्पनी के रजिस्ट्रार को किया जायेगा। फार्म 12 के प्रथम भाग में धारा 8 के अंतर्गत कम्पनी बनाने हेतु 'अ' भाग तथा लाइसेंस हेतु 'ब' भाग की जानकारी भरनी होती है। आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ कम्पनी के रजिस्ट्रार कार्यालय में करना होता है। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज भी लगाने होते हैं :

- ड्राफ्टमेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन
- ड्राफ्ट आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन

फार्म 14 में घोषणा

फार्म 15 में घोषणा

अगले तीन वर्ष की आय तथा व्यय के अनुमान विवरण।

अधिनियम के अंतर्गत धारा 8 की कम्पनी व्यवसाय, कला, खेलकूद, शिक्षा, शोध, समाज कल्याण, धर्म पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों के लिए स्थापित की जा सकती है। इस कम्पनी के माध्यम से किसी भी सदस्य के लाभांश नहीं देय होता है। इसलिए यह एक अलाभकारी कम्पनी होगी।

धारा 8 कम्पनी के लिए न्यूनतम दो व्यक्तियों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। कम्पनी गठन के लाइसेंस मिलने के बाद

- आवेदन पत्र फार्म .7
- आवेदन पत्र फार्म 22
- आवेदन पत्र फार्म 12

आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड की प्रति, पता का प्रमाण, सभी निदेशकों की पासपोर्ट फोटो, निदेशकों का सहमति पत्र, एवं अन्य वांछित कागजात जमा करना आवश्यक है। इनके साथ कम्पनी पंजीयन हेतु आवेदन सम्बन्धित कम्पनी के रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करना होता है। आवेदन पत्र के उचित होने पर एवं रजिस्ट्रार की संतुष्टि पर आवेदन पत्र फार्म 16 में कम्पनी का लाइसेंस निर्गत होता है।

संगठन के नाम को अनुमोदित कराने के लिए आवेदन प्रपत्र भरकर संगत दस्तावेजों के साथ कम्पनी रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। वरीयता क्रम में चार नामों की सूची प्रस्तुत की जाती है ताकि यदि पहले वाले नाम को अनुमोदित न किया जाए तो दूसरे नामों के विकल्प मौजूद रहे। यह जाँच लें कि दिए गए नाम पहले से प्रयोग में नहीं हैं और प्रतीक एवं नाम (बचाव एवं उचित उपयोग) अधिनियम, 1950 में दिए गए प्रावधानों की पुष्टि करते हैं।

- आमतौर पर रजिस्ट्रार सात दिनों के भीतर वांछित नाम की उपलब्धता के बारे में सूचित करेगा।
- संगठन के नाम पर पुष्टि प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्तावित कम्पनी के लिए संगम ज्ञापन और संघ नियमावली तैयार की जाए।

चरण2 *:* लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय निदेशक (कम्पनी मामले विभाग) को आवेदन करें :–

- (मुम्बई, कलकत्ता, कानपुर या चेन्नै में) क्षेत्रीय निदेशक को धारा 8 के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया जाए।
- आवेदन की पड़ताल करने और रजिस्ट्रार की सिफारिशों पर विचार करने के बाद क्षेत्रीय निदेशक लाइसेंस प्रदान करेगा और कम्पनी द्वारा प्रयोग किए जा रहे ''प्राइवेट लिमिटेड'' या ''लिमिटेड'' शब्दों को हटाने की अनुमति प्रदान करेगा।

चरण 3 *:* क्षेत्रीय निदेशक से लाईसेंस प्राप्त करने के उपरान्त संगम ज्ञापन और संघ नियमावली को (तीन प्रतियों में जिन पर सभी प्रवर्तकों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किए गए हों) कम्पनी रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

चरण 4 *:* यह सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिए गए हैं। पंजीकरण एवं आवेदन शुल्क (विभिन्न स्तरों के लिए यथा निर्दिष्ट रूप में) जमा कर दिए गए हैं। तब कम्पनी रजिस्ट्रार संगठन को निगमन प्रमाण पत्र जारी करेगा।

धारा 8 के अधीन कम्पनी के पंजीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित आरेखण में सारबद्ध किया जा सकता है :

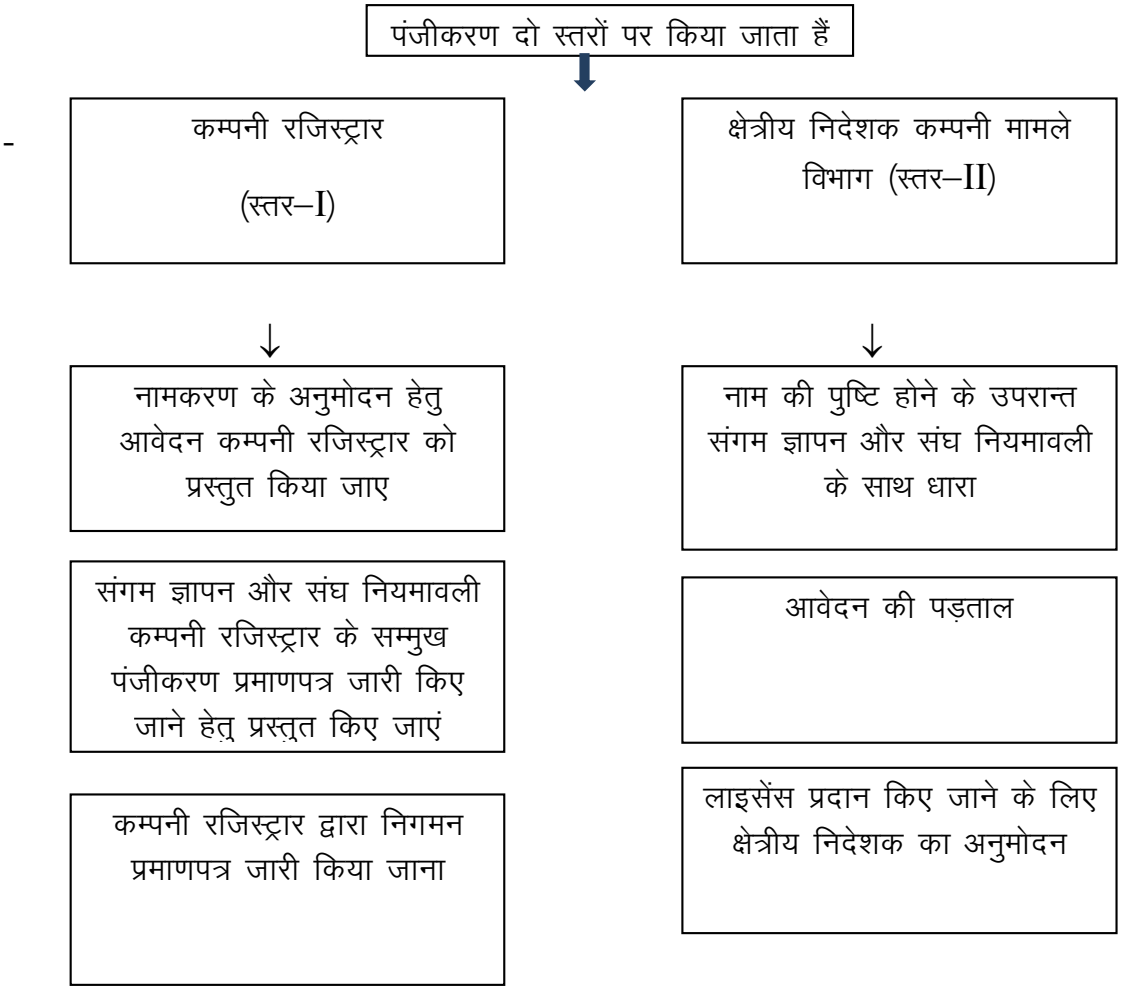

निष्कर्ष रूप में स्वैच्छिक संगठन की कानूनी मान्यता निम्नलिखित पर निर्भर है :

- कार्य की प्रकृति
- प्रबंधन ढाँचा
- वित्तपोषण का स्त्रोत
- कार्य क्षेत्र

तथापि यह सदैव वांछनीय समझा जाता है कि मामलों के सम्बन्ध में किसी ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेण्ट से परामर्श लिया जाए जिसके पास स्वैच्छिक संगठनों के काम करने का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो। संगठन का

पंजीकरण हो जाने के उपरान्त कम्पनी को अपने शुंभकर का पंजीकरण ट्रेडमार्क और पेटेण्ट अधिनियम के तहत करने की कार्यवाही करनी चाहिए जिसके लिए शुंभकर के साथ एक सक्षिप्त प्रोत्साहन वाक्य (टैगलाइन) लिखकर आवेदन किया जा सकेगा। यह आपके संगठन की विशेषताओं को बेहद निराले ढंग से अभिव्यक्त करने का एक प्रभावकारी तरीका हो सकता है और इससे आपके संगठन की और दानदाता उस रूप से देखेगें जिस रूप में चाहते हैं। अतएव ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके शुभंकर एवं प्रोत्साहन वाक्य (टैगलाइन) आपके संगठन की दृष्टि/मिशन को अभिव्यक्त करने के लिए पूरी तरह समर्थ है।

16.2.7 सहकारी समिति के रूप में पंजीकरण

भारत में इन प्रमुख वैधानिक स्वरूपों के प्रचलित होने के अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठन यह भी जानना चाहेंगे कि सहकारी समिति की स्थापना कैसे की जाती है क्योंकि समुदाय स्तर पर स्वसहायता समूहों और सहकारी समितियों का गठन करके कार्यक्रमों का संचालन करने के इच्छुक संगठनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है। तथापि स्वैच्छिक क्षेत्र में सभी तरह की सहकारी समितियाँ शामिल नहीं है।

सहकारी समिति ऐसे व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जो आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर कार्य करते है। जो लोग किसी साझा आर्थिक उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना चाहते है वे सहकारी समिति के रूप में एक सोसाइटी बना सकते हैं जो स्वःसहायता और परस्पर सहायता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं इस मामले में कुछ लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं, अपने–अपने संसाधनों का एक पूल सृजित करते हैं, उसे यथा संभव सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं और उससे कुछ साझा लाभ प्राप्त करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य सदस्यों को सहयोग प्रदान करना और लाभ कमाने के बजाए सेवा करना, लाभ कमाने के बजाए परस्पर सहायता करना, निर्भर होने के बजाए स्वः सहायता करना है।

हमारे देश में सहकारी समितियों का विनियमन दो प्रमुख विधानों के अन्तर्गत किया जाता है :–

क) भारतीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912

ख) बहु–राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002

2.7.1 भारतीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912

साझा अर्थिक उद्देश्यों की संविदा करने की क्षमता रखने वाले न्यूनतम दस व्यक्ति भारतीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 के प्रावधानों के अनुसार एक सहकारी समिति बना सकते हैं जिसका प्रमुख उद्देश्य

परस्पर के माध्यम से समान के पिछड़े वर्ग के लोगों की सेवा करना होगा। अधिनियम में किसी सहकारी समिति के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या के बारे में विनिर्देश नहीं हैं। सहकारी समिति बना लेने के बाद उसके सदस्य, उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या के बारे में विनिर्धारण कर सकते है।

भारतीय सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1912 के अधीन सहकारी समिति के पंजीकरण के चरण

चरण 1 : उपविधियों के साथ एक आवेदन (जिस पर सहकारी समिति बनाने के इच्छुक सभी सदस्यों के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होंगे सदस्यों की न्यूनतम संख्या दस होगी) उस राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वह सहकारी समिति कार्य करेगी।

चरण 2 : समिति के नियमों–विनियमों/उप–विधियों के दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- समिति का नाम, पता, उद्देश्य और प्रयोजन
- सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय
- नए सदस्यों को शामिल करने का तरीका
- साझा पूंजी और उसका विभाजन

चरण 3 : रजिस्ट्रार इस बात का समाधान कर लेने के बाद कि सहकारी समिति के नियम और उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

16.2.7.2 बहु–राज्य सहकारी समितियाँ

भारतीय सहकारी समितियाँ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी का कामकाज उसी एक राज्य में सीमित होती है जहाँ उसका पंजीकरण किया गया है यदि कोई सहकारी समिति एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की सेवा करना चाहती है तो उसे अपना पंजीकरण बहु–राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम 2002 के अंतर्गत कराना पड़ेगा।

बहु–राज्य सहकारी समिति वह समिति है जो बहु–राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत की गई समझी जाती है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी समिति या संघीय सहकारी समिति भी शामिल

हैं। अतएव बहु–राज्य सहकारी समिति की शाखाएं भारत के अन्य राज्यों में भी हो सकती है। इसके लिए सहकारी समिति में कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए और कम से कम दस–दस सदस्य पाँच राज्यों में होने चाहिए।

16.2.2.1 बहु–राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002

यह अधिनियम उन सभी सहकारी समितियों पर लागू होगा जिनका उद्देश्य केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। इसके अन्तर्गत भारतीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 के अधीन निगमित की गई और साथ ही 1942 या 1984 के अधिनियम के अधीन पूर्व में बनाई गई बहु–राज्य सहकारी समितियाँ भी शामिल होगी।

बहु–राज्य सहकारी समिति का पंजीकरण और विनियमन सहकारी समितियों के एक केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जिसको केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। उपविधियों की एक प्रति के साथ आवेदन केन्द्रीय रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है।

- सदस्यों के कर्तव्य, अधिकार और देयताएं
- आम सभा के सदस्यों के सदस्यों मुख्य कार्यपालक और अन्य पदाधिकारियों की सूची
- सदस्यों एवं मुख्य कार्यपालक के अधिकार और विशेष अधिकार
- सदस्यता का कार्यकाल
- निदेशक बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य

स्वैच्छिक संगठन जिन समुदायों/समूहों के लिए उन्हें एक सहकारी समिति के रूप में गठित किया गया है उनकी मदद कर सकता है। सहकारी समिति एक विशेष तरह का व्यवसायी संगठन है जो अपने कार्यक्रमों के संचालन से सतत् लाभ प्राप्त करके समुदायों को लाभान्वित कर सकता है। उन्हें अन्य संगठनों से पृथक करने वाली उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है :–

- संयुक्त स्टाक कम्पनी की तुलना में इसका गठन आसान है
- सदस्यता साझा हित रखने वाले सभी लोगों के लिए खुली होती है। कोई सक्षम व्यक्ति कभी भी इच्छानुसार इसका सदस्य बन सकता है और उसकी तरह इसकी सदस्यता छोड़ सकता है।
- सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए पंजीकरण के नाते सहकारी समितियों पर राज्य का नियंत्रण होता है।

- सहकारी समिति का नियंत्रण लोकतांत्रिक ढंग से किया जाता है (इसके लिए उसको समिति के प्रतिनिधियों का चयन मतदान द्वारा किया जाता है जो इसके रोजगारों के प्रशासन की देख भाल करते हैं)।
- इसके गठन का प्रमुख उद्देश्य लोगों की सेवा है न कि अन्य व्यवसायी संगठनों की तरह अधिक से अधिक लाभ कमाना।
- पंजीकरण के उपरांत एक पृथक विधिक सत्ता बन जाती है। जिसके सदस्यों की देयताएं सीमित होती है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालियएपन या पागलपन से समिति के अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इसका जीवन स्तर होता है।
- सदस्यों को सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त यह आय का सृजन भी करती है जिसका विवरण शेयरों के आधार पर नहीं बल्कि सोसाइटी के कामकाज में सदस्यों की भागीदारी के आधार पर किया जाता है।
- चूंकि सदस्य स्वयं इसके कामकाज की देखभाल करते हैं इसलिए इससे किसी बिचौलिए को कोई लाभ नहीं मिलता।
- सहकारी समिति केन्द्रीय और राज्य सरकारों के माध्यम से तरह–तरह की सहायता लेने के लिए पात्र है जो पूंजी के योगदान, कम ब्याज दर पर ऋण कर में छूट या ऋण के पुनर्भुगतान में आर्थिक सहायता आदि के रूप में हो सकती है।

16.2.8 स्वैच्छिक संगठनों के सम्बन्ध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर

स्वैच्छिक संगठन शुरू करने के बुनियादी तथ्यों और पंजीकरण संबंधी विभिन्न प्रकार के कानूनों के बारे में चर्चा के उपरान्त, प्रायः पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए जा रहे हैः–

1. **किसी स्वैच्छिक संगठन के लिए सोसाइटी न्यास या कम्पनी किस तरह का संगठन बनाना सबसे अच्छा विकल्प होगा ?**

   मुख्यतः यह उन व्यक्तियों की जरूरतों और अपेक्षाओं पर निर्भर है जो स्वैच्छिक संगठन बनाने के लिए एकजुट होते हैं। उन्हें अपने कार्यकलापों की प्रकृति, प्रबंधन ढांचा निधिपोषण के स्त्रोत और कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए स्वयं अपनी स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और उसके बाद उन्हें ही यह

निर्णय करना होगा कि वह सबसे अधिक उपयुक्त अधिनियम कौन है जिसके अंतर्गत वे अपने संगठन का पंजीकरण करना सकते है।

2. क्या कोई पंजीकृत सोसाइटी अपने नाम/उपनाम शुभंकर, पते और सदस्यों आदि में परिवर्तन कर सकती है?

3. क्या कोई पंजीकृत सोसाइटी अपने उद्देश्यों, उपविधियाँ, नियम और विनियमों में परिवर्तन कर सकती है?

जी हाँ संगत अधिनियमों के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत संगठन यह कार्य आसानी से कर सकता है। तथापि, इस आशय का एक संकल्प संगठन के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाना हो (यह संकल्प आम सभा की बैठक में संगम ज्ञापन के अनुसार पारित किया जाएगा (जैसे यह सोसाइटी यह संकल्प लेती है कि....)

4. क्या एक पंजीकृत सोसाइटी को एक गैर–लाभकारी कम्पनी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है?

जी हाँ, अपने विद्यमान सोसाइटी को एक गैर–लाभकारी कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आप वही नाम प्राप्त कर भी सकते हैं या नहीं भी। यह कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत नए सिरे से पंजीकरण होगा। पंजीकरण हो जाने के बाद पुराने संगठन का विलय कर दिया जाएगा। उसकी आस्तियों और दयताओं को नई कम्पनी को सौंप दिया जाएगा। इसी प्रकार विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम धारा 80 जी धारा 35 आदि के अंतर्गत भी नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा।

5. क्या एक न्यास को एक सोसाइटी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता हैं?

जी हाँ, यह संभव है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया वही होगी जो एक नए संगठन को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कराने की है। तथापि कई बार यह संभव नहीं होता कि न्यास के नाम को बनाए रखा जाए क्योंकि हो सकता है कि उसी नाम से किसी ने अपनी सोसाइटी का पंजीकरण पहली कराया हो।

कुछ मामलों में एक मौजूदा न्यास जिसके बारे में ये समझा जाता है कि उसका उद्देश्य सदृश है का किसी मौजूदा सोसाइटी के साथ विलय कर दिया जाता है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

6. क्या भारतीय समितियाँ अधिनियम 1912 के अधीन एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत संगठन को बहु–राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के अधीन एक सोसाइटी का रूप दिया जा सकता है?

जब कोई संगठन खासतौर पर एक सहकारी समिति अपने कामकाज के क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक राज्यों में करना चाहता है और बहु–राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वर्णित मानदण्डों को भी पूरा करता है तो उसे अपना पंजीकरण इस अधिनियम के अंतर्गत कराना होगा। ऐसा करना अनिवार्य है क्योंकि भारतीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 के तहत पंजीकृत संगठन अपने कामकाज का क्षेत्र केवल एक राज्य के भीतर रख सकता है।

7. **क्या कोई न्यास/सोसाइटी कोई व्यावसायी कार्यकलाप चला सकता है**?

स्वैच्छिक संगठन कोई व्यवसायी कार्यकलाप चला सकता है बशर्ते वह लाभार्जन नहीं कर सकता।

8. क्या न्यास/सोसाइटी प्रशिक्षण से प्राप्त उत्पादों की बिक्री कर सकता है?

एक न्यास/सोसाइटी के रूप में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन प्रशिक्षण से प्राप्त उत्पादों की बिक्री कर सकता है जैसे यदि कोई संगठन मोमबत्ती बनाने, बेकिंग, सिलाई आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना है, तो वह तैयार माल (प्रशिक्षण के दौरान किये गए उत्पादन) की बिक्री कर सकता है। ऐसे कार्यकलापों से मिलने वाली आय को सदस्यों के बीच नहीं बाँटा जाएगा अपितु परोपकारी कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाएगा।

9. यदि कोई संगठन व्यवसायी कार्यकलाप चला रहा है (उत्पादों आदि की बिक्री से आय का सृजन कर रहा है) तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में संगठन को अपना पंजीकरण लाभ न कमाने वाली कम्पनी (धारा 8 के अधीन कम्पनी) के रूप में कराना होगा। यदि कोई संगठन व्यवसायी कार्यकलापों में लगा हुआ है और उससे मिलने वाली आय का जितना हिस्सा परोपकार के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है उसकी आय के उतने हिस्से के लिए ही कर से छूट दिया जाएगा।

10. किसी व्यवसायी कार्यकलाप में लगे बगैर संगठन अपने किस तरह के कार्यकलापों से आय का सृजन कर सकता है?

स्वैच्छिक संगठन प्रशिक्षण हॉल/सम्मेलन कक्ष/छात्रावास/परिसर/धर्मशाला, श्रव्य–दृश्य उपकरणों या अपने पास विद्यमान किसी अन्य बुनियादी सुविधा/सामग्री, संसाधन को किराए पर देने जैसे कार्यकलापों से आय का सृजन कर सकता है। ऐसे कार्यकलापों से प्राप्त होने वाली आय को व्यवसायी कार्यकलापों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तथापि इसे आय सृजन के लिए संगठन के संसाधनों के उपयोग के रूप में माना गया है।

हमने जाना

- किसी स्वैच्छिक संगठन का पंजीयन, गठन विभिन्न नियम, अधिनियम के अंतर्गत कराते हैं। साथ ही स्वैच्छिक संगठनों को विभिन्न रूप यथा सोसाइटी, ट्रस्ट या कम्पनी अधिनियम की धारा 8 कम्पनी के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं।
- किसी स्वैच्छिक संगठन के निर्माण के पूर्व हमें उसके गठन के उद्देश्य, लक्ष्य, कार्य प्रणाली, कार्यक्रम इत्यादि पर भली–भांति विचार कर लेना चाहिए। हम किसी उद्देश्य के लिए संगठन बना रहे हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति किन कार्यक्रमों से करेंगे इसकी स्पष्ट अवधारणा हमारे मन में होना चाहिए।
- स्वैच्छिक संगठनों के निर्माण के पूर्व की तैयारी के लिये दिये गये प्रश्नों का अभ्यास किया जा सकता है और अपने संदर्भों में उन प्रश्नों के उत्तरों की तैयारी कर एक अच्छा संगठन प्रस्ताव बनाया जा सकता है।

कठिन शब्दों के अर्थ

न्यास– न्यास एक अनुबन्ध है, जो किसी संपत्ति से मिलने वाले लाभ का प्रयोग व्यक्तियों को दिये जाने के लिए उस व्यक्ति के साथ विश्वास के आधार पर किया जाता है। जो उस संपत्ति का स्वामी या न्यासी बनाया जाता है। यह लाभ अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ संपत्ति का स्वामी या न्यासी स्वयं अपने लिये भी प्रयोग कर सकता है

सोसायटी– पंजीकरण रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत प्रत्येक संगठन एक सोसाइटी होता है, बशर्ते वह अधिनियम के खण्डों में वर्णित प्रयोजनों को पूरा करें। सोसाइटी व्यक्तियों का समूह है जिसका आशय एक विशिष्ट सामाजिक प्रयोजन को बढ़ावा देना होता है।

सहकारी समिति– सहकारी समिति ऐसे व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन जो आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिये एकजुट होकर कार्य करते हैं। जो लोग किसी साझा आर्थिक उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं वे सहकारी समिति के रूप में एक सोसायटी बना सकते हैं।

अभ्यास के प्रश्न

1. सोसाइटी गठन एवं पंजीयन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं?
2. ट्रस्ट के पंजीयन पर प्रकाश डालें।
3. कम्पनी अधिनियम की धारा 8 कम्पनी के पंजीयन से आप क्या समझते हैं?

आओ करके देखें

अपने क्षेत्र में कार्यरत न्यास, सहकारी समिति और सोसायटी संस्थाओं के प्रोफाइल एकत्रित कीजिये और इनकी उपलब्धियों की समीक्षा कीजिये।

अपने क्षेत्र की समस्याओं के आधार पर निर्णय कीजिये कि वहाँ न्यास, सहकारी समिति, सोसायटी या किसी अन्य प्रकार की संस्था गठित किये जाने की क्या संभावनायें हैं।

अपने क्षेत्र की समस्याओं के आधार पर एक सोसायटी की रूपरेखा तैयार कीजिये और संपर्क कक्षा में इसके विविध पहलुओं पर चर्चा कीजिये।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

1. Iqbal Shah : A practical guide to NGOs and Project Management, Amazon.
2. एन.जी.ओ. हैण्डबुक
3. Pandey, Devendra Prasad : "Development and Management of NGOs, Adhyayan Publishers, New Delhi.
4. Levis David : Non-governmental organisations management and development, Routledge Publishers
5. Michael Edwards : The Earthscan Reader on NGO Management, Earthscan Reader Series.

■■■

16.3 : स्वैच्छिक संगठनों के संचालन हेतु नीति एवं अधिनियम (Ordinances and Policies for Operation of Voluntary Organizations)

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर हम जान सकेंगे कि :

स्वैच्छिक क्षेत्र हेतु केन्द्र सरकार की और राज्य सरकार की नीति क्या है?

स्वैच्छिक संगठनों पर लागू होने वाली आयकर अधिनियम की कौन–कौन सी धारायें हैं?

विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम क्या है?

विषय प्रवेश

इस इकाई के माध्यम से हम भारत में स्वैच्छिक संगठनों के संचालन हेतु आवश्यक नीति एवं अधिनियमों पर अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि किसी संस्था का आयकर अधिनियम, विदेशी अनुदान अधिनियम, सी.एस.आर. नियम 2014 के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।

16.3.1 स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2007

16.3.1.1 उद्देश्यिका

(i) यह नीति स्वतंत्र, सृजक और प्रभावी स्वैच्छिक संगठन को इसके रूप में और कार्य में विधिता सहित बढ़ावा देने, समर्थ बनाने और सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता है, जिससे कि यह भारत के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में योगदान कर सकें।

(ii) स्वैच्छिक क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक जुड़ाव, सेवा डिलीवरी, प्रशिक्षण अनुसंधान और समर्थन जैसे साधनों के माध्यम से गरीबी, वंचन, भेद–भाव और बहिष्कार के अभिनव परिवर्तनशील हल तलाश करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वैच्छिक क्षेत्रों के लोगों और सरकार के बीच एक प्रभावी गैर–राजनीतिक लिंक के रूप में कार्य करता रहा है। यह नीति विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक क्षेत्रक द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की

पहचान करती है और सरकार, स्वैच्छिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक, स्थानीय, प्रान्तीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर सहयोग की बढ़ती हुई आवश्यकता की पुष्टि करती है।

16.3.1.2 नीति का क्षेत्र

(i) इस नीति में स्वैच्छिक संगठनों (वीओज) में नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अध्यात्मक, लोकोपकारी अथवा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विचारों के आधार पर सार्वजनिक सेवा में लगे हुए संगठन अभिप्रेत है। इनमें औपचारिक और अनौपचारिक समूह जैसे कि समुदाय आधारित संगठन (सीबीओज), गैर–सरकारी विकास संगठन (एनजीडीओज), धर्मार्थ संगठन, सहायता संगठन, ऐसे संगठन जो नेटवर्क हैं अथवा ऐसे समूहों के संघ और व्यावसायिक सदस्यताा वाले एसोसिएशन शामिल हैं।

(ii) नीति के अन्तर्गत कवर किए जाने के लिए स्वैच्छिक संठनों की व्यापक रूप से निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए :–

- वे निजी हैं, अर्थात् सरकार से अलग हैं।
- वे सृजित लाभ को अपने मालिकों अथवा निवेशकों को नहीं देते हैं।
- वे स्व–शासी हैं, अर्थात् वे सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं।
- वीओज पंजीकृत संगठन अथवा अनौपचारिक समूह हैं, जिनके लक्ष्य परिभाषित हैं।

16.3.1.3 नीति के लक्ष्य

इस नीति के विशिष्ट लक्ष्य नीचे दिए गए हैंः–

(i) स्वैच्छिक संगठऩ के लिए एक सशक्त वातारण का सृजन करना जिससे उद्यम तथा प्रभाविता हो, और उनकी स्वायत्ता की सुरक्षा हो सके।

(ii) स्वैच्छिक संगठऩ को वैध रूप से भारत तथा विदेशों से आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य बनाना।

(iii) ऐसी प्रणालियों की पहचान करना जिससे सरकार और स्वैच्छिक संगठऩ एक साथ आपसी विश्वास तथा सम्मान के सिद्धान्तों और सांझे उत्तरदायित्व के आधार पर काम कर सकें, और

(iv) स्वैच्छिक संगठऩ को शासन तथा प्रबंधन की पारदर्शी व जवाबदेह प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

इन लक्ष्यों को किस प्रकार अनुबन्ध किया जाना है इसका वर्णन नीचे पैरों में किया गया है।

16.3.1.4 स्वैच्छिक क्षेत्रक के लिए सशक्त वातावरण बनाना

(i) स्वैच्छिक संगठन् होने के कारण विकास के वैकल्पिक प्रतिमानों का पता लगा सकते हैं, सार्वजनिक हितों के विरूद्ध होने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं, और गरीबी, वंचन तथा अन्य सामाजिक समस्याओं का मुकाबला करने के नए तरीके खोज सकते हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि वीओज़ से संबंधित सभी कानून, नीतियाँ, नियम और विनियम उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के साथ–साथ स्पष्ट रूप से उनकी स्वायत्तता की सुरक्षा करें।

(ii) स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय अथवा राज्य नियमों के अंतर्गत सोसाइटियों, धर्मार्थ ट्रस्टों अथवा अलाभप्रद कम्पनियों के रूप में पंजीकृत किया जाए। कुछ राज्यों ने सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम (1860) को संशोधन सहित, अपनाया है, जबकि अन्य राज्यों के स्वतंत्र कानून हैं। इसी तरह, धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित नियम सभी राज्यों में अलग–अलग हैं। समय के साथ, इनमें से बहुत कानून तथा उनके समनुरूपी नियम जटिल व प्रतिबंधक हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब, उत्पीड़न व भ्रष्टाचार बढ़ा है। सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्रक के बीच परस्पर क्रिया के लिए नोडल एजेंसी के रूप में योजना आयोग राज्य सरकारों, प्रचलित कानूनों और नियमों की समीक्षा करने और उन्हें सरल, उदार तथा यथा–संभव योक्तिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। गैर–लाभप्रद कम्पनियों का पंजीकरण सुकर बनाने के लिए, सरकार कम्पनी अधिनियम (1956) के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उपायों की जांच करेगी, इसमें लाइसेंस, पंजीकरण और सदस्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी शामिल होगा।

(iii) सरकार एक सरल और उदार केन्द्रीय कानून बनाने की संभाव्यता की जाँच भी करेगी, जो वीओज़ के पंजीकरण के संबंध में एक वैकल्पिक अखिल भारत अधिनियम के रूप में कार्य करेगा, विशेष रूप से उनके लिए जो देश के विभिन्न हिस्सों में और विदेशों में भी कार्य करने की इच्छा रखते हैं। इस तरह कानून प्रचलित केन्द्रीय और राज्य कानूननों सहित सह–विद्यमान होगा, जिसमें प्रकृति और इसके कार्यकलापों के क्षेत्र के आधार पर वीओज़ को एक अथवा अधिक कानूनों के अंतर्गत विकल्प की अनुमति होगी।

(iv) स्वैच्छिक क्षेत्रक विशेष रूप से इसके अभिशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता पर सार्वजनिक चर्चा होती रही है। व्यापक रूप से यह माना जाता है कि स्वैच्छिक क्षेत्रक को उपयुक्त स्व–विनियमन के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए सरकार इस तरह के विकास को प्रोत्साहित करेगी और तत्पश्चात् स्वैच्छिक क्षेत्रक के लिए एक स्वतंत्र, राष्ट्र–स्तरीय स्व–विनियामक एजेंसी को मान्यता देगी।

(v) इसके साथ ही, स्वैच्छिक क्षेत्रक में व्यापक सार्वजनिक संवीक्षा आरंभ करके इसमें सार्वजनिक निष्ठा को कायम करने की आवश्यकता है। सरकार उन स्वैच्छिक संगठनों को जो सरकारी एजेंसियों से निधियन प्राप्त करते रहे हैं, के संबंध में सार्वजनिक निरीक्षण की प्रवृत्ति को अंतर्निविष्ट करने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए एजेंसियों को मानदंड शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करेगी (इंटरनेट के माध्यम से आसान पहुंच के साथ)।

(vi) सार्वजनिक चन्दा स्वैच्छिक क्षेत्रक संबंधी निधियों का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो कि पर्याप्त रूप से बढ़ना चाहिए। कर प्रोत्साहन इस प्रक्रिया में एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। स्टॉक और शेयर आजकल देश में धन का एक महत्वपूर्ण रूप हैं। वीओज़ को शेयरों के अंतरण और स्टॉक विकल्प को प्रेत्साहित करने के लिए सरकार इस तरह के चन्दे हेतु टैक्स छूट का प्रस्ताव रखेगी। सरकार आयकर अधिनियम के अंतर्गत धर्मार्थ परियोजनाओं को दी जाने वाली आयकर छूटों की प्रणाली को सरल और सुकर भी बनाएगी। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रोत्साहनों का निजी वित्तीय लाभ लेने हेतु चैरिटीज़ द्वारा दुरूपयोग न हो, सरकार प्रशासन की कड़ाई और दंड प्रक्रियाओं पर विचार करेगी।

(vii) स्वैच्छिक संगठनों अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण ऐसे संगठनों तथा देश में उनके कार्य का समर्थन करने में लघु दिखाई देता है, परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी वित्त पोषण प्राप्त करने वाला कोई भी संगठन विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। यह कानून उच्च रूप से कड़े जाँच मानदण्डों का दावा करता है जो वीओज़ द्वारा विदेशी निधियां प्राप्त करने में अक्सर प्रतिबंध लगाता है। अनुमोदन होने पर ये निधियां एक ही बैंक खाते में रखी जानी चाहिए, इससे भिन्न–भिन्न स्थानों पर काम कर रहे वीओज़ को बहुत कठिनाइयां होती हैं। सरकार वीओज़ के संबंध में एफसीआरए की समीक्षा करेगी और संबंधित मंत्रालय द्वारा गठित किए जाने वाले संयुक्त परामर्शी दल के परामर्श से समय–समय पर स्वैच्छिक क्षेत्रों पर लागू इसके प्रावधानों को सरल बनाएगी (पैरा 5.4 में दिए गए सुझाव के अनुसार)।

(viii) केन्द्र सरकार सामाजिक और आर्थिक महत्व की परियाजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने के लिए द्विपक्षीय एजेंसियों हेतु दिशा निर्देश तैयार किए हैं। यह दोनों, एफसीआरए और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विनियमन के माध्यम से इस प्रकार की निधियों तक पहुंच का नियंत्रण करता है। इस प्रणाली को संबंधित मंत्रालय द्वारा गठित संयुक्त परामर्शी दल के परामर्श से सरल बनाए जाने की आवश्यकता है। (पैरा 5.4 में दिए गए सुझाव के अनुसार)।

(ix) सरकार सभी संबद्ध केन्द्रीय और राज्य सरकारी संस्थाओं को सेवापूर्व और सेवा के अंदर स्वैच्छिक क्षेत्रक के साथ सकारात्मक संबंधों पर प्रशिक्षण मापकों को शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। ऐसी संस्थओं को स्वैच्छिक संगठनों के साथ सभी लेन–देनों हेतु समयबद्ध प्रक्रिया शुरू करनी चहिए। इनमें पंजीकरण, आयकर निकासियां, वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रक्रियाएं शामिल होंगी। संस्थाओं की शिकायतों को पंजीकृत करने और शिकायतों के निवारण हेतु औपचारिक पद्धतियां होनी चाहिए।

16.3.1.5 विकास में साझेदारी

(i) स्वैच्छिक क्षेत्रक, विकास प्रक्रिया में विशेषकर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्वैच्छिक संगठन, प्रतिबद्ध कौशल, स्थानीय अवसरों और दबावों की एक समझ तथा शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुदायों विशेषकर जो अलाभान्वित हैं, के साथ एक अर्थपूर्ण संवाद संचालित करने की क्षमता से निकाले गए वैकल्पिक प्रतिदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्रक एकरूपता प्राप्त करने हेतु एक साथ कार्य करें। जबकि संयुक्त प्रयासों के परिणाम पृथक प्रयासों से कहीं ज्यादा अधिक होते हैं जहां वयवहार्य हों, ऐसी साझेदारी में अन्य इकाईयां जैसे पंचायती राज संस्थान, नगर निगम, शैक्षिक संस्थान और निजी क्षेत्रक संगठन भी शामिल हो सकते हैं।

(ii) सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के मध्य साझेदारी का अर्थ साझे उद्देश्यों को चिन्हित करना और सहायक भूमिकाओं को परिभाषित करना है। यह साझी जिम्मेदारी और प्राधिकारी के साथ आपसी विश्वास तथा सम्मान के मूल उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। इसको सरकार और स्वैच्छिक संगठन में एक प्रमुख व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। ये सिद्धांत साझेदारी की शर्तों एवं नियमों में सुस्पष्ट होने चाहिएं। वे औपचारिक एवं गैर–औपचारिक सहयोगों की पद्धति में उजागर भी होने चाहिएं।

(iii) इस नीति में भागीदारी के तीन साधनों की पहचान की गई है अर्थात् (1)केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर अंतःक्रिया की औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से विचार विमर्श, (2) जहां दीर्घकालिक सतत् सामाजिक जुटाव महत्वपूर्ण है वहां जटिल हस्तक्षेपों को सुलझाने हेतु कार्यनीतिक सहयोग, (3) तथा मानकों स्कीमों के माध्यम से परियोजना का निधिकरण। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भागीदारी के इन तीन साधनों पर मंत्रालयों और राज्यों द्वारा तैयार की जाने वार्षिक योजनाओं में समुचित ध्यान दिया जाए। जिन साधनों में से प्रत्येक के संदर्भ में की जाने वाली कार्रवाई के ब्यौरों पर नीचे चर्चा की गई है।

(iv) सरकार संबधित केन्द्रीय विभागों/मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त मंच/परामर्श समूह अथवा संयुक्त मशीनरी स्थापित करने को प्रोत्साहित करेगी। ऐसा करने के लिए सरकार जिला प्रशासनों, जिला योजना निकायों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला परिषदों एवं स्थानीय सरकारों को भी प्रोत्साहित करेगी। विचारों, दृष्टिकोणों एवं सूचना को बांटने के विशिष्ट अधिदेश तथा सुअवसरों की पहचान एवं संयुक्त रूप से कार्य करने के मैकेनिज्म सहित ये समूह स्थायी मंच होंगे। इन समूहों/मंचों में स्वैच्छिक क्षेत्रक के सभी वर्गों को शामिल करने हेतु सरकार उपयुक्त मैंकेनिज्म़ बनाएगी।

(v) देश कई जटिल समस्याओं का सामना करता है जिनको अपनाए जाने वाले, बहुक्षेत्रकीय समाधानों की आवश्यकता है जिसमें विशेष रूप से सामाजिक एकीकरण चुनौतीपूर्ण है। इनमें गरीबी उन्मूलन, कौशल वर्धन, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या स्थिरीकरण, एचआईवी/एड्स को रोकना, जनसंसाधन, प्राथमिक शिक्षा और वन प्रबंधन कुछेक शामिल हैं। इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रमों जो कि अवधि में दीर्घकालिक हैं और वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुकार्यनीति, विधियों तथा गतिविधियों को इस्तेमाल करते हैं, के जरिए सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के मध्य कार्यनीतिक सहयोग की तात्कालिक आवश्यकता है। सरकार स्वैच्छिक संगठन के साथ साझेदारी में कार्यान्वित होने वाले राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रमों हेतु विशिष्ट उद्देश्यों को चिन्हित करेगी। प्रत्येक राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रम एक हद तक बड़े पैमाने पर कार्य करने की योग्यता वाले प्रतिष्ठित, मझोले और बड़े स्वैच्छिक संगठनों के निश्चित समूह को शामिल करेगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रमों को योजना दस्तावेजों में उचित महत्व दिया जाए।

(vi) सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों में तीसरा औजार परियोजना निधियन है। बहुत बड़ी संख्या में सरकारी संस्थाएं स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता हेतु स्कीमें चलाती हैं। ये स्कीमें सामान्यतः सर्वेक्षण, शोध, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, वृत्तियों, जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण, जन कल्याण सुविधाओं के सृजन, जन कल्याण सुविधाओं को चलाने और इसी तरह की गतिविधियों के साथ सम्बद्ध हैं। परियोजना अनुदानें सरकार के लिए सीधे भाग लिए बिना इसकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक बहुत उपयोगी माध्यम है। वे लघु एवं मध्यम स्वैच्छिक संगठनों की सहायता के बहुमूल्य माध्यम भी हैं तो भी, सहायता अनुदान स्कीमों की प्रभाविता के संबंध में सरोकार वैध हैं। पुराने डिजाइन, मनमानी प्रक्रिया, अनुपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों का चुनाव, कार्यान्वयन की खराब गुणवत्ता और निधि के दुरूपयोग कुछ ऐसे लक्षण हैं, जिनसे किसी स्कीम के उद्देश्य विफल हो सकते हैं। स्वैच्छिक संगठनों को वितरित की जाने वाली सरकारी निधियों की उचित जवाबदेही और मानीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(vii) कुछ केन्द्रीय एजेन्सियों को परियोजना निधियन की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। विभिन्न स्कीमों को सीधे कार्यान्वित करने के अलावा, वे अपनी ओर से ऐसा करने के लिए क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय मध्यवर्ती संगठनों को नियुक्त करते हैं। इससे स्वैच्छिक संगठनों का बेहतर चयन करने में और स्वैच्छिक संगठनों की बेहतर मानीटरिंग करने में परस्पर क्रिया होती है। मध्यवर्ती संगठन अम्बरेला स्वैच्छिक संगठनों, व्यावसायिक या शैक्षिक संस्थानों, राज्य सरकार की एजेन्सियों या बहु पणधारी स्थायी समितियों के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। योजना आयोग ऐसे विकेन्द्रीकृत निधियन के अनुभवों की समीक्षा करेगा और केन्द्रीय एजेन्सियों को उपयुक्त सिफारिशें करेगा।

(viii) यह विचार है कि स्वैच्छिक संगठनों के प्रत्यायन से बेहतर निधियन निर्णय होंगे और नीधियन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। इसके अलावा, प्रत्यायन से बेहतर शासन, प्रबंधन और स्वैच्छिक संगठनों के निष्पादन को प्रोत्साहन मिल सकता है। बहरहाल, अब तक कोई भी वैध और विश्वसनीय प्रत्यायन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। सरकार वैकल्पिक प्रत्यायन पद्धति विकसित करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र स्थित एजेन्सियों के साथ–साथ विभिन्न एजेन्सियों को प्रोत्साहित करेगी। इससे स्वैच्छिक संगठनों के सरकारी निधियन से संबंधित उनके आवेदनों पर विचार करने से पहले स्वैच्छिक क्षेत्र में ऐसी पद्धति पर विचार किए जाने और स्वीकार्यता प्राप्त किए जाने के लिए समय मिल जाएगा।

16.3.1.6 स्वैच्छिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना

(i) भारतीय समाज में परोपकारिता की एक सुस्थापित परम्परा रही है। जबकि कर रियायतों की व्यवस्था धर्मार्थ संगठनों के लिए दान की सुविधा प्रदान करती है। सार्वजनिक सेवा हेतु निजी धन को उपलब्ध कराने की पर्याप्त संभाव्यता है। सरकार योग्य स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विद्यमान और नये स्वतंत्र परोपकारी संस्थानों को मदद करेगी और प्रोत्साहित करेगी। वह सार्वजनिक और निजी अनुदानदाताओं के बीच बातचीत को भी बढ़ावा देगी जिससे कि वे अनुदान देने और निधियां एकत्र करने की श्रेष्ठ प्रणाली से फायदा उठा सकें।

(ii) सभी पणधारियों की जवाबदेही और कार्यकलाप में पारदर्शिता सुशासन के मुख्य मुद्दे हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र से आशा की जाती है कि वह अपने खुद के बेंचमार्क्स निर्धारित करे जो उन्नत शासन हेतु बराबर दबाव बनाए रखें। चूंकि स्वैच्छिक संगठनों के उद्दश्यों एवं कार्यकलापों में अंतर होता है, इसलिए जवाबदेही एवं पारदर्शिता हेतु सभी के लिए समान मानदण्ड निर्धारित करना अव्यवहारिक है। इससे उपयुक्त सहायक संगठनों और स्वैच्छिक संगठन नेटवर्क तथा परिसंघों को इस मुद्दे पर चर्चा, विचार–विमर्श और सहमति के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे ऐसी एजेन्सियों को स्वेच्छा से मानदंड अपनाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सलाह देने और सहायता देने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा जिन्हें वे स्वीकार्य और उपयोगी महसूस करती हैं। सरकार श्रेष्ठ प्रणाली का प्रचार करके स्वैच्छिक संगठनों के बीच शासन में श्रेष्ठता को समुचित मान्यता प्रदान करेगी।

(iii) स्वैच्छिक क्षेत्र में कार्य करनेवाले लोगों के लिए प्रशिक्षण एक निर्णायक आवश्यकता है। बहरहाल, इसकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अनुपलब्धता के कारण प्रायः उपेक्षा की जाती है जो कि उच्च गुणवत्ता वाले और उचित मूल्य वाले होते हैं। सरकार उन संगठनों को सहायता और प्रोत्साहन देगी जो प्रार्थियों को स्वैच्छिक क्षेत्र में प्रवेश करने में और ऐसे लोगों को जो कि पहले से ही इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, को प्रशिक्षण देते हों। यह इस प्रकार की सहायता के एक उपाय के रूप में इसके प्रशिक्षण संस्थानों के पास मौजूदा रूप में उपलब्ध भौतिक सुविधओं को उपलब्ध कराएगा।

(iv) विकास समस्याओं के संस्थागत तकनीकी और सामाजिक अभिगमों में नवीनता लाना स्वैच्छिक कार्य का एक आवश्यक घटक है। सरकार नवीन और अग्रणी कार्य को सहायता, प्रोत्साहन और मान्यता प्रदान करेगी।

(v) विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के आंकड़े आधार (डाटाबेस) स्वैच्छिक क्षेत्र के अंतर्गत स्वैच्छिक क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच संचार के लिए उपयोगी हैं। सरकार उपयुक्त एजेन्सियों को डाटाबेस तैयार करने और ऐसे डाटाबेस को अद्यतन बनाने का कार्य सौंपेगी।

(vi) स्वैच्छिक संगठनों के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में सूचना प्राप्त करना अक्सर कठिन होता है। विभिन्न सरकारी एजेन्सियों की वेबसाइट को महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डाटाबेसेज, जिसमें परियोजना निधियन स्कीमों से भी संबंधित डाटाबेस हैं से सम्पर्क स्थापित करने के लिए पुनः अभिकल्पित किया जाएगा।

(vii) सरकार परिवार कल्याण केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों और स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों जैसे सार्वजनिक सेवाओं में स्वयंसेवकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।

स्वैच्छिक क्षेत्र राष्ट्रीय नीति, 2007 स्वैच्छिक संगठनों की स्वायत्तता एवं पहचान को बिना प्रभावित करते हुए सरकार एवं स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच एक नया कार्यशील संबंध विकसित करने की प्रक्रिया का शुभारंभ है।

16.3.2 मध्यप्रदेश स्वैच्छिक संगठनों हेतु राज्य की नीति

16.3.2.1. भूमिका :

मध्यप्रदेश शासन राज्य के बहुमुखी विकास के लिये स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। इस नीति के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को प्रदेश के विकास में सम्मानपूर्वक भूमिका निभाने हेतु उपयुक्त वातावरण (Enabling Environment) निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस नीति में स्वैच्छिक संगठन (Voluntary Organization) से अभिप्रेत है, ऐसे संगठन जो नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, अध्यात्म, लोकोपकारी अथवा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विचारों के आधार पर

सार्वजनिक सेवा में लगे हुए हैं। इनमें औपचारिक और अनौपचारिक समूह जैसे कि समुदाय आधारित संगठन (सीबीओज), गैर सरकारी विकास संगठन (एनजीडीओज), धर्मार्थ संगठन, सहायता संगठन, ऐसे संगठन जो नेटवर्क हैं अथवा ऐसे समूहों के संघ और व्यवसायिक सदस्यता वाले एसोसिएशन, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत चेरीटेबल उद्देश्य से गठित कंपनियां इत्यादि शामिल हैं। नीति के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों की व्यापक रूप से निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए :–

- वे निजी हैं, अर्थात् सरकार से अलग हैं।
- वे सृजित लाभ को अपने संस्थापकों अथवा निदेशकों को नहीं देते हैं।
- वे स्व–शासी हैं अर्थात् वे सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं।
- वे पंजीकृत संगठन अथवा अनौपचारिक समूह हैं, जिनके लक्ष्य परिभाषित हैं।

16.3.2.2. स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकता :

समावेशी एवं त्वरित विकास में स्वैच्छिक संगठनों की अहम भूमिका निर्धारित करने वाले प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:–

- स्वैच्छिक संगठनों का स्वतंत्र अस्तित्व इन्हें लोकहित के मुद्दों को सामने लाने एवं उन पर अभिमत तैयार करने की विशिष्ट क्षमता देता है। इनकी सशक्त उपस्थिति शासन की प्रणालियों में लगातार सुधार की प्रवृत्ति को प्रबल करती है। इन संगठनों में शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने एवं जन सहयोग से क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने की क्षमता है।
- फैसले लेने के विभिन्न स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी फैसलों को पारदर्शी एवं तथ्यपरक बनाती है साथ ही इसमें नये आयामों को जोड़ती है।
- स्वप्रेरणा एवं सृजनशीलता स्वैच्छिक संगठनों को ज्यादा प्रयोगधर्मी बनाते हैं। प्रभावकारी नतीजे लाने के लिये वे छोटे स्तर पर नवीन विचार एवं प्रणालियां विकसित करते हैं जिनका उपयोग शासन द्वारा वृहत स्तर पर किया जा सकता है। यह सतत् प्रगति के लिये अत्यन्त आवश्यक है।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, प्राकृतिक प्रकोप जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठन सेवा प्रदान करने के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर अहम भूमिका निभाते हैं।

- समाज के वंचितों एवं मुख्य धारा से कटे वर्गों तक आवश्यक मूलभूत सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में भी स्वैच्छिक संगठन अच्छी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।
- सामाजिक विकास को बेहतर तरीके से संपादित करने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका अत्यन्त प्रभावशाली है। अनुदान, दान या अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हैं।
- मानव संसाधन के लचीले उपयोग की क्षमता होने से नवीन एवं प्रयोगात्मक कार्यों को संपादित करने की क्षमता रखते हैं।
- विकास कार्यक्रमों के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुश्रवण में प्रभावी भूमिका है। विकास के अनछुए पहलुओं को उजागर कर उनको मुख्य धारा में लाने में स्वैच्छिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अतः मध्य प्रदेश को आधुनिक एवं अग्रगामी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिये एक प्रदेशव्यापी, सशक्त, कुशल एवं प्रभावशाली स्वैच्छिक सेवा क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिससे प्रदेश के सभी नागरिक पूर्ण सृजनशीलता के साथ अपना सहयोग प्रदान कर सकें। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तक प्रदेश में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की पहुंच को बढ़ाना।

16.3.2.3 गठन एवं अनुश्रवण :

प्रदेश के समस्त जिलों में संगठनों के पंजीकरण एवं अनुश्रवण की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समेकित एप्लीकेशनआवेदन जमा करने के एक माह के अन्दर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

16.3.2.4 उद्देश्य :

(i) स्वैच्छिक संगठनों की मूल चेतना के अनुरूप गठन, विकास एवं सशक्तिकरण के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करना।

(ii) संगठनों का उपलब्धि आधारित प्रत्यायन (Accreditation) करने की व्यवस्था स्थापित करना।

(iii) ऐसी प्रणालियां विकसित करना जिनमें राज्य शासन एवं स्वैच्छिक संगठन आपसी विश्वास तथा सम्मान के सिद्धांतों पर साझे उत्तरदायित्व के साथ काम कर सकें।

(iv) स्वैच्छिक संगठनों के आंतरिक प्रबंधन में पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणालियों को अपनाने के लिये सहयोग देना।

(iv) कौशल आधारित रोजगार विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर संचालित किया जायेगा जिसमें इंटरनेट के माध्यम से संगठनों के ऑनलाईन पंजीकरण हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन भी ऑनलाईन जमा कराने का प्रावधान रखा जायेगा।

(v) स्वैच्छिक संगठनों से जुड़ी हुई समस्त सूचनाओं एवं संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिये पंजीकरण हेतु तैयार किये गये वैबपोर्टल को पब्लिक–प्राईवेट–पार्टनरशिप के अन्तर्गत तैयार कराया जायेगा ताकि विषयवस्तु में मांग के अनुसार सतत् गतिशीलता बनी रहे।

(vi) विषय विशेषज्ञता एवं कार्यक्षेत्र के अनुभव के आधार पर संगठनों का प्रत्याययन (Accreditation) करने के लिये पारदर्शी प्रक्रिया बनाई जायेगी।

16.3.2.5 सतत् संवाद :

विकास कार्यों में नवाचार एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं परस्पर सहयोग हेतु उपलब्ध अवसरों की पहचान करने के लिये राज्य, जिला एवं निचले स्तरों पर प्रत्येक त्रैमास में स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं शासकीय अधिकारियों के बीच औपचारिक बैठक करने की व्यवस्था की जायेगी।

16.3.2.6 समितियों एवं फोरम्स में प्रतिनिधित्व

(i) स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल एवं पारदर्शी फैसले करने के उद्देश्य से राज्य, जिला एवं निचले स्तरों पर विभिन्न गतिविधियाँ जैसे नीति निर्माण, योजना बनाना, एवं कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये बनाई जाने वाली समितियों में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने का प्रावधान किया जायेगा।

(ii) शासकीय समितियों में प्रत्याययन के आधार पर संगठनों को नामांकित करने लिये मानक नियम बनाये जायेंगे जिनमें चक्रीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की एक बार प्रतिनिधित्व कर लेने के बाद अगले दो चक्रों में पुनः उसी संगठन को नामांकित नहीं किया जा सकेगा।

16.3.2.7. विकास कार्यों में साझेदारी :

(i) शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों का चुनाव करने के लिये ''सबको समान अवसर'' (Equality of Opportunity) सिद्धांत का पालन किया जायेगा। प्रत्याययन के आधार पर संगठनों को समस्त विभागों के कार्यक्रम क्रियान्वयन में भाग लेने का अवसर उपलब्ध होगा।

(ii) शासकीय कार्यक्रमों की योजना निर्माण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों की सेवाऐं हासिल करने (Procurement of Services) के लिये नियम निर्धारित किये जायेंगे।

(iii) स्वैच्छिक संगठनों से सेवायें प्राप्त करने के लिये आवश्यक कौशल विकसित करने हेतु प्रदेश के अधिकारियों की क्षमतावृद्धि की जावेगी।

(iv) शासकीय निधि से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के मूल्यांकन की उपयुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी।

(v) प्रदेश एवं जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को पुरूस्कृत करने तथा संगठनों द्वारा विकसित नवाचारों के प्रदेशव्यापी क्रियान्वयन हेतु व्यवस्था की जावेगी।

16.3.2.8. नये क्षेत्रों में विस्तार :

(i) प्रदेश के ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों, जहां वर्तमान में संस्थायें उपलब्ध नहीं हैं, विशेषकर दूर–दराज एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिकता की भावना का विकास करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जावेंगे। शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर कार्यरत् संगठनों को प्राथमिकता प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

(ii) ऐसे क्षेत्रों (Sectors) एवं कार्यक्रमों, जिनमें स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी से उत्कृष्ट नतीजे लाये जा सकते हैं, की लगातार पहचान करने के लिये प्रदेश स्तर पर आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।

16.3.2.9. क्षमता विकास :

(i) संगठनों के आंतरिक प्रबंधन को आधुनिक परिदृश्य के अनुरूप विकसित करने के लिये विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

(ii) संगठनों में कार्यरत् कार्यकर्ताओं की कौशल वृद्धि हेतु मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) प्रदेश में कार्यरत् संगठनों की पहुंच राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों तक विकसित करने के लिये प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु संभाग स्तर पर सुविधा केन्द्रों (Facilitation Centres) की स्थापना की जायेगी।

(iv) भविष्य में स्वैच्छिक क्षेत्र में विशेषज्ञता आधारित रोजगार विस्तार की संभावना को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित करने के लिये विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में संचालित एम.एस.डब्ल्यू.(Master of Social Work) जैसे पाठ्यक्रमों को बेहतर किया जायेगा।

(v) स्वैच्छिक संगठनों से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान में रूचि विकसित करने के लिये प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोधवृत्तियां (Fellowship) स्थापित की जायेंगी।

(vi) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित अल्पकालिक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षणों को वैधानिक मान्यता देने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

(vii) मध्यप्रदेश के स्वैच्छिक क्षेत्रक में जीवंतता (Vibrancy) लाने के लिये अत्याधुनिक सर्वसुविधा सम्पन्न स्त्रोत केन्द्र (Resource Centre) की स्थापना की जायेगी जिसमें लाईब्रेरी, सेमिनार/कार्यशाला आयोजित करने हेतु कक्ष एवं ठहरने आदि के लिये उचित प्रबंध हो। यह स्त्रोत केन्द्र इंडिया हैबिटाट सेन्टर, नई दिल्ली के माडल के अनुसार विकसित किया जावेगा।

16.3.2.10. नीति का मूल्यांकन :

नीति के परिणामों का अनुश्रवण करने के लिये निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचकांक विकसित किये जायेंगे :–

(i) संगठनों के पंजीकरण, कार्य संपादन के लिये चयन एवं संचार इत्यादि के लिये सरल, सक्रिय, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रिया की स्थापना।

(ii) शासकीय कार्य हेतु गठित समितियों की भागीदारी में बदलाव।

(iii) सेवाओं की प्राप्ति (Procurement of Services) की नियमावली लागू होना।

(iv) ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्तमान में संगठन कार्यरत् नहीं हैं वहां संगठनों का कार्य शुरू होना।

(v) नये शासकीय विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी।

(vi) राज्य में स्वैच्छिक क्षेत्रक के लिये आवश्यक मानव संसाधन विकास हेतु नये कार्यक्रमों का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण।

(vii) प्रदेश में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के स्थानीय कार्यालयो में वृद्धि।

(viii) प्रदेश में गैर सरकारी स्त्रोतों से विकास कार्यों के संपादन में आर्थिक मदद का बढ़ना।

स्वैच्छिक संगठनों की राज्य की नीति के परिणामों के सतत् अनुश्रवण के लिये वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा। नीति में साक्ष्य पर आधारित (Evidence Based) परिवर्तन करने के लिये प्रत्येक समय–समय पर नीति के प्रभावों (Outcomes) का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जावेगा तथा नये परिदृश्य के अनुसार आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।

16.3.3 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.) 2010

विदेशी अंशदान, अनुदान या सहायता को सरकारी नियंत्रण में रखने के लिए वर्ष 1976 में यह अधिनियम पहली बार बनाया गया। पुनः वर्ष 2010 में बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप इस अधिनियम को बनाया गया। 29 अप्रैल 2011 को अधिसूचित इस अधिनियम में यह व्यवस्था दी गयी है कि किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रारुप एफ.सी.–3 में इलेक्ट्रॉनिकली ऑन–लाइन किया जाना चाहिए तदुपरांत ऑन–लाइन आवेदन की मुद्रित प्रति संगठन के मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षरित सभी अपेक्षित

दस्तावेजों सहित भेजी जाएगी। मुद्रित प्रति ऑन–लाइन आवेदन के 30 दिन के अंदर गृह मंत्रालय के पास पहुंच जानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन की वांछा रखने वाले व्यक्ति के लिए अभिदाय प्राप्त करने के लिए एक अनन्य बैंक खाता खोलना अपेक्षित होगा।

व्यक्ति, विदेशी अभिदाय प्राप्त होने के उपरांत इसका उपयोग करने के लिए एक से अधिक बैकों में एक से अधिक खाते खोल सकेगा। ऐसे सभी मामलों में, खाता खोलने के 15 दिन के भीतर, सूचना सादे कागज पर सचिव, गृह मंत्रालय, नयी दिल्ली को दी जायेगी।

16.3.3.1 पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना

किसी व्यक्ति द्वारा धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रारूप एफ.सी.–4 में ऑन–लाइन किया जाना चाहिए। ऑन–लााइन आवेदन की मुद्रित प्रति संगठन के मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षरित सभी दस्तावेजों सहित गृह मंत्रालय में 30 दिन के अंदर पहुंच जानी चाहिए। इस नियम के अधीन पूर्व अनुज्ञा की वांछा रखने वाले व्यक्ति के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने लिए एक अनन्य बैंक खता खोलना अपेक्षित होगा।

आवेदन शुल्क

पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन 1000/– रूपये शुल्क के साथ किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन 2000/– रूपये शुल्क के साथ किया जायेगा। यथा लागू शुल्क, वेतन एवं लेखाधिकारी, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक के माध्यम से प्रदत्त किया जायेगा।

वैधता एवं नवीनीकरण

किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से छः माह पूर्व उसके नवीनीकरण के लिए प्रारूप एफ.सी.–5 में केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन 500/– रूपये के शुल्क के साथ किया जायेगा।

16.3.3.2 प्राप्तकर्ता द्वारा विदेशी अभिदाय की सूचना

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रारूप एफ.सी.–6 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके साथ आय और व्यय विवरणी, प्राप्ति व भुगतान लेखा और 1 अप्रैल को आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र संलग्न किया जायेगा। प्रारूप एफ.सी–6 में दी जाने वाली वार्षिक विवरणी में विशिष्ट बैंक खाते में प्राप्त किये गये विदेशी अभिदाय का उल्लेख होगा और इसमें उपयोग के लिए अन्य बैंक खातों में अंतरित की गयी निधियों के संबंध में ब्यौरे भी सम्मिलित होंगे।

यदि विदेशी अभिदाय केवल वस्तुओं से ही संबंधित हो तो इसकी सूचना प्रारूप एफ.सी.–7 में प्रस्तुत की जायेगी। यदि विदेशी अभिदाय, विदेशी प्रतिभूतियों से सम्बन्धित हो तो इसकी सूचना प्रारूप एफ.सी.– 8 में प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक वित्तीय रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित होगी। विदेशी अनुदान संबंधित विस्तृत जानकारी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 के रूप में संलग्न है।

16.3.4 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) या सी.एस. आर.

भारत के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) नियम 2014 की अधिसूचना 27 फरवरी को जारी की। यह नियम 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुए हैं। ये नियम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और 7वीं अनुसूची को प्रभावी बनायेंगे।

इस नियम के अनुसार वैसी कम्पनियां जिन्हें बड़ा लाभ होता है उन्हें अपने मुनाफे का 2 प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करना होगा जो समाज की भलाई के लिए होगा। 500 करोड़ रूपये की न्यूनतम निवल वाली कम्पनी या 5 करोड़ रूपये के शुद्ध लाभ वाली कम्पनियां या 1000 करोड़ रूपये का कारोबार करने वाली कम्पनियों के लिए सी.एस.आर. गतिविधियों में 2 प्रतिशत खर्च करना अनिवार्य होगा।

सी.एस.आर. की अवधारणा को संपोषित आर्थिक विकास के सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता रहा है जिसमें यह आवश्यक होता है कि संगठन में वित्तीय पहलुओं पर आधारित निर्णय ही नहीं लिये जाते हैं अपितु उनके कार्यकलापों के तात्कालिक और दीर्घावधि सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों पर भी आधारित होते हैं।

16.3.4.1 निगमीय सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) में स्वैच्छिक संगठनों के लिए अवसर

सी.एस.आर. के क्षेत्र में कम्पनियां पिछले वर्षों से स्वैच्छिक संगठनों साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। चित्रकूट में मफतलाल समूह द्वारा सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के सहयोग, दीनदयाल शोध संस्थान को आरोग्यधाम के लिए टाटा समूह द्वारा सहयोग कम्पनी स्वैच्छिक संगठन भागीदारी के कुछ उदाहरण हैं। कम्पनी अधिनियम 2013 लागू होने के बाद योग्य कम्पनियों के लिए अपने लाभ का 2 प्रतिशत सी.एस.आर. पर खर्च करना आवश्यक है। इस अनिवार्यता के कारण बहुत सी कम्पनियां सामाजिक एवं विकासात्मक कार्य में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। एक अनुमान के अनुसार सी.एस.आर. मद में भारत में प्रत्येक वर्ष 18,000 करोड़ रूपये कम्पनियों को व्यय करने हैं। अतः इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संठनों की सहभागिता के पर्याप्त अवसर हैं। बड़ी कम्पनियाँ अपने सी.एस.आर. कार्य को स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित कर रही हैं। सिंगरौली जिले में स्थित हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज की महाल एल्युमुनियम अपने सी.एस.आर. कार्य का संचालन ग्राम सुधार समिति के माध्यम से कर रही है।

16.3.4.2 कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति (CSR Rules) 2014

केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप–धारा (1) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – **(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;

(ख) ''उपाबंध'' से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है;

(ग) ''कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)'' से निम्नलिखित अभिप्रेत और शामिल हैं किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है :–

(i) अधिनियम की अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों से संबंधित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम; अथवा

(ii) कंपनी की घोषित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड) द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलापों से संबंधित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम बशर्ते की ऐसी नीति में अधिनियम की अनुसूची 7 में उल्लिखित विषय सम्मिलित हों।

(घ) ''सीएसआर समिति'' के अधिनियम की धारा 135 में निर्दिष्ट बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व अभिप्रेत है;

(ङ) ''सीएसआर नीति'' कंपनी के कारबार के सामान्य प्रचालन के अनुसरण में किए गए कार्यकलापों को छोड़कर, अनुसूची 7 में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा किए गए कार्यकलाप और उस पर किए गए व्यय से संबंधित है;

(च) ''शुद्ध लाभ'' से अधिनियम के लागू उपबंधों के अनुसरण में तैयार किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार किसी कंपनी के शुद्ध लाभ अभिप्रेत है किंतु इनमें निम्नलिखित शामिल नहीं है अर्थात् :–

(i) कंपनी की विदेश स्थित किसी शाखा अथवा शाखाओं, चाहे वह अलग कंपनी के रूप में अथवा अन्यथा कार्यरत है, से प्राप्त कोई लाभ, तथा

(ii) भारत में अन्य कंपनियों जो अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत शामिल हैं अथवा इसके अनुबंधों का अनुपालन करती हैं, से प्राप्त कोई लाभांशः परन्तु किसी वित्तीय वर्ष, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसरण में सुसंगत वित्तीय विवरण तैयार किए गए थे, के संबंध में 'शुद्ध लाभ' की पुनः गणना अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित नहीं होगी। परन्तु यह और कि इन नियमों के अधीन आने वाली विदेशी कंपनी के मामले में शुद्ध लाभ से अधिनियम की धारा 198 के साथ पठित धारा 381 की उप–धारा (1) के खंड (क) के अनुसार तैयार लाभ–हानि खाते के अनुरूप ऐसी कंपनी का शुद्ध लाभ अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन नियमों मे परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

16.3.4.3 कारपोरेट सामाजिक दायित्व :

(1) प्रत्येक कंपनी अपनी होल्डिंग अथवा अनुषंगी सहित तथा अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के अंतर्गत परिभाषित कोई विदेशी कंपनी जिसका शाखा कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय भारत में है और जो अधिनियम की धारा 135 और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगी;

परन्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी विदेशी कंपनी का शुद्ध मूल्य, व्यापारावर्त अथवा शुद्ध लाभ की गणना अधिनियम की धारा 381 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 198 के उपबंधों के अनुसरण में तैयार किए गए उस कंपनी के तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण के अनुसार की जाएगी।

(2) प्रत्येक कंपनी जो क्रमवर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (1) के अंतर्गत कंपनी नहीं रहती है, उससे निम्नलिखित अपेक्षित नहीं होगा;

(क) सीएसआर समिति का गठन करना;

(ख) उक्त धारा की उप धारा (2) के उप धारा (5) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करना;

जब तक कि वह कंपनी धारा 135 की उप धारा (1) में निहित मानकों को पूरा नहीं करती।

16.3.4.4 सीएसआर कार्यकलाप

(1) कंपनी को अपनी कथित कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार अपने व्यवसाय के सामान्य कार्य के अनुसरण में किए गए कार्यों को छोड़कर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों (नए अथवा चल रहे) के रूप में अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप करने होंगे।

(2) कंपनी का बोर्ड कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति द्वारा अनुमोदित अपने सीएसआर कार्यकलाप किसी रजिस्ट्रीकृत न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसायटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के अधीन कंपनी द्वारा स्थापित किसी कंपनी अथवा उसकी होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के माध्यम से अथवा अन्य किसी तरीके से चला सकता है:

परन्तु कि –

(i) यदि ऐसा न्यास, सोसाइटी अथवा कंपनी की स्थापना उस कंपनी अथवा उसकी होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी द्वारा नहीं की गई हो तो इसके पास समान कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं चलाने का तीन वर्षों का प्रमाणित अभिलेख होना चाहिए;

(ii) कंपनी ने इन अस्तित्वों के माध्यम से चलाई जाने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों, ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर धन राशि के उपयोग की कार्य–प्रणाली और निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र विनिर्दिष्ट किया हो।

(3) कोई कंपनी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों को इस प्रकार चलाने के लिए अन्य कंपनियों के साथ भी सहयोग इस रीति में कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर अलग–अलग रिपोर्ट देने की स्थिति में हों।

(4) अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन, भारत में चलाई गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम अथवा कार्यकलाप ही कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय की कोटि में आएंगे।

(5) अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, उन कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं अथवा कार्यक्रम अथवा कार्यकलापों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप नहीं माना जाए जिनसे कंपनी के कर्मचारी अथवा उनके कुटुम्बों को ही फायदा हो।

(6) कंपनियां कम से कम तीन वित्तीय वर्षों में कार्य स्थापित अभिलेख वाली संस्थाओं के माध्यम से अपने कार्मिकों के साथ–साथ अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के कर्मचारियों की कारपोरेट सामाजिक दायित्व क्षमताएं बना सकती है किंतु ऐसा व्यय एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(7) अधिनियम की धारा 182 के अधीन किसी राजनीति दल को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी राशि के अंशदान पर सीएसआर कार्यकलाप के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

16.3.4.5 सीएसआर समितियांः

(1) नियम 3 में उल्लिखित कंपनियां निम्नानुसार सीएसआर समिति गठित करेंगीः

(i) धारा 135 की उपधारा (1) के अंतर्गत शामिल कोई असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी अथवा प्राइवेट कंपनी जिसके लिए अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (4) के अनुसरण में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करना अपेक्षित नहीं है, की ऐसे निदेशक के बिना अपनी सीएसआर समिति होगी;

(ii) उपनियम (1) में उल्लिखित कोई प्राइवेट कंपनी, जिसके बोर्ड में केवल दो निदेशक हों ऐसे दो निदेशकों के साथ अपनी सीएसआर समिति का गठन करेगी;

(iii) इन नियमों के अंतर्गत शामिल किसी विदेशी कंपनी के बारे में सीएसआर समिति में कम से कम दो व्यक्ति शामिल होंगे जिनमें से एक व्यक्ति अधिनियम की धारा 380 की उप धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा और दूसरा व्यक्ति विदेशी कंपनी द्वारा नामनिर्देशिति होगा।

(2) सीएसआर समिति कंपनी द्वारा शुरू की जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र संस्थित करेगी।

16.3.4.6 सीएसआर नीति :

(1) कंपनी की सीएसआर नीति में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी, अर्थात :–

(क) अधिनियम की अनुसूची 7 के क्षेत्र के भीतर आने वाले उन कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं या कार्यक्रमों, जिन्हें कंपनी शुरू करने की योजना बनाती है, की एक सूची तैयार करना, ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की रूपरेखा निर्धारित करना तथा उनकी कार्यान्वयन अनुसूचियां; तथा

(ख) ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया :

परंतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों में कंपनी के कारबार के सामान्य कार्य के अनुसरण में किए गए कार्यकलाप शामिल नहीं होंगे।

परंतु यह और कि निदेशक बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति में शामिल कार्यकलाप अधिनियम की अनुसूची 7 में शामिल कार्यकलापों से संबद्ध हैं।

(2) कंपनी की सीएसआर नीति विनिर्दिष्ट करेगी सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों से उद्भुत आधिक्य राशि कंपनी के कारबार लाभ का हिस्सा नहीं होगी।

4. सीएसआर व्ययः कोष में बोर्ड द्वारा अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश पर अनुमोदित सीएसआर कार्यकलापों संबंधी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर अंशदान सहित समस्त व्यय सम्मिलित होगा किंतु इसमें किसी ऐसी मद पर किया जाने वाला व्यय शामिल नहीं होगा जो अधिनियम की अनुसूची–7 के कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्यकलापों से संगत अथवा आधार पर न हो।

16.3.4.7 सीएसआर रिपोर्टिंग

(1) इन नियमों के अधीन होने वाली कंपनी की अप्रैल 1, को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष की बोर्ड रिपोर्ट में संलग्नक में निर्दिष्ट ब्यौरों को शामिल करते हुए सीएसआर संबंधी एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी।

(2) किसी विदेशी कंपनी के मामले में, धारा 381 की उपधारा 1 के उपखंड ख के अंतर्गत फाइल किए गए तुलन पत्र में सीएसआर संबंधी रिपोर्ट का एक संलग्नक अंतर्विष्ट होगा।

16.3.4.8 सीएसआर कार्यकलापों का अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शन :

कंपनी का निदेशक बोर्ड सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् कंपनी के लिए सीएसआर नीति अनुमोदित करेगा और ऐसी नीति की विषयवस्तु अपनी रिपोर्ट में प्रकट करेगा तथा उपाबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार इसे कंपनी वेबसाइट यदि कोई हो तो पर प्रदर्शित किया जाएगा।

उपाबंध

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूप–रेखा, जिसमें शुरू करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों/परियोजनाओं का ब्यौरा और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वैब–लिंक का संदर्भ शामिल हो।
2. सीएसआर समिति की संरचना।
3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।
4. विहित सीएसआर व्यय (ऊपर मद 3 में दी राशि का दो प्रतिशत राशि)

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के ब्यौरे;

(क) वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकमः

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकमः

(ग) वह रीति जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई रकम के व्यय का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित दिया गया है :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.	अभिज्ञान सीएसआर परियोाजना / कार्यकलाप	वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है।	परियोजनाएं कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) (उस जिले / राज्य का नाम जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाया गया)	परिव्यय रकम (बजट परियोजना / कार्यक्रम	परियोजना / कार्यक्रम पर खर्च की गई रकम उपःशीर्षः (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय, (2) उपरिव्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई रकमः प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयनकारी अधिकरण के माध्यम से
1.							
2.							
3.							
	योग						

कार्यान्वयन अभिकरण के ब्यौरे दें –

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत या उसका कोई भाग खर्च करने में असफल रहीं है तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में रकम खर्च न करने के कारण बताएगी।
7. सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व पदक–कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।

हस्ताक्षर (मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा प्रबन्ध निदेशक अथवा निदेशक)	हस्ताक्षर (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)	हस्ताक्षर अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्ति (जहां लागू हो)

16.3.5 आयकर – पंजीकरण प्रविधि (12 A)

भारत में आयकर सर्वप्रथम 1860 में लागू हुआ था। प्रारम्भ में धर्मार्थ उद्देश्यों से प्राप्त आय पूर्णतः कर मुक्त थी परन्तु अब आयकर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है। आयकर में छूट हेतु संस्थाओं को बहुत से नियमों का पालन करना होता है। उहें आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।

16.3.5.1 पंजीकरण के लिये आवेदन

- स्वयंसेवी संस्थाओं को पंजीकरण के लिये आयकर आयुक्त को फार्म 10ए (संलग्न) में आवेदन देना होगा।
- स्वयंसेवी संस्थायें जिस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित हैं उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ में नियमों एवं पार्षद अन्तर्नियमों को जो कि स्वयंसेवी संस्थाओं के निर्माण को प्रमाणित करें।
- पूर्व के 3 वर्षों के खातों की दो प्रति या स्वयंसेवी संस्थायें पूर्व 3 वर्षों से नहीं है जब से संस्था गठित हुई है, उतने वर्षों के खातों की दो प्रतियां।

16.3.5.2 आवेदन की समय सीमा

स्वयंसेवी संस्थाओं के बनने के एक साल के भीतर आवेदन कर दिया जाना चाहिये जो स्वयंसेवी संस्था समय पर आवेदन नहीं कर पाती हैं उन्हें आयकर में छूट आवेदन के वित्तीय वर्ष से प्राप्त होगी। यद्यपि आयकर आयुक्त को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आवेदन में देरी को क्षमा कर दे।

16.3.5.3 प्रदाय एवं निरस्त

पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आयकर कमिश्नर उन दस्तावेजों को अथवा जानकारी को मांग सकता है, कमिश्नर को यह अधिकार होता है कि वह आवेदन को निरस्त कर सकता है किन्तु किसी भी आवेदन को निरस्त करने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए।

16.3.5.4 निरस्तीकरण को चुनौती

आवेदन निरस्त होने की स्थिति में आयकर अधिनियम के सेक्शन 253 के अन्तर्गत व्यक्ति अपील कर सकता है।

आवेदन किसको – जहां स्वयंसेवी संस्थायें पंजीकृत है उस स्थान से आयकर आयुक्त को।

विशेष– पंजीकरण का तात्पर्य छूट नहीं है। आयकर पंजीकरण, आयकर छूट से अलग है आयकर छूट प्राप्त करने के लिये आयकर अधिनियम की विधि शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक है।

16.3.6 आयकर प्रविधि – स्थायीय खाता संख्या *(PAN)*

सभी स्वैच्छिक संस्थाओं जो की आयकर प्रविधि के अन्तर्गत आते हैं, उनके लिए पैन संख्या अनिवार्य होता है। यह संख्या आयकर विभाग द्वारा प्राप्त की जाती है।

3.6.1 आवेदन प्रक्रिया

यह आवेदन के लिए प्रारूप 49–ए होता है, 49–ए प्रारूप संलग्न–10 है। (प्रारूप की दो प्रतिलिपि तैयार कर प्रस्तुत करना होता है।)

स्थायीय खाता की आवश्यकता क्यों

स्थायीय खाता की आवश्यकता निम्न परिस्थितियों के लिए जरूरी होती हैः–

- आयकर विभाग में रिटर्न फाइल करने एवं अन्य आयकर संबंधित जरूरतें।
- कर जमा, ब्याज एवं जुर्माना जमा करने हेतु।
- निमनिलिखत परिस्थितियों मे :
  - 50,000 से अधिक स्थायीय सम्पत्ति के बिक्री एवं खरीदारी कार्य।
  - दुपहिया वाहन के अतिरिक्त वाहन खरीद एवं बिक्री हेतु।
  - 50,000 से अधिक राशि (पोस्ट ऑफिस एवं बैंक) जमा करने हेतु।
  - एक लाख से अधिक कोई भी शेयर एवं स्टाक के खरीदी एवं बिक्री हेतु
  - बैंक में खाता खोलने हेतु।
  - दूरभाष एवं मोबाइल के खरीदने हेतु।
  - 28,000 से अधिक के कोई भी होटल के भुगतान हेतु

नोट : वे सभी स्वैच्छिक संस्थाएं जो कि सेक्शन 139 ए अंतर्गत आती है और यदि पैन संख्या आयकर विभाग से नहीं लेती है वे सभी सेक्शन 272 के तहत दण्डित की जा सकती है। वित्तीय अधिनियम 2002 के अन्तर्गत सेक्शन

272 बी विशिष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है जिसमें संस्थाएं जो 13 ए से प्रतिपादित में विफल होती है तो संस्था को 500–10,000 रूपये तक का जुर्माना भरना होता है।

16.3.7 आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत पंजीयन

गैर–सरकारी संगठन आयकर अधिनियम की धारा 80 जी में पंजीकृत करवाकर तथा दूसरी निश्चित औपचारिकता पूरी करने पर आयकर से छूट प्राप्त कर सकता है। अधिनियम के कुछ विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत दानदाताओं को कर में छूट प्राप्त है। धारा 80 जी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म 10 जी में करना होता है।

16.3.7.1 धारा 80 जी के अन्तर्गत पंजीकरण

- अशासकीय संगठन को फार्म 10जी (सूची 29) में आयकर आयुक्त को पंजीकरण हेतु सीधे आवेदन करना होता है।

आवेदन पत्र तीन प्रतियों में आयकर आयुक्त को निम्नलिखित संलग्नक के साथ दिया जाना चाहिए :

1. आयकर पंजीकरण की प्रमाणित प्रति,
2. स्वयंसेवी संस्था की स्थापना से या पिछले तीन वर्ष जो भी कम हो, के साथ गतिविधियों का विवरण,
3. अंकेक्षित खातों की पिछले तीन वर्षों या स्थापना से अब तक जो भी कम हो की प्रतियां।

16.3.7.2 धारा 80 जी के अन्तर्गत अनुमोदन के लिये निर्धारित शर्तें

- अशासकीय संगठन की कोई ऐसी आय नहीं होना चाहिए जो कर योग्य हो जैसे व्यापार की आय, यदि अशासकीय संगठन की कोई व्यापारिक आय है तो उसके लिये अलग से लेखा जोखा रखे जाने का प्रावधान हो।
- अशासकीय संगठन किसी विशेष सम्प्रदाय या जाति के लिये कार्यरत नहीं होना चाहिये।
- अशासकीय संगठन की नियमित आय और खर्चों का लेखा होना चाहिये।
- अशासकीय संगठन नियमानुसार सोसायटी पंजीकरण धारा 1860 जी और अन्य कोई समान्तर कानून या कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 अंतर्गत पंजीकरण होना चाहिये।

16.3.7.3 धारा 80 जी के अन्तर्गत लाभ

जो व्यक्ति या संगठन धारा 80 जी के अन्तर्गत दान देता है उसकी अपनी कर योग्य आय में से 50 प्रतिशत तक कटौती प्राप्त हाती है। यहां पर सवाल उत्पन्न होता है कि 80 जी के अन्तर्गत कर से बचत 50 प्रतिशत है परन्तु वास्तव में यह ऐसा नहीं है। दान के 50 प्रतिशत तक कर योग्य आय में कटौती की जाती है तथा उस पर कर गणना की जाती है।

3.8 आयकर अधिनियम की धारा **35कग.** (1) जहां कोई निर्धारिती, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी य स्थानीय प्राधिकारी को अथवा राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी संगम या संस्था को किसी पात्र परियोजना या स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए किसी राशि के संदाय के रूप में कोई व्यय करता है, वहां निर्धारिती को, पूर्व वर्ष के दौरान किए गए ऐसे व्यय की रकम की कटौती, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञान की जाएगीः

परन्तु कोई कम्पनी, इस उपधारा के अधीन कटौती का दावा करने के लिए, यथापूर्वोक्त, किसी राशि के संदाय के रूप में अथवा पात्र परियोजना या स्कीम पर सीधे व्यय कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ–

(क) जहां संदाय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी संगम या संस्था को किया जाता है, वहां, यथास्थिति, ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी अथवा संगम या संस्था से,

(ख) किसी अन्य दशा में, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखापाल से, ऐसे फार्म में, ऐसी रीति से और ऐसी विशिष्टियों को दर्ज करते हुए (जिनके अन्तर्गत पूववर्ष के दौरान पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में कार्य की प्रगति से संबंधित विशिष्टियां भी हैं), जो विहित की जाएं, प्रमाणपत्र दे देता है।

स्पष्टीकरण – ऐसी कटौती से, जिसके लिए निर्धरिती इस उपधारा में निर्दिष्ट पात्र परियोजना या स्कीम को चलाने के लिए किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी स्थानीय प्रधिकारी या किसी संगम या संस्था को संदत्त किसी राशि

की बावत हकदार है, मात्र इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने के पश्चात्–

(क) ऐसे संगम या संस्था को दिया गया अनुमोदन वापस ले लिया गया है ; या

(ख) ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा चलाए जाने वाले पात्र कार्यक्रम या स्कीम को अधिसूचित करने संबंधी अधिसूचना को वापस ले लिया गया है।

(3) जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती का उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यय की बावत किसी निर्धारण वर्षके लिए दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात कर दी जाती है, वहां ऐसी कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे व्यय की बाबत उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(4) जहां कोई संगम या संस्था, उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित है और बाद में –

(i) उस समिति का यह समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन अनुमोदन किया गया था, नहीं चलाई जा रही है; या

(ii) ऐसे संगम या संस्था ने, जिसका अनुमोदन किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय समिति को ऐसे प्रारूप में और ऐसे विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है,

वहाँ राष्ट्रीय समिति, संबंधित संगम या संस्था को, अनुमोदन वापस लेने संबंधी प्रस्ताव के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात, किसी भी समय, ऐसे अनुमोदन को वापस ले सकेगीः

परंतु अनुमोदन वापस लेने संबंधी आदेश की प्रति राष्ट्रीय समिति द्वारा उस निर्धारण अधिकारी को, जिसकी संबंधित संगम या संस्था पर अधिकारित है, अग्रेषित की जाएगी।

(5) जहां कोई परियोजना या स्कीम, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित की गई है और बाद में –

(i) राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन ऐसी परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी, नहीं चलाई जा रही है ; या

(ii) ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध मे रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत नहीं की गई है,

परंतु अनुमोदन वापस लेने संबंधी प्रस्ताव के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर राष्ट्रीय समिति द्वारा, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण को दिया जाएगाः

परंतु यह और कि उस अधिसूचना की प्रति, जिसके द्वारा पात्र परियोजना या स्कीम की अधिसूचना वापस ली जाती है, उस निर्धारण अधिकारी को, जिसकी, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण पर जो ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम चला रहा है, अधिकारिता है, अग्रेषित की जाएगी।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां–

(i) किसी संगम या संस्था को दिया गया राष्ट्रीय समिति का अनुमोदन उपधारा (4) के अधीन वापस ले लिया जाता है या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था की दशा में उपधारा (5) के अधीन पात्र परियोजना या स्कीम संबंधी अधिसूचना वापस ले ली जाती है ; या

(ii) किसी कंपनी ने पात्र परियोजना या स्कीम पर प्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी व्यय की बावत उपधारा (1) के परंतुक के अधीन कटौती का दावा किया है और पात्र परियोजना या स्कीम के लिए अनुमोदन राष्ट्रीय समिति द्वारा उपधारा (5) के अधीन वापस ले लिया जाता है,

वहां, यथास्थिति, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा प्राप्त ऐसे संदाय की कुल रकम, जिसकी बावत ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था ने उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है या किसी कंपनी ने उपधारा (1) के परंतुक के अधीन दावा की गई कटौती, ऐसे पूर्व वर्ष के लिए जिसमें ऐसा अनुमोदन या अधिसूचना वापस ली जाती है, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था की आय समझी जाएगी, और ऐसी आय पर उस वर्ष में प्रवृत्त अधिकतम मार्जिनल दर पर कर प्रभारित किया जाएगा।

वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 1.4.2017 से धारा 35 कग की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) अंतःस्थापित की जाएगीः

(7) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) ''राष्ट्रीय समिति'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से गठित समिति अभिप्रेत है, जिन्हें सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त हुई है;

(ख) ''पात्र परियोजना या स्कीम'' से जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि या उत्थान के लिए ऐसी परियोजना या स्कीम अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

स्त्रोत पर कर कटौती तथा कटौती खाता नम्बर *(TAN)*

आयकर अधिनियम कानून के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को रूपये का भुगतान करता है तो उसे चाहिये कि भुगतान का निर्देशित भाग कर कटौती खाता नम्बर (टैन) प्राप्त करने की प्रक्रिया सभी संस्थाएं जो कि कर कटौती हेतु जवाबदार है, उन्हें आवश्यक है कि परामर्श अधिकारी से प्राप्त करें। टैन प्राप्त करने हेतु प्रारूप 49 बी में आवेदन करें।

हमने जाना

- स्वैच्छिक क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय और प्रादेशिक दोनों स्तरों पर नीति बनाई गई है। इसमें वर्णित प्रावधानों के आधार पर हम विशिष्ट क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण कर सकते हैं। या इन संगठनों में आवश्यकतानुसार गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं।

- स्वैच्छिक संगठनों पर आय के आधार पर आयकर अधिनियम की धारायें प्रभावी होती हैं। अपने उद्देश्य के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों को आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनेक छूट भी प्राप्त होती हैं। हम इनका लाभ लेकर उद्देश्य के अनुरूप समाज विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
- कम्पनी अधिनियम और सहकारी संस्था अधिनियम के विविध प्रावधानों को भी सावधानीपूर्वक लागू करना और लाभ के बिन्दुओं से संगइन को सशक्त कर हम सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

कठिन शब्दों के अर्थ

सीएसआर– सीएसआर का पूरा रूप कार्पोरेट सोशल रेस्पोसेबिलिटी है। इसके अंतर्गत अनेक कम्पनियां और संस्थायें अपने लाभ में से राशि का उपयोग सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में व्यय करती हैं। इस राशि से महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग मिल रहा है।

समावेशी विकास– विकास की वह अवधारणा जिसमें किसी एक वर्ग या समुदाय का लाभ न हो। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये जिसमें विकास से प्राप्त लाभ का फल समाज के सभी वर्गों को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो।

अभ्यास के प्रश्न

1. स्वैच्छिक क्षेत्रक हेतु राष्ट्रीय नीति पर प्रकाश डालें।
2. स्वैच्छिक क्षेत्रक हेतु मध्य प्रदेश में क्या प्रयास किये जाने हैं ?
3. स्वैच्छिक संगठनों पर लागू होने वाली कौन–कौन सी धाराएं प्रमुख हैं ?
4. निगमित सामाजिक दायित्व से आप क्या समझते हैं ?
5. विकासात्मक कार्य से आप क्या समझते हैं?
6. आयकर अधिनियम की धारा 80G के प्रावधानों पर प्रकाश डालें?
7. धारा 80G में पंजीकरण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइये।

आओ करके देखें

1. आपके क्षेत्र में किसी कम्पनी या संगठन द्वारा सीएसआर के तहत जो गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। उनकी सूची बनाइये तथा उनकी प्रभावशीलता का आंकलन कीजिये।
2. आपके क्षेत्र की किसी सामाजिक समस्या के निदान के लिये क्या आस–पास की कोई कम्पनी सीएसआर के तहत गतिविधियों का कार्यक्रमों का संचालन कर सकती है। इस संभावना पर एक आलेख तैयार कीजिये।
3. किसी संगठन के विभिन्न अधिनियमों में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र भरकर अभ्यास करें।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

1. Iqbal Shah : A practical guide to NGOs and Project Management, Amazon.
2. एन.जी.ओ. हैण्डबुक
3. Pandey, Devendra Prasad : "Development and Management of NGOs, Adhyayan Publishers, New Delhi.
4. Levis David : Non-governmental organisations management and development, Routledge Publishers
5. Michael Edwards : The Earthscan Reader on NGO Management, Earthscan Reader Series.

■■■

16.4 : स्वैच्छिक संगठनों का संचालन एवं प्रबंधन

(Management and Functioning of Voluntary Organizations)

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर हम जान सकेंगे कि :–

1. स्वैच्छिक संगठनों का वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जा सकता है।
2. स्वैच्छिक संगठनों की योजना निर्माण हेतु कौन–कौन से चरण होते हैं और इनके आधार पर एक अच्छी योजना का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है।
3. स्वैच्छिक संगठनों में संगठनात्मक व्यवहार और पारदर्शिता की दृष्टि से कौन–कौनसे उपाय किये जाने चाहिए।

16.4.1 विषय प्रवेश :

आधुनिक युग में स्वैच्छिक संगठन व्यवसायिक रूप से संचालित होने लगे हैं। व्यावसायिकता का प्रभाव इनके संचालन एवं प्रबन्धन पर स्पष्ट रूप से दिखता है। इस इकाई के माध्यम से एक स्वैच्छिक संगठन को दक्षता पूर्वक संचालित करने हेतु आवश्यक अध्ययन सामग्री प्रदान की जा रही है।

16.4.2 गैर–सरकारी संगठनों का वित्तीय प्रबंधन

वर्तमान समय में वित्तीय लेन–देन अत्यंत सहज एवं तीव्र है। लेखांकन के साफ्टवेयर 'टैली' ने लेखांकन को आसान बनाया है तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ने वित्तीय लेन–देन हेतु सुगमता प्रदान की है।

गैर–सरकारी संगठनों का वित्तीय प्रबंधन मुख्यतया लेखांकन, कोष प्रबंधन, निवेश प्रबंधन एवं विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों से संबंधित है। बड़ी संस्थाओं का वित्तीय प्रबंधन आयकर छूट, विदेशी अनुदान एवं स्वयं के स्रोत का

प्रबंधन प्रमुख है। बड़े संस्थान सामान्यतः टैली साफ्टवेयर पर लेखांकन कार्य करते हैं जबकि छोटे संगठन परम्परागत ढंग से लेखांकन करते हैं।

भारत ही नहीं विश्व के कई बड़े गैर–सरकारी संगठन, जो व्यावसायिक घरानों से संबंधित हैं, कई कम्पनियों या समूह में अंशधारी हैं। उदाहरणार्थ टाटा घराने के ट्रस्ट जैसे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, रतन टाटा ट्रस्ट इत्यादि टाटा समूह में साठ प्रतिशत से ज्यादा के अंशधारक हैं। अतः इन संगठनों का निवेश बहुत बड़ी मात्रा में आय अर्जित करता है। चूंकि अधिकांश स्वैच्छिक संगठन छोटे हैं अतः उनके लिए दीर्घ अवधि का वित्तीय प्रबंधन आवश्यक नहीं होता है अपितु वे मात्र अपने प्राप्तियों एवं खर्चों का विवरण रखते हैं।

16.4.2.1 वित्तीय प्रबन्धन (Financial Management)

किसी भी व्यावसायिक संस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए वित्तीय प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसका प्रभाव संगठन में सर्वत्र होता है और संस्थान के सभी अंग इसकी परिधि मे आ जाते हैं। वित्त वह धुरी है जिसके चारों ओर संस्थान की समस्त क्रियाएं घूमती हैं। सभी प्रबन्धकीय निर्णय वित्त की उपलब्धता, लाभदायिकता, सुरक्षा, तरलता एवं उसकी लागत के अधीन होते हैं। किंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि वित्त का इतना महत्व होते हुए भी, अधिकतर संस्थानों में, वित्त प्रबन्धन केवल एक सेवा कार्य माना जाता है। यद्यपि यह सत्य है कि जब वित्तीय साधनों की कमी होती है, तब एक नियंत्रक घटक बन जाता है और सभी क्रियाएं वित्त की उपलब्धता के अनुसार ही सम्पन्न हो पाती हैं।

किसी संस्थान में वित्तीय प्रबन्ध का सम्बन्ध वित्तीय क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय से होता है। इसका संबंध संस्थान के लिए केवल पर्याप्त कोषों को जुटाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन सब कार्यों से है जो वित्तीय प्रबन्ध के लिए आवश्यक है, जैसे अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन, पर्याप्त कोषों की प्राप्ति, पूंजी अनुपात का निर्धारण, वित्त की लागत पर नियंत्रण, बजट निर्माण, कम्पनी की तरलता एवं शोधन क्षमता को बनाए रखना, साख प्रबन्धन, करारोपण, लाभांश नीति का निर्धारण, संचय एवं कोषों का निर्माण, वित्तीय उद्देश्य एवं नीतियों का निर्धारण और वित्तीय संगठन एवं नियंत्रण के स्वरूप का निर्धारण। (जैन 1993)

16.4.2.2 खाता संचालन

स्वैच्छिक संगठन अपना खाता किन्हीं दो पदाधिकारी, जिनका वर्णन नियमावली में हो, के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी बैंक में खोल सकते हैं। खाता का संचालन किसी के नाम से न होकर अध्यक्ष–कोषाध्यक्ष, सचिव–कोषाध्यक्ष या किसी अन्य पद के नाम पर होता है। खाता खोलने के लिए बैंक संगठन का पंजीयन प्रमाण पत्र, नियमावली एवं घोषणा के साथ आवेदन की प्रति प्राप्त करता है जिनमें हस्ताक्षर के नमूने होते हैं। जब किसी राशि का आहरण किया जायेगा तो संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित चेक के माध्यम से ही भुगतान सम्भव हो सकता है।

16.4.2.3 बजट (Budget)

बजट प्रबन्धकीय नियोजन एवं नियंत्रण का एक बहुत ही उपयोगी साधन माना जाता है। बजट के ही माध्यम से किसी संस्था की भावी क्रिया–कलापों का निर्धारण किया जाता है। व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में एक निश्चित अवधि में होने वाली क्रियाओं के लक्ष्य एवं उनको प्राप्त करने के साधन बजट द्वारा ही स्पष्ट किये जाते हैं। इस प्रकार बजट मूलतः भावी क्रिया–कलापों का नियोजन है, किन्तु यह समन्वय और नियन्त्रण का आधार भी प्रस्तुत करता है।

बजट का सर्वप्रथम प्रयोग इंगलैंड में अठारहवीं सदी में सरकारी नियन्त्रण के साधन–रुप में प्रारम्भ हुआ है। कालान्तर में इसका प्रयोग लगभग उन सभी देशों में किया जाने लगा जहां पर प्रजातंत्रात्मक सरकारें थी। सरकारी बजट निर्माण की सामान्य विधि यह होती है कि देश की कार्यपालिका (Executive) विधायिका (Legislature)को प्रतिवर्ष के एक वित्तीय विवरण जिसको बजट की संज्ञा दी जाती है, प्रस्तुत करती है और जिसमें आगामी वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा होता है। इसी बजट के आधार पर सरकार की सफलता या असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। बजट सरकारी नीतियों के नियन्त्रण का एक प्रभावशाली उपकरण होता है। विशेष रुप से वित्तीय नीतियों के नियन्त्रण के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है।

औद्योगिक क्षेत्र में बजट का प्रयोग **एफ.डब्ल्यू. टेलर** के वैज्ञानिक प्रबन्ध के प्रयासों के अन्तर्गत हुआ। प्रारम्भ में इसका प्रयोग खर्चों की व्यवस्थित स्वीकृति के रूप में किया गया और इस प्रकार बजट का प्रयोग विज्ञापन, क्रय, आदि के खर्चों का आवंटन एवं नियन्त्रण के लिए किया जाने लगा। बाद में इसका प्रयोग विक्रय एवं

उत्पादन के क्षेत्रों में भी किया जाने लगा क्योंकि वहां भी क्रियाओं और लागत पर नियंत्रण की आवश्यकता प्रतीत हुई। 1920 तक इसका प्रयोग औद्योगिक संस्थाओं में प्रबन्धकीय नियोजन एवं नियन्त्रण के लिए सामान्य रूप से किया जाने लगा।

16.4.2.4 बजट से आशय

बजट मूलतः नियोजन की ही प्रक्रिया है, यद्यपि यह प्रबन्धकीय नियन्त्रण एवं समन्वय का भी महत्वपूर्ण उपकरण है। व्यवसाय से विभिन्न क्षेत्रों, जैसे – क्रय, विक्रय, उत्पादन, आय, व्यय, विनियोग, लाभ आदि में बजट कर्मचारियों के उपायों के पथ–प्रदर्शन के लिए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्रदान करता है। यह लक्ष्य ऐसे निर्धारित किए जाते हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में साधन और लक्ष्यों, विभिन्न विभागों तथा क्रियाओं के समयों में समन्वय स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते हैं और बाद में यही बजट प्रबन्धकों के हाथ में सफलता को नापने का आधार और पैमाना बनकर नियन्त्रण का साधन भी बन जाता है।

इस प्रकार बजट एक उपकरण है जिसके द्वारा प्रबन्धक भावी क्रियाओं का नियोजन करते हैं अर्थात् क्रियाओं का भावी मार्ग निश्चित करते हैं और उद्देश्य एवं उनको प्राप्त करने के साधन निर्धारित करते हैं। यह एक अनुमानित नियोजन है जो कि पूर्व अनुभवों, वर्तमान आंकड़ों और भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर किया जाता है। **जी. आर.टेरी** के अनुसार, ''बजट सुनिश्चित आधार पर क्रमबद्ध एक निश्चित अवधि के लिए संस्था की कुछ या सभी क्रियाओं का समावेश किए हुए भविष्य की आवश्यकताओं का एक अनुमान है।''**सेसिल गिलेस्पी** के शब्दों में ''बजट क्रियाओं का संगठित एवं क्रमबद्ध नियोजन है, जिसमें व्यवसाय की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं और जो नियोजन के वित्तीय परिणामों को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करता है।''

16.4.2.5 बजट के लक्षण

उपर्युक्त परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य मे बजट के कुछ लक्षणों का विवेचन अधोलिखित हैः–

(1) नियोजन का उपकरण– बजट मूलतः नियोजन का एक उपकरण है जिसके द्वारा प्रबन्धक भविष्य के मार्ग को निर्धारित करते हैं। बजट संस्था और उसके विभिन्न विभागों के लिए लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति के साधन सुनिश्चित करता है।

(2) निश्चित अवधि– बजट हमेशा एक निश्चित समय के लिए होता है, जैसे एक माह, तीन माह या एक वर्ष के लिए। अनिश्चित समय के लिए बनाया हुआ बजट भ्रामक एवं उद्देश्यहीन होता है। बजट की अवधि क्रियाओं के स्वभाव के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। आय–व्यय बजट एक वर्ष के लिए जबकि पूंजी व्यय बजट पाँच वर्ष के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

(3) परिमाणात्मक या सांख्यिकीय अभिव्यक्ति– बजट हमेशा मात्रा, संख्या या आंकड़ों में ही व्यक्त किया जाता है क्योंकि गणित की भाषा ही सुनिश्चित और स्पष्ट होती है। बजट का स्वभाव व्याख्यात्मक नहीं होता। बजट लक्ष्यों के निर्धारण के लिए मात्रा या आंकड़ों का आश्रय लेना आवश्यक होता है।

(4) बजट निर्माण का आधार– बजट क्रियाओं का एक अनुमानित नियोजन होता है जो कि पूर्व अनुभवों, वर्तमान दशाओं और भावी सम्भावनाओं पर आधारित होता है। इसलिए सही भविष्यवाणी और भूतकालीन आँकड़ों का बजट निर्माण में विशेष महत्व होता है। चूंकि बजट के माध्यम से संस्था के उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बजट में संस्था के लक्ष्यों, नीतियों, कार्यविधियों और साधनों का उचित समावेश हो, जिससे कि बजट द्वारा तैयार किया हुआ नियोजन यथा–सम्भव व्यवहारिक एवं वास्तविक हो तथा नियन्त्रण का उचित आधार प्रस्तुत कर सके।

(5) नियन्त्रण का मापदण्ड एवं समन्वय का आधार – बजट लक्ष्यों की स्थापना करके न केवल संस्था की भावी क्रियाओं का पथ–प्रदर्शन करता है बल्कि प्रबन्धकों के हाथ में निष्पादन के मूल्यंकन, अन्तरों की माप एवं सुधारात्मक कार्यवाही के लिए मापदण्ड का साधन बन जाता है। इसी प्रकार बजट के निर्माण के समय विभिन्न विभागों, समयों, नीतियों एवं साधनों में आपसी समन्वय स्थापित करना भी बजट के लिए आवश्यक तत्व हैं।

16.4.2.6 बजट नियन्त्रण

बजट मूलतः नियोजन की प्रक्रिया है, किन्तु कोई भी नियोजन बिना उचित नियंत्रण के थोथा अभ्यास है। अतः बजट द्वारा नियोजन का उद्देश्य ही नियन्त्रण करना होता है और सामान्यतः इसे बजटरी नियंत्रण कहा जाता है। वैसे भी किसी नियन्त्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण नियोजन अर्थात् लक्ष्यों की स्थापना करना ही होता है। अतः बजट नियन्त्रण में यह सुनिश्चित करना होता है कि बजट के लक्ष्य उचित रूप से निर्धारित किए गए हैं, क्रियाएं बजट के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं, यदि कोई कठिनाइयां या अन्तर हैं तो वे क्या हैं, क्यों, और उनको

दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इसीलिए बजट को नियन्त्रण का उपकरण भी कहा जाता है। बजट नियन्त्रण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निमनिलिखित हैं:

बाल्टर डब्ल्यू. बिग के अनुसार, ''बजट नियन्त्रण शब्द का प्रयोग प्रबन्ध एवं लेखाकर्म सम्बन्धी नियन्त्रण की उस पद्धति के लिए किया जाता है जिसके द्वारा सभी क्रियाओं और उत्पादन की यथासम्भव पूर्व घोषणा कर दी जाती है और फिर वास्तविक परिणाम, जबकि इनका पता चल जाता है, बजट अनुमानों से मिलाए जाते हैं।'' **जी. आर.टेरी** के शब्दों में, ''बजट नियन्त्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक क्रियाओं का पता लगाया जा सकता है और फिर बजट अनुमानों से उसकी तुलना की जाती है, ताकि उपलब्धियों की पुष्टि की जा सके अथवा बजट अनुमानों में समायोजन करके अथवा अन्तरों के कारणों का सुधार करके, अन्तरों को दूर किया जा सके।''

16.4.2.7 बजट नियन्त्रण के उद्देश्य

बजट नियंत्रण के प्रमुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं :–

(1) **नियोजन** (Planning)– बजट का सबसे प्रमुख उद्देश्य नियोजन अर्थात् संस्था में एक निश्चित अवधि में अपेक्षित भावी क्रियाओं का कार्यक्रम तैयार करना होता है। प्रबन्धक बजट के माध्यम से अपनी आशाएं व्यक्त करते हैं कि वे एक निश्चित अवधि में किसी व्यक्ति, विभाग या संपूर्ण संस्था से क्या चाहते हैं। बजट कार्यक्रम को सुनिश्चितता प्रदान करता है तथा सम्बद्ध पक्षों को प्रबन्धकों की इच्छाओं और आशाओं से अवगत कराता है। प्रबन्धकों की ये इच्छाएं और आशाएं जो कि बजट द्वारा व्यक्त की जाती हैं व्यावहारिक रूप से संस्था के साधनों से पूरी की जा सकती हैं। बजट के कार्यक्रम व्यवसाय के क्रय–विक्रय, उत्पादन, आय, व्यय, लाभ, विनियोग तथा कई अन्य क्षेत्रों के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार बजट लक्ष्यों एवं साधनों के नियोजन द्वारा संस्था को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है।

(2) **समन्वय** (Coordination)– बजट नियंत्रण का दूसरा उद्देश्य संस्था की क्रियाओं में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करना होता है। बजट के माध्यम से विभिन्न विभागीय एवं संस्था के लक्ष्यों में संतुलन, साधन एवं लक्ष्यों में समन्वय, विभिन्न विभागों की क्रियाओं में समन्वय, तथा विभिन्न क्रियाओं के समयों में समन्वय करने में बहुत सहायता मिलती है। बजट द्वारा विक्रय क्रियाओं की उत्पादन की मात्रा एवं समय में समन्वय स्थापित किया जाता है, क्रय के कार्यक्रम को उत्पादन अनुसूची के अनुरूप बनाया जाता है, तथा सभी

क्रियाओं को उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार नियोजित किया जाता है। कौन सी क्रिया किसके द्वारा, कैसे और कब सम्पन्न होनी है, इसके लिए समन्वय स्थापित किया जाता है। दुर्भाग्य से बजट के समन्वय उद्देश्य को प्रारम्भिक वर्षों में ढंग से नहीं समझा गया। बजट को खर्चों के नियंत्रण करने का साधन समझा गया और परिणामस्वरूप संस्था के विभिन्न विभागों ने वित्तीय साधनों की मांग में खींचातानी प्रारम्भ कर दी। जिससे विभिन्न विभागों में साधनों को प्राप्त करने के लिए अनुचित प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गई और बजट का उद्देश्य ही विफल हो गया। लेकिन अब खर्चों के नियंत्रण से हटकर क्रियाओं के समन्वय एवं संतुलन पर बल दिया जाता है और बजट इसका माध्यम होता है।

(3) **नियंत्रण** (Controlling)– इसका तीसरा उद्देश्य प्रबन्धकीय नियंत्रण स्थापित करना है। बजट नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह संस्था एवं विभागों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्रदान करता है, और उनसे उनको प्राप्त करने की आशा रखता है। इस प्रकार बजट प्रबन्धकों के हाथ में सफलता के मूल्यांकन के लिए एक सुनिश्चित मापदण्ड होता है। यह अन्तरों को स्पष्ट करता है, और असफलता के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने में सहायक होता है। यह सुधारात्मक कार्यवाही और भावी नियोजन का आधार भी होता है।

(4) **संदेशवाहन एवं पथ प्रदर्शन** (Communicating and Guiding)– बजट संदेशवाहन का भी कार्य करता है। इसके द्वारा औपचारिक रूप से हर विभाग और व्यक्ति यह जान जाता है कि प्रबन्धक उनसे क्या आशा रखते हैं और क्या चाहते हैं। बजट इस प्रकार न केवल कुशल संदेशवाहन का ही उद्देश्य पूरा करता है, बल्कि अधीनस्थों एवं विभागाध्यक्षों का मार्गदर्शन भी करता है।

(5) **आत्म–विश्वास एवं उत्तरदायित्व की भावना का सृजन** (Creation of self-confidence and sense of responsibility)– बजट के द्वारा हर व्यक्ति और विभाग अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से अवगत हो जाता है, प्रबन्धकों की इच्छाओं को जान जाता है और लक्ष्यों को समझ लेता है। फिर वह पूर्ण लगन और उत्तरदायित्व के साथ अपने कार्य में जुट जाता है। क्योंकि उसे पता होता है कि प्रबन्धक उससे क्या आशा कर रहे हैं, उसकी सफलता में वह प्रबन्धकों को भी प्रसन्न करेगा और उसे आत्म संतुष्टि और विश्वास भी होगा। फिर वह अपने दायित्वों को अन्य व्यक्ति पर खिसकाने की स्थिति में भी नहीं रह जाता। अतः उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने की भावना को बल मिलता है।

(6) सुनिश्चितता (leads to precision)– बजट संस्था एवं विभाग में एक सुनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न करता है। हर विभाग को अपने लक्ष्यों एवं साधनों का स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है, अतः किसी भी प्रकार के संघर्ष, भ्रान्ति या विलम्ब का कोई भय नहीं रह जाता।

(7) अधिकारों के प्रतिनिधायन का आधार (basis of delegation of authority)– बजट विभिन्न व्यक्तियों एवं विभागों की क्रियाओं को स्पष्ट करता है। अतः एक व्यक्ति या विभाग को क्या संबंधित अधिकार और साधन उपलब्ध कराए जाएं यह भी स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार, बजट अधिकारों के प्रतिनिधायन में बहुत सुनिश्चित आधार प्रदान करता है।

इस प्रकार, बजट नियंत्रण के कई उद्देश्य एवं लाभ हैं। बजट साधनों के दुरुपयोग को रोकता है और कुशलता को बढ़ावा देता है। वास्तव में, बजट संस्था के सीमित साधनों का एक निर्धारित अवधि में सर्वोत्तम प्रयोग सम्भव बनाने का एक साधन है। यह संस्था की भावी क्रियाकलापों का मार्गदर्शक है। किन्तु बजट को साध्य मानना एक बड़ी भूल है। कभी–कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब बजट के अनुशरण में कठिनाई या उद्देश्य की विफलता की सम्भावना हो जाती है, ऐसी स्थिति में विवेक का प्रयोग एक बजट में आवश्यक समायोजन आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि बजट सर्वोत्तम परिणाम पाने का साधन है, अपने में कोई साध्य नहीं है।

16.4.2.8 बजट की सफलता के लिए आवश्यक तत्व

एक सक्षम बजट नियंत्रण व्यवस्था के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं :–

(1) **निश्चित उद्देश्य एवं स्पष्ट नीतियां** –

संस्था के उद्देश्य एवं नियमों को स्पष्ट रुप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे कि बजट कार्यक्रम उन्हें सही और व्यावहारिक रुप दे सकें। इसी प्रकार विभागीय लक्ष्य और नीतियां भी स्पष्ट होनी चाहिए जिससे विभागीय बजट भी व्यावहारिक रूप से तैयार किए जा सकें। यदि उद्देश्यों एवं नीतियों में ही अस्पष्टता होगी तो बजट के द्वारा बहुत सी भ्रान्तियां उत्पन्न होंगी।

(2) सुव्यवस्थित संगठन संरचना एवं संघटित अधिकारों एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण–

बजट व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब संगठन की संरचना उचित रूप से सोच विचार कर की गई हो। क्रियाओं का वर्गीकरण, विभागीकरण, अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण तथा अन्य संगठन संरचना बजट की आवश्यकता के अनुरूप और स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि मास्टर बजट उपलब्धि के लिए विभागीय बजटों में परिवर्तित कर दिया जाता है, अतः यह आवश्यक है हर विभाग के अधिकार, कर्त्तव्य एवं दायित्व सुनिश्चित एवं आवश्यकता के अनुरूप हो।

(3) उचित लक्ष्य–

बजट लक्ष्य न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम होने चाहिए बल्कि व्यावहारिक होने चाहिए। व्यावहारिक लक्ष्यों से तात्पर्य यह है कि लक्ष्य उपलब्ध तथ्यों, आंकड़ों, भावी सम्भावनाओं तथा साधनों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उनके सही विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए। इसके लिए प्रबन्धकों में निष्पक्ष विचार, सत्य निष्ठा एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बजट में अनुचित रुप से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कठिन होती है, संस्था के कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है, व्यक्तिगत लगन पर कुठाराघात करती है एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण असम्भव बना देती है।

(4) सही अनुमान एवं भविष्यवाणी –

बजट एक अनुमानित नियोजन होता है, इसलिए आय, व्यय, क्रय–विक्रय, श्रम, आदि आंकड़ों की सही सूचनाएं बजट के सही निर्माण के लिए परमावश्यक होती है। यदि सूचनाएं ही अपर्याप्त या गलत हैं, तो बजट के लक्ष्य कभी उचित और व्यावहारिक नहीं हो सकते। इसलिए संस्था में संगठित लागत लेखा प्रणाली, कुशल सांख्यिकी संगठन, सक्षम संदेशवाहन व्यवस्था, सही भविष्यवाणी की व्यवस्था तथा तमाम तथ्यों एवं आंकड़ों के उचित विश्लेषण की विधि की आवश्यकता होती है। (जैन 1993)

16.4.2.9 दस्तावेज संधारण :

गैर–सरकारी संगठनों के प्रमुख का यह दायित्व है कि संगठन के मुख्य अभिलेख सुरक्षित रखे जायँ। वैसे तो संगठन के सचिव को यह सुनिश्चित करना होता है कि संगठन से संबंधित पंजीकरण, नवीनीकरण, चुनाव

इत्यादि कागजात एवं नस्ती का संधारण अपने पास रखे किन्तु अन्य विभागीय कर्मचारी संबंधित कार्यालय या विभाग के अभिलेख सुरक्षित रखें। उदाहरणस्वरूप लेखा विभाग लेखा पुस्तकें, बैंक से संबंधित कागज, आय–व्यय का हिसाब इत्यादि अपने पास रखें। मुख्यतया निम्न अभिलेखों का रख–रखाव आवश्यक है :–

(1) संस्था के पंजीकरण का प्रमाणपत्र एवं अन्य कागजात।

(2) आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण।

(3) विदेशी अनुदान (विनियमन) अधिनियम 2010 का प्रगति प्रतिवेदन एवं पंजीयन।

(4) संगठन के लेखा विभाग की नस्ती एवं कागज।

(5) बार्षिक प्रतिवेदन, उपभोग प्रमाण्पत्र, प्रगति प्रतिवेदन।

(6) कर्मचारियों से संबंधित नस्ती, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन, अवकाश, अग्रिम इत्यादि।

(7) परियोजनावार नस्ती।

16.4.2.10 गैर–सरकारी संगठनों के लिए लेखांकन
(accounting for non-government organisations)

जनहित के कार्य में लगे संगठन, गैर–सरकारी या गैर–लाभकारी या गैर–व्यापारिक संगठन होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा, कल्याण या विकास होता है। गैर–सरकारी संगठन सरकार, विदेशी स्रोत, चंदा, दान या अनुदान से प्राप्त आय का उपयोग समाज सेवा, कल्याण या विकासात्मक गतिविधियों में करते हैं। गैर–सरकारी संगठन वर्ष भर की प्राप्त राशि और उसके व्यय का लेखा प्राप्ति और भुगतान खाता में तथा वर्ष के दौरान आय और व्यय का लेखा 'आय–व्यय खाता' के गैर–सरकारी संगठन का अपना पूंजी कोष होता है। आय–व्यय खाता से प्राप्त आधिक्य को पूंजी कोष में जोड़ दिया जाता है या कमी को घटा दिया जाता है। आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ये संगठन आर्थिक चिट्ठा (balance sheet) बनाते हैं।

गैर–सरकारी संगठनों को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है जिसे वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय करते हैं। ये संगठन अपनी आय–व्यय का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी यथा प्रबंध मण्डल, अधिशासी मण्डल से प्राप्त करते हैं। गैर–सरकारी संगठनों में मुख्यतः स्वयंसेवी या स्वैच्छिक संगठन, धर्मार्थ संस्था, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठन, गैर–लाभकारी संस्था जैसे चिकित्सालय, पुस्तकालय, अनाथालय, विद्यालय इत्यादि आते हैं। इन संगठनों का वैधानिक पंजीयन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, इण्डियन ट्रस्ट एक्ट या विधि द्वारा स्थापित अन्य किसी अधिनियम के तहत होता है।

गैर–सरकारी संगठनों की आय के मुख्य साधन अनुदान, चंदा, सरकारी या गैर–सरकारी सहायता, सदस्यता शुल्क इत्यादि होते हैं। सैद्धान्तिक रूप से जिन भी संस्थानों से संस्था को आय अर्जित होती है उन सभी संस्थाओं/संगठनों को आय एवं व्यय का ब्यौरा देना आवश्यक होता है क्योंकि अनुदान, दान या सहायता देने वाला प्रत्येक संगठन यह चाहता है कि उनके द्वारा प्रदत्त राशि का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जा रहा है तथा जिस मद के लिए सहायता दी गयी है क्या संस्था उसी मद में सहायता का सदुपयोग कर रही है। इन्हीं कारणों से किसी गैर–सरकारी संगठन को आय–व्यय, प्राप्ति–भुगतान इत्यादि का हिसाब–किताब रखने की आवश्यकता होती है। आय–व्यय के सही विवरण से संस्था की जबावदेही पारदर्शी एवं नियमों के अनुपालन की स्पष्ट झलक मिलती है। यदि संस्था द्वारा प्राप्त आय उसके व्यय से अधिक है तो इसे आय पर व्यय का आधिक्य कहते हैं तथा यदि संस्था का व्यय आय से अधिक है तो इसे व्यय का आय पर आधिक्य कहते हैं। साधारण शब्दों में इसे घाटा कह सकते है।

16.4.2.11 गैर–सरकारी संगठनों के लेखांकन का उद्देश्य :–

किसी संगठन को निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लेखांकन आवश्यक होता है :–

(1) **व्यय का संतुलन –**

गैर–सरकारी संगठनों के लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य अपने व्यय के आय के अनुसार संतुलित रखना है। साधरण अर्थों में आय को दृष्टिगत रखते हुए व्यय किया जाय।

(2) **आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी–**

प्रत्येक संगठन वर्ष के अंत में अपनी वित्तीय स्थिति की सम्यक जानकारी प्राप्त कर अगले वर्ष की आय–व्यय पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। अतः यह आवश्यक है कि लेखांकन कार्य किया जाय इस हेतु आय–व्यय, प्राप्ति–भुगतान एवं चिट्ठा तैयार किया जाता है।

(3) **सम्पूर्ण वित्तीय जानकारी** – गैर–सरकारी संगठनों के लेखांकन का उद्देश्य संगठन की निश्चित अवधि या वर्ष के अंत की आय, कर इत्यादि की जानकारी प्राप्त करना होता है।

गैर–सरकारी संगठन अपना लेखांकन कार्य रोकड़ पद्धति (cash system) के अनुसार करते हैं। यह प्रणाली सरल, कम खर्चीली एवं नियमानुकूल है। इसके माध्यम से प्राप्ति एवं भुगतान खाते का सरलता से ज्ञान होता है, बचत एवं घाटे का आँकलन सम्भव होता है। इसके द्वारा उधार लेन–देन एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।

रोकड़ पद्धति के अंतर्गत रखी जाने वाली निम्न पुस्तकें आवश्यकतानुसार विभिन्न संगठनों द्वारा रखी जाती है :–

(1) **रोकड़ पुस्तक** – रोकड़ पुस्तक में सभी प्राप्तियों एवं भुगतानों का तिथिवार लेखा किया जाता है। रोकड़ पुस्तक में संगठन को प्राप्त होने वाली राशि डेबिट (बायें) पक्ष में तथा भुगतान की गयी राशि क्रेडिट (दायें) पक्ष में लिखी जाती है। इस पुस्तक का सारांश समय–समय पर प्राप्ति एवं भुगतान खाते के रूप में तैयार किया जाता है।

(2) **सारण पुस्तिका** (Memorandum book)– इस पुस्तिका में उन लेन–देन को लिख लिया जाता है जिन्हें रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता। जैसे ही उस मद की राशि प्राप्त होती है या उसका भुगतान कर दिया जाता है उस लेखे को स्मरण पुस्तिका में काट दिया जाता है। इसी कारण इसे याद्दाश्त बही भी कहा जाता है।

(3) **स्टॉक रजिस्टर** – संगठन द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति तथा वस्तुओं जैसे – फर्नीचर, दवा, औजार, कच्चा माल, भवन, पुस्तक, प्रतिभूति इत्यादि का उल्लेख होता है। इनके बेचने, खोने या नष्ट होने का भी विवरण इसमें दिया रहता है।

(4) **अन्य पुस्तकें** – विभिन्न प्रकार संगठनों के लिए अलग–अलग अन्य रजिस्टर तैयार किया जाता है जैसे धर्मार्थ संस्थाओं में 'दानदाता' रजिस्टर, साहित्य एवं संस्कृति संगठनों में 'चंदा' रजिस्टर, शैक्षणिक संगठन में 'शुल्क' रजिस्टर इत्यादि।

16.4.2.12 व्यावसायिक इकाई के लेखे :

बहुत से गैर–सरकारी संगठन जैसे सेवा, सद्गुरू सेवा संघ ट्रस्ट एवं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करती हैं। इनके लिए अलग–अलग लेखे रखे जाते हैं तथा संगठन के आय–व्यय लेखा तथा आर्थिक चिट्ठे में इनको सम्मिलित कर लिया जाता है। व्यावसायिक इकाई कभी–कभी प्रशिक्षण, उत्पादन या प्रदर्शन के लिए स्थापित की जाती हैं अतः इनका लेखा रखना आवश्यक होता है।

16.4.2.13 वार्षिक प्रतिवेदन :

प्रत्येक गैर–सरकारी संगठन को वर्ष पर्यन्त किये गये कार्यों के संक्षिप्त विवरण के रूप में वार्षिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार करना आवश्यक है। वार्षिक रिपोर्ट में अनुदानित एवं गैर–अनुदानित दोनों तरह की विभिन्न परियोजनाओं एवं परियोजना के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी परियोजना से लाभ एवं क्षेत्र इत्यादि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। दानदाता एजेंसी गैर–सरकारी संगठनों से वार्षिक रिपोर्ट अनिवार्यतः लेती है ताकि संगठन के कार्यों का विवरण प्राप्त हो सके।

16.4.2.14 वार्षिक अंकेक्षण :

प्रत्येक गैर–सरकारी संगठन को 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष का लेखा परीक्षा किसी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट के द्वारा कराना अनिवार्य है। चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट गैर–सरकारी संगठनों की रोकड़ बही एवं अन्य लेखा

पुस्तकों का अध्ययन कर वित्तीय विवरण तैयार कर प्रमाणन करता है। यह प्रमाणन फण्डिंग एजेंसी को प्रेषित किया जाता है।

कई बार जब स्वैच्छिक संगठन विभिन्न दाता संस्थाओं को वित्तीय सहायता या परियोजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते हैं तो उसके साथ अनिवार्य रूप से वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक अंकेक्षण की प्रति संलग्न करना आवश्यक होता है।

अंकेक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा सभी संगठनों पर लागू की जाती है। वैधानिक अंकेक्षण लेखा पुस्तकों एवं व्यवहारों का इस उद्देश्य से निरीक्षण है कि लेखा–पुस्तकों एवं खातों तथा चिट्ठे के द्वारा संगठन की आर्थिक स्थिति का उचित एवं सही प्रदर्शन हुआ है या नहीं। अंकेक्षण–कार्य एवं स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा किया जाता है। अंकेक्षक एक चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट या विधि द्वारा निर्धारित योग्यताओं से सम्पन्न होना चाहिए। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि लेखा–पुस्तकें कहां तक संगठन की सत्य एवं सही वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन करती है, कहां तक पूर्ण एवं सुसंगत हैं और कहां तक संगठन के नियमों, लेखाकर्म के सिद्धांतों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुकूल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए खातों एवं पुस्तकों की सावधानी एवं विवेक से जांच करना आवश्यक होता है जिससे खातों में निहित त्रुटियों और कपटों को पकड़ा जा सके और भविष्य में होने से रोका जा सके। यहां यह भी ध्यान देने येाग्य बात है कि वैधानिक अंकेक्षण प्रबन्धकों द्वारा स्थापित कोई नियंत्रण की विधि नहीं है, बल्कि प्रबन्धकों के अनुचित कार्यों की रोकथाम एवं पकड़ के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक नियंत्रण है। फिर भी इससे संस्था में नियंत्रण स्थापित करने एवं कुशलता बढ़ाने में सहायता मिलती है।

वैधानिक अंकेक्षण का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसके द्वारा संस्था के कर्मचारियों या प्रबन्धकों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों, अनियमितताओं, कपटों एवं अन्य अनुचित कार्यों का भण्डाफोड़ होता है। यह विधि परोक्ष रूप से नियंत्रण करती है और संस्था में चतुर्मुखी कुशलता लाती है। अंकेक्षण का निरोधात्मक प्रभाव भी होता है क्योंकि प्रबन्धक एवं कर्मचारी सभी अंकेक्षण की प्रतिकूल टिप्पणी से डरते हैं। इस प्रकार नियंत्रण की यह एक अच्छी निदानात्मक विधि है।

अंकेक्षण केवल वित्तीय मामलों पर ही नियंत्रण रखता है, प्रबन्ध एवं संचालन की अन्य क्रियाएं इसके क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होती है। फिर यह एक ऐसी नियंत्रण विधि है जो प्रबन्धकों के कार्यों का परीक्षण एवं सत्यापन करती है। कभी–कभी अंकेक्षक एवं प्रबन्धकों के दृष्टिकोण में अन्तर हो सकता है। (जैन 1994)

16.4.2.15 प्रबन्ध–अंकेक्षण (Management - audit)

जेम्स ओ' मैक किन्से ने सामयिक प्रबन्ध अंकेक्षण की प्रबन्ध की त्रुटियों का पता लगाने एवं उनको सुधारने के लिए सलाह दी। आन्तरिक एवं वैधानिक दोनों ही अंकेक्षण प्रबन्धकीय क्रियाओं एवं उनके निष्पादन पर कोई नियंत्रण प्रदान नहीं करते। प्रबन्ध–अंकेक्षण या प्रबन्ध–स्व–अंकेक्षण एक ऐसा अंकेक्षण है जो प्रबन्धकों द्वारा स्वयं कुछ निश्चित या अनिश्चित समयान्तर से आयोजित किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य प्रबन्ध नीतियों , व्यवहारों, नियमों एवं कार्य–विधियों के दोषों का पता लगाना तथा उनमें सुधार के लिए उचित निर्णय लेना एवं कार्यवाही करना होता है। यह संस्था की वर्तमान स्थिति के सुनिश्चित करने का साधन है, एवं यह भी जानने का साधन है कि संस्था ने पिछले वर्षों में कितनी प्रगति की है तथा पांच या दस वर्षों में संस्था कहां पहुंचेगी। परिवर्तनशील परिस्थितियां संस्था को परिवर्तनशील वातावरण में प्रगति करने के लिए बाध्य करती हैं और उन परिस्थितियों से सुसंगति बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं, इसलिए प्रबन्धकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह प्रबन्ध को गतिशील बनाए रखें। इस गतिशीलता के लिए संस्था के उद्देश्यों, नीतियों, नियमेां, कार्य–विधियों, संगठन संरचना, विभागीकरण, अधिकार संबंधों, नियंत्रण विधियों, अभिप्रेरण एवं नेतृत्व की विधियों, आदि की समीक्षा एवं मूल्यांकन समय–समय पर किया जाय और उनमें सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तन एवं समायोजन किए जाएं। दीर्घकालीन उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित करना प्रबन्ध अंकेक्षण का मुख्य योगदान है।

16.4.3 स्वैच्छिक संगठन का शासी निकाय

स्वैच्छिक संगठन के पंजीकरण के समय उसकी नियमावली में शासी निकाय का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होता है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, एवं अन्य सदस्यों का पता, पेशा इत्यादि विवरण दिया रहता है। शासी निकाय के अधिकार कर्त्तव्य, बैठक, चुनाव इत्यादि भी वर्णित होता है।

16.4.3.1 स्वैच्छिक संगठन के लिए सुशासन

स्वैच्छिक संगठन के रूप में पंजीकरण की तैयारी करते समय यह महत्वपूर्ण है कि संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता और विश्वसनीयता के लिए कार्य साथ–साथ किए जाएं। इस अनुभाग में हम स्वैच्छिक संगठनों के अच्छे शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और यह समझाने की कोशिश करेंगे कि संगठन के लिए ''सुशासन'' क्यों महत्वपूर्ण हैं। इस अध्याय में उन मानकों पर भी चर्चा की जाएगी जिन्हें एक स्वास्थ परम्परा को बनाए रखने के लिए संगठन द्वारा अपनाया जाना चाहिए और इस पर भी चर्चा की जाएगी कि संगठन के अच्छे शासन में शासी बोर्ड की क्या भूमिका हो सकती है।

सुशासन स्वयं में एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि एक मजबूत संगठनात्मक शासन ही लाभग्राहियों को यह आश्वासन दे सकता है कि संगठन उनके हितों को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। एक मजबूत नेतृत्व जिसके पास जवाबदेही और पारदर्शिता के गुण होते हैं वही संगठन के प्रति लोगों के विश्वास को पक्का रख सकता है जिससे वह संगठन सफलता की ओर बढ़ता है। चूंकि सभी स्वैच्छिक संगठन सार्वजनिक निधि और निजी दान के आधार पर अपने कामकाज का संचालन करते है अतएव उनके लिए एक सुशासन की परम्परा को स्वीकारा जाना और उसके प्रति समर्पित बने रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

सुशासन की परम्परा कहलाने के लिए निम्नालिखित बातों की आवश्यकता होती हैः–

- कि आपके संगठन को जनता के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी बनाना, ताकि यह संकेत मिल सके कि धन का उपयोग अच्छे से अच्छे ढंग से किया जा रहा है।
- संगठन के मूल्यों संबंधी ढाँचा निर्धारित करना और उसके द्वारा विकसित किए गए रूप में संगठन की दृष्टि का निर्माण करना।
- संगठन के लिए कार्यशैली की रणनीति तैयार करके मिशन को पुनः नियत करना।
- अंतंतः संगठन के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों द्वारा लाभग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए आपके संगठन की प्रभाविकता और कार्यक्षमता को बढ़ाना।

16.4.3.2 सुशासन के लिए बुनियादी सिद्धांत

संगठन में सुशासन के लिए निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है :

- कानूनी विनियमों का अनुपालन करना।
- सुनिरूपित/सुपरिभाषित दृष्टि/मिशन/उद्देश्य रखना।
- एक पारदर्शी और प्रभावकारी शासी बोर्ड का होना।
- कार्यक्रम/गतिविधियां जनहित में हैं और उनका त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन होता है और ये संस्था के उद्देश्य विजन/मिशन के अनुरूप है।
- वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन और बजट प्रणाली सहित योजना निर्माण और प्रबंधन प्रक्रिया नियमानुसार है।
- स्टाफ/कर्मियों की भूमिका और जिम्मेदारी सुपरिभाषित है और बोर्ड के सदस्यों के साथ–साथ उनकी क्षमता के निर्माण और मानव संसाधन के मूल्यांकन के प्रयास सत्त रूप से चलते रहते हैं।
- परियोजनाओं और सेवाओं के अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए प्रभावी साधन है।
- संगठन के सभी स्तरों पर प्रभावी भागीदारी के लिए पुरूषों और महिलाओं के लिए समान अवसर विद्यमान हैं और इसकी प्रक्रिया सुनिश्चित है। साथ ही वे वांछित जानकारी प्रदान कर सकते हैं और अपने बारे में दूसरों को प्रभावी ढंग से जानकारी देने में समर्थ हैं।
- सदस्यों, वेतन पाने वाले स्टाफ, स्वयंसेवकों और लाभग्राहियों सहित अपनी पूरी टीम की सृजनात्मक ऊर्जा से और विभिन्न स्त्रोतों से मिलने वाली निधि को भी उपयोग में लाने की क्षमता है।
- वार्षिक रिपोर्ट ठीक ढंग से तैयार करना और संगठन में हित रखने वाले और उससे जुड़े व्यक्तियों के अनुरोध पर उसे उपलब्ध कराना
- लेख–जोखा पैटर्न का अनुपालन करना जिसमें धन की आमद और खर्च का सही ब्यौरा रखा जा सके ।

- बोर्ड के पास खरीद, निपटान, परिसम्पत्ति के विक्रय और अन्य आंतरिक नियंत्रण तंत्र संबंधित लिखित निर्माण करना।

एक अच्छी शासन व्यवस्था वाले संगठन की प्रमुख विशेषताएं साररूप में इस प्रकार हो सकती है : सहभागी सहभागिता (पुरूषों और महिलाओं दोनों द्वारा), आमराय उन्मुख्ता (वही करता है जो समाज के सर्वाधिक हित में हो), जवाबदेह, पारदर्शी, संवेदनशील, प्रभावी, कार्यदक्ष, और नैतिकवादी, समता और समाहिता (अपने सभी सदस्यों को अपनी जीवन शैली में सुधार लाने और उसे बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है), और कानून के नियमों का पालन करता है (उचित विधिक ढाँचे का निष्पक्ष ढंग से प्रवर्तन करता है)।

16.4.3.3 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व :

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने विज्ञान पत्रिका को दिये गये साक्षात्कार में गैर–सरकारी संगठनों को विकास अवरुद्ध करने वाले संगठन के रूप में सम्बोधित किया था। सम्भवतः यह इन संगठनों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही को लेकर है।

गैर–सरकारी संगठन की स्थापना सभी को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। भारत में पंजीकृत बहुत से गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) अपने–अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आमतौर पर एनजीओ समाज से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं और इसका इस्तेमाल गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य, बेसहारा बच्चों के कल्याण, महिलाओं को अधिकार प्रदान करने एवं दहेज जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों से मुकाबला करने के लिए करते हैं। बदले में सरकार इस अच्छे काम के लिए उन्हें कर में छूट देती है।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2005–06 और 2006–07 में भारत में गैर–सरकारी संस्थाओं को विदेशों से होनो वाली फंडिंग में 56 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वित्तीय वर्ष 2008 में भारत को 2 अरब 15 करोड़ डॉलर की विदेशी मदद मिली। भारत में करीब 33 लाख गैर–सरकारी संगठन पंजीकृत हैं लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। इनमें से बहुत से केवल कागजों में ही पंजीकृत हैं और विदेशों से सहायता प्राप्त करके उनका दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि विदेशी दानदाता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इनमें से बहुत गैर–सरकारी संगठन अपना

लेखा–जोखा भी नहीं देते। बहुत से गैर–सरकारी संगठन केवल फायदे के लिए काम कर रहे हैं और अपने काम करने की जगह और नाम अचानक बदल लेते हैं ताकि जवाबदेही से बच सकें।

ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि यहां पारदर्शिता का अभाव है। भारत में यह समस्या इसलिए और जटिल हो गई है क्योंकि यह क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। भारतीय गैर–सरकारी संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी सहायता के इस्तेमाल के बारे में वर्ष 2006–07 में जारी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन्हें प्राप्त 2 अरब 15 करोड़ डॉलर की विदेशी सहायता में से करीब 68 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल संगठन पर किया गया जबकि 56 करोड़ 30 लाख डॉलर प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के राहत और पुनर्वास पर, 43 करोड़ 50 लाख डॉलर ग्रामीण विकास पर, 26 करोड़ 90 लाख डॉलर स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण और उनके रखरखाव और 25 करोड़ 30 लाख डॉलर बच्चों के कल्याण पर खर्च किए गए।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में 41 एनजीओ के विदेशों से धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ष 2010 में सरकार ने 1976 के विदेशी योगदान नियमन कानून में संशोधन किया जिसके अंतर्गत विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले एनजीओ पर नजर रखी जाती है। इसके अंतर्गत संगठनों को हर साल सरकार को इस बारे में विस्तृत जानकारी देनी पड़ती है कि उन्हें कितनी विदेशी सहायता मिली और उसका कैसे इस्तेमाल किया गया। इस संशोधन के बाद अब यह व्यवस्था हो गई है कि जो भी गैर–सरकारी संगठन गृह मंत्रालय के पास अपना रिटर्न दाखिल नहीं करेगा वह विदेशी धन प्राप्त करने का अधिकार तीन वर्ष के लिए खो देगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्तशासी संगठन कांउसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (कपार्ट) के अनुसार देश के करीब 2,900 एनजीओ और स्वयंसेवी संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया या इन्हें सहायता देने पर रोक लगा दी गई। इनमें से कपार्ट द्वारा काली सूची में डाले गए 362 गैर–सरकारी संस्थाओं के पास विभिन्न परियोजनाओं के लिए उन्हें दिए गए 12 करोड़ 30 लाख रूपयों का कोई हिसाब–किताब नहीं था। इन गैर–सरकारी संस्थाओं ने करीब 48 लाख 70 हजार रूपयों का दुरूपयोग किया। जिन गैर–सरकारी संस्थाओं को काली सूची में डाला गया उनमें सबसे अधिक 192 आंध्र प्रदेश से, 125 बिहार से, 83 तमिलनाडु से, 75 कर्नाटक से, 72 उत्तर प्रदेश से, 42 राजस्थान से, 35 केरल से, 23 दिल्ली से, 20 हरियाणा से, 18 मणिपुर से, 15 मध्य प्रदेश से, 13 गुजरात से, 10 नागालैंड और 8 झारखंड से थे।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कुछ गैर–सरकारी संस्था की अनुचित गतिविधियों के कारण उन्हें काली सूची में डाल दिया है। एक बार काली सूची में आ जाने के बाद वह गैर मंत्रालय से किसी तरह की वित्तीय सहायता नहीं ले सकता और मंत्रालय इस तरह के एनजीओ की कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में कोई ब्यौरा नहीं रखता।(पंत 2011)

सरकार का यह प्रयास है कि गैर–सरकारी संगठनों को जबावदेह और पारदर्शी बनाया जाय।

16.4.4 स्वैच्छिक संगठन कर्मचारियों की क्षमता निर्माण

कर्मचारियों के कार्य निष्पादन क्षमता की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि कर्मचारी अपनी सम्पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य करें जिसे संगठन का समग्र विकास हो। क्षमता निर्माण में प्रत्येक कर्मचारी के विद्यमान कौशल, ज्ञान कार्य में विशेषज्ञता को सृदढ़ बनाना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी अपनी भूमिका अधिक दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से निभा सकें। संगठन के कर्मचारियों की क्षमता के निर्माण के दूसरे लाभ भी हैं जैसे :

- स्टाफ विकास से उन्हें बनाए रखने में मदद मिलती है
- स्टाफ की कार्यदक्षता बढ़ती है जिससे संगठन में संसाधन भण्डार सृजित होता है।

कर्मचारियों की क्षमता को विकसित करने के कई तरीके हो सकते हैं जिनमें कई तरीके संगठन के भीतर अपनाए जाने वाले हैं, कई बाहरी अभिकरणों के माध्यम से, यहाँ तक कि कुछ तरीके पूरी तरह औपचारिक हो सकते हैं और कुछ कम औपचारिक हो सकते हैं। किसी भी तरीके को अपनाने से पहले संगठन और उसके स्टाफ को ज्ञान प्राप्त करने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना चाहिए जैसे :

- ज्ञान प्राप्त करने का कोई नियत तरीका नहीं हैं जिसे अपना लेने के बाद स्टाफ की क्षमता स्वतः ही विकसित हो जाए।
- स्टाफ को अपने प्रयासों में समर्पण रखना होगा। सकरात्मक ज्ञान के लिए सदैव तत्पर रहना होगा।
- संगठन की भूमिका अपने कर्मचारियों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने की होगी ताकि क्षमता निर्माण की दिशा में की गई पहल सार्थक हो।

अतएव, संक्षेप में एक ओर कर्मचारियों को तत्पर और संगठन के प्रति जिम्मेदार बनना पड़ेगा वहीं दूसरी ओर संगठन की भी यह भूमिका होगी कि वह अपने स्टाफ को सीखने के लिए प्रेरित करे ताकि वे अपने ज्ञान का उपयोग अपनी कार्यशैली में कर सकें।

प्रशिक्षण का कोई औपचारिक या अनौपचारिक तरीका अपनाने से पहले संगठन को अनिवार्य रूप से अपने कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों का आकलन करना चाहिए और इस निमित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने चाहिए जैसे :

- वे कौन–कौन से क्षेत्र है जिनमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना जरूरी है?
- प्रशिक्षण की जरूरत किन–किन कर्मचारियों को हैं?
- प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
- प्रशिक्षण की विषय–वस्तु क्या होगी?
- किस तरह के कौशल और ज्ञान की जरूरत है?
- क्या हमारे पास आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलबध है?
- हमें किस तरह के प्रशिक्षकों की आवश्यकता है और हम उन्हें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
- हम ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्त की व्यवस्था कहाँ से करेंगे ?
- ऐसे कार्यक्रम के सम्पन्न होने के बाद प्रतिभागियों को किस तरह का लाभ मिलेगा?

कर्मचारियों की क्षमता का विकास करने के अनेक तरीके हैं जिन्हें स्वैच्छिक संगठन द्वारा अपनाया जा सकता हैं। ये सभी तरीके एक समय–बद्ध प्रक्रिया के रूप में देखे जाने चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप इसके प्रतिभागियों में निम्नलिखित क्षमताएं विकसित हो जाती हैं :–

- अभिरूचि
- कौशल
- ज्ञान

उक्त क्षमताएं संगठन के मिशन के संबंध में उनके कार्य–निष्पादन में सुधार के लिए होती हैं। इस प्रक्रिया के निम्नलिखित तरीके अपनाएं जा सकते हैं :–

16.4.4.1 खास तौर पर तैयार किए गए पाठयक्रम (प्रशिक्षण मॉड्यूल)

प्रशिक्षण के घटनाक्रमों को संगठन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है और इसलिए इन्हें तैयार करने में संगठन की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है चूंकि उन्हीं बातों को सीखने के लिए कई लोग होते है इसलिए यह प्रक्रिया बहुत कम खर्चीली होती है।

16.4.4.2 कार्यशालाएं

कार्यशलाएं परिणामोन्मुखी कक्षाएं हैं जो किसी खास समस्या खासतौर पर जिसके लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदारी निर्धारित होती है – के हल के लिए बेहद उपयोगी होती हैं।

16.4.4.3 संगोष्ठियाँ/सम्मेलन

संगोष्ठियाँ/सम्मेलन लोगों को मुद्दों से रू–ब–रू होने का अवसर देते हैं या इनसे ऐसा सूचना नेटवर्क बनता है, जिससे लोगों के बीच तारतम्य स्थापित होता है और उन्हें अपनी अंसतुष्टि का विस्तार करने में मदद मिलती है।

16.4.4.4 कार्य के दौरान प्रशिक्षण

यह तरीका कार्य की विशेषज्ञता का व्यक्तियों में आदान–प्रदान का व्यवहारिक उपाय है। यह वहां उपयुक्त होता है जहां स्टाफ को मुक्त करना कठिन होता है, और कार्य तकनीकी अथवा नैमितिक प्रकृति का होता है अथवा जहां विस्तृत निगरानी की जरूरत होती है वहां यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

16.4.4.5 स्थिति की समझ के लिए दौरे

ये अल्पावधि के दौरान कार्य को करने के भिन्न–भिन्न स्थिति तरीकों को समझने, नई–नई तरकीबों को देखने, नए–नए विचार और उनकी सीमाओं को आंकने और नए कर्मचारियों को शामिल करने के लिए किए जाते है।

16.4.4.6 कार्य की अदला–बदली

यह प्रक्रिया आमतौर पर किसी भिन्न स्थिति में वही कार्य प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर कर्मचारी को सौपने के लिए अपनाई जाती हैं। यह प्रक्रिया काम करने वाले व्यक्ति को नई परिस्थिति में रहकर नए ढंग से वहीं कार्य करने का ढंग सीखने में मदद करती है।

16.4.4.7 स्वाध्याय/पत्राचार प्रशिक्षण पाठयक्रम

यह भी ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित तरीका समझा जाता है कई बार जब एक से अधिक लोग मिलकर उसी विषय का अध्ययन करते हैं तब यह तरीका सहज होता है। यह तरीका प्रायः तब अपनाया जाता है जब किसी विशिष्ट विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है, किसी तरह की शीघ्रता नहीं होती । मान्यता प्राप्त योग्यता वांछनीय होती है किन्तु नियमित कक्षाओं में पढ़ पाने को विकल्प नही होता।

जबकि क्षमता निर्माण के उपरोक्त सभी तरीकों के अपने गुण–दोष हैं, किन्तु संगठन का मुख्य ध्येय ऐसे तरीकों का चयन करते समय ज्ञानार्जन अधिक होना चाहिए। वास्तव में प्रशिक्षण की अवधारणा को ही समझ लेना और उसे सीखना महत्वपूर्ण है ताकि संगठन अपने स्टॉफ को उसका निचोड़ दे पाने में सफल हो सके और उनकी कार्यक्षमता का प्रभाविकता बढ़े।

16.4.4.8 वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण

स्वैच्छिक संगठन वर्ष पर्यन्त चलने वाले अपने कार्यक्रमों को पहले से निर्धारित कर लेते हैं, और इसके लिए उत्तरदायित्व, क्षेत्र एवं बजट का भी निर्धारण कर देते हैं। कुछ संगठन वार्षिक कार्ययोजना को त्रैमासिक आधार पर बनाते हैं तो कुछ संगठन मासिक आधार पर।

वार्षिक कार्ययोजना में आयोजित किये जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम का विवरण, कार्यक्रम संयोजक, क्षेत्र, लाभार्थी सं. या विवरण, निर्धारित बजट, अनुमानित लाभ इत्यादि का विवरण दिया रहता है।

16.4.4.9 संसाधनों का समुचित उपयोग

स्वैच्छिक संगठन आंतरिक एवं बाह्य संसाधनों के अनुकूलतम एवं समुचित उपयोग के कारण अंतराष्ट्रीय एवं सरकारी दान–दाता संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। समुचित उपयोग के लिए वे परियोजना प्रबन्धन की उच्च तकनीकी, संसाधनों का एकीकरण एवं अन्य रास्ते अपनाती हैं।

16.4.4.10 हितग्राहियों की सहभागिता

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित परियोजनाओं में सफलता का प्रमुख कारण उनके द्वारा हितग्राही सहभागिता को वरीयता देना। कार्यक्रम नियोजन से पूर्व किये जाने वाले सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) हो या किसी परियोजना के अंत में सहभागी मूल्यांकन हो। स्वैच्छिक संगठन प्रत्येक कार्य में हितग्राही सहभागिता पर बल देते हैं। कभी–कभी दानदाता एजेंसी परियोजना में हितग्राही सहभागिता अनिवार्य करती हैं तो कुछ स्वैच्छिक संगठन सहभागिता को अपना दर्शन मानती हैं। चूँकि हितग्राही कार्यक्रम की कमी या गुणवत्ता से सर्वाधिक प्रभावी होता है और इसका उल्लेख वह परियोजना के अनुश्रवण या मूल्यांकन में करके गुणवत्ता सुधार की एक अहम कड़ी बन सकता है इसलिए स्वैच्छिक संगठन हितग्राही सहभागिता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं।

ग्राम सुधार समिति ने ग्राम खैरा (सीधी) में निर्मित जल संवर्धन के निर्माण कार्य की देख–रेख के लिए उपयोगकर्ता समूह, जिनकी जमीन चेक डैम एवं तालाब के पास है, की सहभागिता सुनिश्चित की। उपयोगकर्ता

समूह की सहभागिता के कारण आज न केवल सभी चेक डैम सुरक्षित हैं बल्कि उपयोगकर्ता समूह के खाते में लगभग दो लाख रूपये जमा हैं।

16.4.4.11 स्टाफ क्षमता निर्माण और कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कर्मचारियों की क्षमतावृद्धि संगठन के विकास के लिए आवश्यक है तथा इसके लिए कई गैर–सरकारी संगठन प्रयासशील रहते हैं कि किस तरह से उनके कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि हो। इसके लिए कुछ संगठन अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान में भेजते हैं जैसे सहभागी शिक्षण केन्द्र, लखनऊ, समर्थन, भोपाल। कुछ संगठन अपने यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा बाहर से प्रशिक्षक या संदर्भ व्यक्ति आमंत्रित करते हैं जो उस विद्या के विशेषज्ञ होते हैं।

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जैसे अन्य अकादमिक संस्थान स्वैच्छिक संगठन के कार्यकर्ताओं को शिक्षण, प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

बहुत से सरकारी संगठन परियोजना प्रस्ताव में गैर–सरकारी संगठनों से वर्गवार लाभार्थियों का उल्लेख मांगते हैं। सभी परियोजनाओं का वित्त पोषण पूर्व, मध्यावधि और बाद में मूल्यांकन किया जाता है जो सूचीबद्ध संस्थागत मानीटरों द्वारा पूरा किया जाता है।

अधिक पारदर्शी व्यवस्था अपनाने के लिए कपार्ट जैसी संस्था ने प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण की एक ऑनलाइन व्यवस्था बनाई है। गैर–सरकारी संगठनों को इसके जरिये अपने परियोजना प्रस्ताव आनलाइन भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब एफ.सी.आर.ए. में पंजीकरण इत्यादि की ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध है।

गैर–सरकारी संगठनों को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उनके गठन, चुनाव, पंजीयन इत्यादि की व्यवस्था दी गयी है जिससे वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप संचालित किये जा सकें।

16.4.4.12 वित्त की व्यवस्था

स्वैच्छिक संगठनों की वित्त व्यवस्था कई संसाधनों पर निर्भर होती है। इनमें कुछ सतत होती हैं तो कुछ परियोजनागत सहयोग पर आधारित होती हैं।

- **सतत वित्त व्यवस्था** – 'सेवा' जैसी कुछ संस्थाएं उत्पादन एवं वित्तीय व्यवस्था के नवोन्मेषी एवं सफल प्रयोग करके अपने लिए कार्यशील पूंजी एवं आय सृजन के संसाधन सतत विकसित करती रहती हैं। 'सेवा बैंक' के माध्यम से महिला सदस्यों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उत्पादन एवं बिक्री से महिला सदस्यों की आय सृजन होती है।
- **परियोजनागत वित्तीय सहयोग**– अधिकांश स्वैच्छिक संगठनों को राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय या शासकीय दानदाता संस्थाओं/विभागों से विशेष परियोजना संचालित करने पर वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है। कुछ परियोजनाओं में कम समय के लिए वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है जबकि कुछ के लिए दीर्घावधि का सहयोग प्राप्त होता है।
- **आय सृजन गतिविधि से वित्त व्यवस्था**– बहुत से स्वैच्छिक संगठन सूक्ष्म वित्त जैसे आयोत्पादक गतिविधियों में संलग्न हैं जो महिला सदस्यों को उनके समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराते हैं एवं ब्याज के रूप में अच्छा लाभ कमाते हैं।

16.4.5 दानदाता संस्थाएं

स्वैच्छिक संगठनों को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय संस्थाएं –

ऐसी संस्थाएं जो देश में संचालित स्वैच्छिक संगठनों को मानक पूर्ण करने पर वित्तीय सहायता देती हैं जैसे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, नेशनल फाउण्डेशन फॉर इण्डिया, क्राई इत्यादि।

अंतराष्ट्रीय संस्थाएं –

ऐसी संस्थाएं जो भारतीय संगठनों को एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत विदेशी अनुदान देती हैं इसके लिए वैधानिक संगठन जो एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत पंजीकृत हैं उनको सहायता प्रदान करती हैं जैसे एक्शन एड, फोर्ड फाउण्डेशन, इण्डो जर्मन सोशल सर्विस सोसाइटी, यू.एस. एड, वाटर एड, दि हंगर प्रोजेक्ट इत्यादि।

16.4.6 गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए भारत सरकार की योजनाएं

16.4.6.1 संस्कृति मंत्रालय

- हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास हेतु सहायता
- बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के संरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता
- विनिर्दिष्ट प्रदर्शन कला परियोजनाओं हेतु व्यावसायिक समूहों एवं व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता (वेतन अनुदान एवं निर्माण अनुदान)
- क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के लिए प्रोत्साहन एवं उनका सशक्तिकरण
- सांस्कृतिक संगठनों के लिए निर्माण अनुदान योजना
- साहित्यिक, दृश्य एवं प्रदर्शन कलाओं जैसे सांस्कृतिक क्रियाकलापों में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों को शोध सहायता हेतु वित्तीय अनुदान की योजना

16.4.6.2 जनजातीय मामलों का मंत्रालय

- आधारभूत ढांचे के समुन्नयन हेतु एनजीओ के लिए अवार्ड ऑफ स्पेशल इंसेंटिव (एएसआाई)
- अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग
- आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) का विकास
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता
- पिछड़े जिलों में अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं में शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए योजना

16.4.6.3 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- जेंडर बजटिंग
- स्वयंसेवी संगठनों की सहायता के लिए सामान्य अनुदान सहायता योजना
- शोध, प्रकाशन और पर्यवेक्षण हेतु अनुदान सहायता
- देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले श्रमजीवी बच्चों के कल्याण की योजना

- कामकाजी महिलाओं के लिए दैनिक देखभाल केन्द्र युक्त हॉस्टल के निर्माण/विस्तार हेतु सहायता योजना
- महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार हेतु सहायता (स्टेप/STEP)
- स्वाधार (Swadhar)
- उज्ज्वला (Ujjawala)

16.4.6.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आवश्यक उपकरण खरीदने/लगाने हेतु सहायता
- अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के कल्याणार्थ स्वयंसेवी संगठनों को सहायता
- अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों की निःशुल्क कोचिंग के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक योजना
- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
- अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता
- वृद्धों के लिए समेकित कार्यक्रम
- शराब एवं मादक पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने हेतु योजना

16.4.6.5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- मातृ एनजीओ (MNGO) योजना
- राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्य कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
- अन्धत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
- राष्ट्रीय ताम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
- एनजीओ–पीएनडीटी योजना
- सेवा एनजीओ (SNGO) योजना

16.4.6.6 विद्यालयीन शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए द्वितीयक स्तर पर अंतर्वेशी शिक्षा
- सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अभिनव एवं प्रायोगिक शिक्षा की योजना
- शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए समेकित शिक्षा (IEDC)
- SRC की स्थापना के लिए गैर–सरकारी संगठनों की ओर से प्रस्ताव (Adv.21-10-09)
- वयस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास हेतु स्वयंसेवी एजेंसियों के लिए सहायता योजना
- वयस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास योजना हेतु एनजीओ/संस्थानों/एसआरसी को सहायता।

16.4.6.7 उच्च शिक्षा विभाग

- मानव मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने हेतु एजेंसियों को सहायता

16.4.6.8 लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट)

- ग्रामीण प्रौद्योगिकी के समुन्नयन की योजना (ARTS)
- अक्षमता (Disability)
- ग्रामश्री मेला (GSM)/खरीददार विक्रेता समागम (BSM)
- ओबी (लाभार्थियों का संगठन)
- जन सहयोग
- कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन
- वाईपी स्टार्टर पैकेज

16.4.6.9 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO)

- सामुदायिक देखभाल केन्द्र
- NACP III के तहत लक्षित मध्यस्थता (TI)

16.4.7 गैर–सरकारी संगठनों के कोष का निर्माण

गैर–सरकारी संगठन का कोष वे सभी सचल सम्पत्तियां एवं धन राशि होती हैं जिनका उपयोग संगठन के सुचारु रूप से चलाये जाने एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है।

किसी भी गैर–सरकारी संगठन के कोष को निर्मित करने के मुख्य दो स्त्रोत होते हैं :–

अ. आन्तरित स्त्रोत

ब. बाह्य स्त्रोत

अ. आन्तरिक स्त्रोत

आन्तरिक स्त्रोत वे स्त्रोत होते हैं जो संगठन के भीतरी क्रियाकलापों एवं संगठन से जुड़े व्यक्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाली पूंजी निम्न माध्यमों से प्राप्त होती है। गैर सरकारी संगठनों पूंजी प्राप्ति के निम्न तीन प्रमुख स्त्रोत हैं :–

1. सरकारी अनुदान

गैर–सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मुख्य स्त्रोत केन्द्र एवं राज्य शासन क्षरा प्रदाय किया जाने वाला अनुदान होता है। शासन के विभिन्न मंत्रालय अपने संबंधित कार्य क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजना के अनुरूप शासकीय सहायता प्रदाय करते हैं।

सरकारी नीतियों में भी इसके लिये अनेकों प्रावधान किये गये हैं ताकि कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक एवं निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जा सके। विगत कुछ वर्षों से शासन स्तर पर भी पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकारी कार्यों का कुछ हिस्सा गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा है। सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिये पंजीकृत गैर–सरकारी संगठनों को निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होता है। प्रस्ताव की स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित कार्य क्षेत्र में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जाता है।

2. वस्तु के रूप में प्राप्त दान

शासकीय स्तर पर गैर–सरकारी संगठनों को वस्तु के रूप में भी साधनों की सहायता प्राप्त होती है। यह सहायता आवश्यकता के अनुरूप जैसे प्राकृतिक आपदा से पीड़ित क्षेत्र में दवाईयों की उपलब्धता, शिक्षण संस्थाओं को पुस्तकों की आपूर्ति, भोजन सामग्री की उपलब्धता। स्वरोजगार हेतु क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप हस्तचलित छोटे यंत्रों की आपूर्ति जैसे अनेकों साधन या वस्तुएं हैं, जिन्हें शासकीय तंत्र द्वारा वास्तविक जरूरतमंद को प्रदाय करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को दिया जाता है। संबंधित संगठन क्षेत्र विशेष के वास्तविक जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें वांछित वस्तुयें प्रदाय करता है। कभी–कभी ऐसे गैर–सरकारी संगठनों को इस कार्य हेतु वांछित सहायता भी प्रदाय की जाती है।

3. अशासकीय अनुदान रशि

शासकीय स्तर से प्राप्त होने वाली पूंजी के अतिरिक्त अनेकों ऐसे स्त्रोत हैं जो अपने स्तर पर गैर–सरकारी संगठनों को सहायता पहुंचाते हैं, ऐसे स्त्रोत में निम्नलिखित प्रमुख हैं :–

1. **सदस्यता शुल्क** – किसी भी गैर–सरकारी संगठन का निर्माण 15–20 व्यक्तियों के समूह से आरंभ होता है जो अपने संगठन की मजबूती व आवश्यकता के अनुरूप विशाल रूप प्राप्त करता है। संगठन में सदस्यता प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सदस्य से निर्धारित राशि, सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त की जाती है। यह सदस्यता शुल्क भी गैर–सरकारी संगठनों की पूंजी का अंश होता है।
2. **प्रायोजक शुल्क**– गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से क्षेत्र व आवश्यकता के अनुरूप अनेकों जन–जागृति, खेल आयोजन, मनोरंजक कार्यक्रमों के कार्यों को शासन या किसी संस्था द्वारा प्रायोजित किया जाता है, क्रियान्वयक संगठन को इसमें भी प्रायोजित शुल्क की राशि प्राप्त होती है।
3. **उत्पादों के विक्रय से प्राप्त लाभ**– गैर–सरकारी संगठन अपने आंतरिक पूंजी की प्राप्ति एवं इसके वृद्धि हेतु अनेकानेक उत्पादन इकाईयां, छोटे–स्तर पर संचालित करती हैं जैसे – मोमबत्ती निर्माण, ग्रीटिंग कार्ड निर्माण, हस्तशिल्प की वस्तुएं, फल व सब्जी पौधों की रोपणी,

केंचुआ खाद निर्माण इकाई, आयुर्वेदिक औषधी निर्माण आदि। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर इसका विक्रय करते हैं इससे प्राप्त लाभ भी गैर सरकारी संगठनों की पूंजी का आंतरिक स्त्रोत से प्राप्त अंश होता है।

4. **जमा पूंजी पर प्राप्त ब्याज** – समस्त गैर–सरकारी संगठनों का अपना संविधान होता है, इसके दिशा निर्देशों के तहत संगठनों को अपनी समस्त नगद पूंजी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाते में रखनी होती है। संगठन के खाते में जमा नगद पूंजी पर प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि आंतरिक स्त्रोत से प्राप्त पूंजी के अंतर्गत आती है। संगठनों के बैंक खाते में जब वह राशि अधिक होती है तब इस राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज अधिक महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में परिलक्षित होता है।
5. **सामुदायिक सहयोग** –प्रत्येक संगठन की अपेक्षा होती है कि वे अपने संगठन में सक्षम, सम्मानित एवं साधन संपन्न व्यक्तियों को समाहित करें, जिनके प्रभाव या आलोक का लाभ संगठन को प्राप्त हो। ऐसे सक्षम व संपन्न लोगों को सामान्यतः संगठन के संरक्षक या आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है एवं इसकी सदस्यता एकमुश्त राशि शुल्क के रूप में प्राप्त होती है।
6. **व्यक्तिगत दान**– गैर–सरकारी संगठन विभिन्न परोपकारी व्यक्तियों से व्यक्तिगत दान प्राप्त करते हैं। संगठनों द्वारा प्राप्त ऐसा व्यक्तिगत दान आंतरिक पूंजी स्त्रोत के अंतर्गत आता है।

उक्त आंतरिक स्त्रोतों से प्राप्त पूंजी के अतिरिक्त गैर–सरकारी संगठनों द्वारा अपने कार्यों के संपादन निर्धारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाती है ऐसे स्वैच्छिक श्रमदान से भी संगठन अपनी पूंजी की बचत करता है। अपने संसाधन श्रम एवं समय की बचत भी गैर सरकारी संगठनों की आंतरिक पूंजी की अप्रत्यक्ष साधन होता है।

ब. बाह्य स्त्रोत – गैर–सरकारी संगठनों को पूंजी या धन प्राप्त के बाह्य स्त्रोतों को प्रमुख दो भागें में बांटा गया है :–

1. देश की भीतरी स्त्रोत
2. विदेशी स्त्रोत

1. **देश के भीतरी स्त्रोत** – ऐसे स्त्रोत जो हमारे देश के विभिन्न माध्यमों से धन या पूंजी प्रदाय करते हैं, इन्हें देश के भीतरी स्त्रोत कहा जाता है। इन स्त्रोतों में प्रमुख निम्न हैं :–

अ. पोषक/जनक संगठन – हमारे भारत देश में ऐसे अनेकों बड़े–बड़े गैर–सरकारी संगठन हैं जो मातृ या जनक संगठन के रूप में अपने संबंध संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। सामान्यतः कार्य की सुगमता, सुचारू संचालन, क्षेत्रीय एवं भौगोलिक कार्य क्षेत्र की परिस्थिति, शासक की नीतियों की बाध्यता के कारण जनक संगठन अपने अधीनस्थ छोटे–छोटे क्षेत्रीय गैर–सरकारी संगठन का निर्माण कर संचालित करते हैं।

ब. निगम या निकाय –

गैर–सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने का कार्य देश में कार्य कर रहे निगम या निकायों द्वारा भी किया जाता है। ये निकाय अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जो ग्रामीण/शहरी समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार होते हैं। सामान्यतः ऐसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन गैर–सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर पूरा किया जाता है। देश बड़े उद्योग घराने निकाय के रूप में गठित कर अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं ऐसे निकायों से भी गैर–सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

स. औद्योगिक घराने –

देश में अनेकों औद्योगिक घराने अपने व्यवसाय को विशाल स्तर पर गठित कर संचालित करते हैं। ऐसे औद्योगिक घराने समाज के कमजोर वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता पहुंचाते रहते हैं। उदाहरणार्थ दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा बुन्देलखण्ड में विकास के लिए गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी।

द. प्रायोजित कार्यक्रमों से धन अर्जन – स्वयंसेवी संगठनों या गैर–सरकारी संगठनों को राहत, जन जागरण जैसे तुरन्त क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों हेतु पूंजी अर्जन करने के लिए अनेक प्रकार के प्रायोजित कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है जेसे –चैरिटी शो,

संगीत निशा आदि। इन मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए दर्शकों से निर्धारित शुल्क टिकिट के रूप में प्राप्त किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन में होने वाले व्यय के अतिरिक्त प्राप्त पूंजी को जन कल्याण के निहितार्थ गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है।

ई. विज्ञापन द्वारा पूंजी संग्रहण –विशेष परिस्थितियों में समाज के किसी वर्ग विशेष या क्षेत्र के किसी वर्ग विशेष लोगों को सहायता की आवश्यकता होने पर विज्ञापनों के माध्यम से भी पूंजी संग्रहण का कार्य किया जाता हैं इसके लिए क्रियान्वयन संगठन आम जनता से अपील कर निवेदन करता है कि उन्हें आर्थिक मदद की जाये। उदाहरण के लिए कारगिल पर हमले या सुनामी के उपरान्त इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा विज्ञापन के माध्यम से सहायता की अपील की गई थी। दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशन समूह द्वारा भी इसी तरह के प्रयास किये गये थे।

उ. स्मारिका प्रकाशन – गैर–सरकारी संगठनों द्वारा समय–समय पर क्षेत्र, घटना या व्यक्ति विशेष पर स्मारिका का संपादन एवं प्रकाशन किया जाता हैं स्मारिका के प्रकाशन हेतु संबंधित व्यक्तियों, दलों, आपूर्ती संस्थाओं से इसके लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की जाती है। स्मारिका प्रकाशन उपरान्त इसके वितरण के लिए प्राप्तकर्ता से निर्धारित दान राशि प्राप्त कर पूंजी संकलित की जाती हे।

क. न्यास या संघ– गैर–सरकारी संगठनों को पूंजी की प्राप्ति का एक माध्यम या स्त्रोत देश में कार्यरत न्यास या संघ भी होते हैं। सामान्यतः धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे न्यास स्वयं ही जरूरत के अनुरूप जन सामान्य को सुविधा पहुंचाते हैं किन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों एवं कार्यों की प्रकृति के अनुसार न्यास या संघ गैर–सरकारी संगठनों को आर्थिक मदद कर वांछित कार्यों के क्रियान्वयन की अपेक्षा करते हैं।

च. व्यक्तिगत दान – गैर–सरकारी संगठन सामूहिक कार्यों, कार्यक्रमों के क्रियान्वययन के लिये व्यक्तिगत दान भी प्राप्त करते हैं। इसके लिए सामान्यतः निर्धारित राशि के कूपन या पवती छपवाकर दान प्राप्तकर्ता को प्रदाय की जाती है। व्यक्तिगत रूप से प्राप्त दान राशि

भले ही बहुत हो या कम हो किंतु इससे समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है एवं छोटी–छोटी दान राशि बढ़कर पूंजी का रूप प्राप्त करती है। हमारी भारतीय संस्कृति में जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दान देकर सक्षम व्यक्ति अपनी आत्म संतुष्टि को भी प्राप्त करता है।

क. पेटी या बक्से द्वारा धन संग्रहण– हमारे देश में इस स्त्रोत का प्रचलन महाराष्ट्र में आये लातूर भूंकप के समय में प्रयोग में लाया गया। इसके लिये सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मुख्य बाजार में गैर–सरकारी संगठनों द्वारा अपने संगठन के नाम एवं आवश्यकता को लिखकर छोटी–छोटी पेटियां/डिब्बे रखे गये, ताकि इच्छुक व्यक्ति अपनी सहयोग राशि इन पेटियों में डाल सकें। इस स्त्रोत का उपयोग अधिकांशतः बड़े शहरों एवं महानगरों में ही किया गया।

ख. पर्यटक एवं अतिथियों से प्राप्त धन – गैर सरकारी संगठनों के कार्य स्थल, परियोजना क्षेत्र के भ्रमण एवं अवलोकन के दौरान भी आये हुए पर्यटक या अतिथियों द्वारा संगठन के कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु आर्थिक सहयोग भेंट के रूप में प्रदाय की जाती है। यह आर्थिक सहयोग दूरस्थ ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों को अधिकांशतः प्राप्त होती है।

16.4.8 गैर–सरकारी संगठनों को शासकीय/अशासकीय स्त्रोत से अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक पात्रता

किसी भी गैर सरकारी संगठन को अपने कार्यक्रमों के संचालन के लिए पूंजी या धन की आवश्यकता होती है। ऐसे समस्त एनजीओ को सरकारी या अन्य स्त्रोतों से अनुदान प्राप्ति के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होता है ताकि गैर–सरकारी संगठन अपनी पात्रता को पूर्ण कर सहायता प्राप्त कर सकें। प्रमुख शर्तें एवं पात्रता निम्नानुसार है :–

1. **कानूनी मान्यता** – संगठन कानूनी रूप से वैध हो अर्थात उसका जीवित पंजीयन होना चाहिए। गैर–सरकारी संगठन धारा–8 के तहत समिति संघ/न्यास या कंपनी के रूप में पंजीकृत हो या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या किसी अन्य एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।
2. **उद्देश्य एवं संविधान** – संगठन का अपना निर्धारित प्रारूप संविधान होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत संगठन का लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम, कार्य परिषद, चल अचल संपत्ति के संधारण के नियम आदि विस्तृत जानकारी सम्मिलित होती है।
3. **प्रबन्धन** – संगठन की कार्य परिषद होनी चाहिए, जिसमें सभी के अधिकारों एवं दायित्वों का सुस्पष्ट उल्लेख हो, जिसमें संगठन के दायित्वों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।
4. **अलाभकारी प्रकृति** –संगठन की कार्यप्रणाली ऐसी हो जिसमें संस्था को कोई अनावश्यक लाभ प्राप्त न होता है। यदि गैर–सरकारी संगठन आय/लाभ प्राप्ति की गतिविधियां/क्रियाकलाप किसी निश्चित समुदाय या लक्षित समूह के लिये चला रहा है तो प्राप्त लाभ समुदाय के सदस्यों प्राप्त होना चाहिए। इस लाभ की राशि पर संगठन के सदस्यों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।
5. **जुड़ाव व भागीदारी** – संगठन में स्वेच्छा से कार्य करने वाले स्वयंसेवी सदस्यों, भागीदारियों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि समुदाय के दूसरे लोग भी इससे प्रेरित होकर अपना योगदान दे सकें।
6. **तटस्थता** – संगठन द्वारा किये जाने वाले कार्यों में लक्षित समूह के प्रति कोई भी भेद–भाव न किया जाता हो।
7. **अभिलेख संधारण** – संगठन के पूर्व कार्यकाल के दौरान सम्पन्न कार्यक्रम आय–व्यय के संधारण हेतु वांछित अभिलेखों का उचित ढंग से संधारण किया गया हो। किसी भी संगठन के लिये उसके अभिलेख एवं दस्तावेज भविष्य के कार्यों, योजनाओं एवं पूंजी प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

16.4.9 सामाजिक सहयोग

27 फरवरी 2017 को नानाजी देशमुख की सप्तम पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में दीनदयाल शोध संस्थान ने राष्ट्रीय ग्रामोदय मेला के आमंत्रण पत्र में सभी आगंतुकों से 1 मुट्ठी अनाज एवं 1 रुपये सहयोग हेतु

निवेदन किया। उनका यह आमंत्रण नानाजी के सामाजिक पहल एवं सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित था। नानाजी ने सामाजिक सहयोग के रास्ते पर चलते हुए चित्रकूट में ए.पी.जे सुरेन्द्रपॉल समूह के सहयोग से सुरेन्द्रपॉल ग्रामोदय विद्यालय, टाटा समूह के सहयोग से आरोग्यधाम, गोयनका समूह के सहयोग से आश्रमशाला स्थापित किया। स्वैच्छिक संगठन सामाजिक सहयोग पर आधारित कार्यक्रम समय–समय पर संचालित करते रहते हैं।

समाज और विकास की मौजूदा अवधारणाओं को बदलने के अपने व्यापक सरोकारों को लेकर संघर्षरत जन संगठन अपने आर्थिक स्त्रोतों के लिए स्थानीय समाज और देशभर के अपने समर्थकों पर निर्भर रहते हैं। कहीं ऐसे स्त्रोत संगठन के सदस्यों से निश्चित चंदा लेकर और कहीं कार्यक्रमों के आधार पर इकट्ठा किये जाते हैं। कार्यक्रम आयोजन में भी स्वैच्छिक संगठन नये–नये तरीके अपनाते हैं जैसे 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' के द्वारा आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रमों से पूर्व गांव–गांव के हर घर से यह अपील की जाती थी कि वे अपने परिवार के भोजन के साथ–साथ एक व्यक्ति की अतिरिक्त भेजन साथ में बना लें। बाद में आन्दोलन के कार्यकर्ता भोजन के ये पैकेट इकट्ठा कर लेते थे और कार्यक्रम में बाहर से आये लोगों को उपलब्ध कराते थे। इस प्रक्रिया से न तो आंदोलन कारियों को न कोई आर्थिक व्यवस्था के झंझटों में फंसना पड़ता है और न ही आमंत्रित लोगों को किसी प्रकार की असुविधा होती थी। कई जन संगठन सीधे मजदूर वर्ग के साथ काम करते हैं और वहां उन्हें आर्थिक सहयोग प्राप्त करना कठिन नहीं होता है।

'छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा' देश का सम्भवतः अकेला उदाहरण है जहां मजदूरों के चंदे से एक बड़ा 'शहीद अस्पताल' खड़ा किया गया है और इसके लिए एक्स–रे मशीन सीरीखी जांच एवं इलाज की अनेक सुविधायें मजदूरों के सहयोग से ही जुटाई गयी हैं। स्वैच्छिक संगठनों के जल संवर्धन, शिक्षा इत्यादि के कई रचनात्मक कार्य इसी तरह सामाजिक सहयोग के बल पर संचालित किये जाते है।

हमने जाना

- स्वैच्छिक संगठनों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उनका कुशल वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। इस दृष्टि से खाता संचालन बजट निर्माण, योजना निर्माण नियंत्रण समन्वय इत्यादि गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हें पूरी संवेदनशीलता के साथ सम्पन्न किया जाना चाहिये।

- गैर सरकारी संगठनों को शासकीय एवं अशासकीय स्रोतों से अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिये अनेक पात्रता सम्बन्धी उपाय करने पड़ते हैं। इन्हें विधिवत रूप से पूर्ण कर हम अपने संगठन के लिये सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
- स्वयंसेवी संगठन अपने अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये अनेक कार्यक्रम आयोजित कर उनकी क्षमता में बदलाव ला सकते हैं।
- स्वयंसेवी संगठनों को प्राप्त वित्त का पूरी सावधानी और संवेदनशीलता के साथ–साथ पारदर्शितापूर्वक उपयोग करना चाहिये। स्वैच्छिक संगठनों के लिये भी सुशासन आवश्यक है।

कठिन शब्दों के अर्थ

कोष के आंतरिक स्रोतः वे स्रोत जो संगठन के क्रियाकलाप एवं व्यक्तियों से प्राप्त होते हैं।

दस्तावेज संधारण : संगठन के समस्त दस्तावेज को ठीक से रखना।

अभ्यास के प्रश्न

1. वित्तीय प्रबंधन – खाता संचालन एवं दस्तावेज संधारण से आप क्या समझते हैं ?
2. किसी संस्था का वार्षिक अंकेक्षण क्यों आवश्यक है ?
3. किसी एक स्वैच्छिक संगठन के शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति का वर्णन करें।
4. स्वैच्छिक संगठनों में कार्मिक प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण क्यों आवश्यक है ?
5. किसी एक संगठन की वार्षिक कार्य योजना से आप क्या समझते हैं ?
6. हितग्राहियों की सहभागिता की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त करें।
7. स्वैच्छिक संगठनों में सुशासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का वर्णन करें।

आओ करके देखें

किसी संगठन के वित्तीय प्रबंधन को समझने के लिए उसके लेखांकन को अध्याय में दी गयी विधि के अनुसार तैयार करें और सम्पर्क कक्षाओं में उसकी चर्चा करें।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

1. Iqbal Shah : A practical guide to NGOs and Project Management, Amazon.
2. एन.जी.ओ. हैण्डबुक
3. Pandey, Devendra Prasad : "Development and Management of NGOs, Adhyayan Publishers, New Delhi.
4. Levis David : Non-governmental organisations management and development, Routledge Publishers
5. Michael Edwards : The Earthscan Reader on NGO Management, Earthscan Reader Series.

■■■

16.5 स्वैच्छिक संगठन में कार्यकम योजना निर्माण, परियोजना कार्यान्वयन, परियोजना प्रस्ताव निर्माण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि –

- स्वैच्छिक संगठन में कार्यक्रम योजना निर्माण किस तरह किया जाता है और इसकी क्या महत्ता है।
- परियोजना प्रस्ताव निर्माण की तकनीक क्या है?
- परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा सकता है।
- परियोजना का अनुश्रवण और मूल्यांकन क्यों आवश्यक है।

16.5.1 विषय प्रवेश :

दक्षतापूर्वक योजना निर्माण और प्रभावी ढंग से उद्देश्यों का कार्यान्वयन करने के साथ–साथ उसके लक्ष्यों की प्रगति की समय–समय पर मानीटरिंग एवं मूल्यांकन करना स्वैच्छिक संगठन की न सिर्फ सफलता अपितु उसकी विश्वसनीयता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए यह अति आवश्यक होगा हम इन प्रक्रियाओं को भली प्रकार समझें तथा इनका अनुपालन उचित ढंग से करें। ये बाहरी समुदाय के साथ उसके संव्यवहार में सहायक होती है और संगठन के निर्णय निर्माण और अन्य कार्यकलापों में पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करती है, विभिन्न विचारों, हितों और मूल्यों के लिए स्थान बनाती हैं, सूचना के सुव्यवस्थित संग्रह का रास्ता खोलती हैं और संगठन को पेश आ रहे महत्वपूर्ण मुद्दों अथवा विविध चुनौतियों के केन्द्र बनाने में सहायक होती है। स्वैच्छिक संगठन के उद्देश्य यह स्पष्ट करते हैं किस संगठन कि तरह के विकास में सहायक होने का इच्छुक हैं। इसके साथ ही, इससे संगठन के लक्ष्य समूह अथवा लाभग्राहितों की पहचान करने में भी मदद मिलती हैं।

जब उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार कर ली जाती है, सभी कानूनी औपचारिकताएं (जैसे संगठन का पंजीकरण, आय कर से जुड़े मुद्दे आदि) पूरी कर ली जाती हैं, कार्यकर्ताओं की भर्ती एवं टीम निर्माण का तरीका, कौशल विकास या प्रोत्रयन स्थापित कर लिया जाता है संगठन का अगला महत्वपूर्ण कार्य अपने उद्देश्यों के अनुरूप अपने कार्यक्रमों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना होता है।

16.5.2 योजना निर्माण

योजना निर्माण में सबसे जरूरी कार्य उन महत्वपूर्ण कार्यकलापों, अवसरों और दृष्टिकोणों की पहचान करना है जो संगठन के उद्देश्यों को बढ़ावा दें। योजना निर्माण में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाना चाहिए :–

- क्या करना है, कैसे करना है, इस कार्य में किन–किन व्यक्तियों को शामिल किया जाना है और यह कब–कब किया जाना है
- संगठन जिन–जिन प्रमुख मुद्दों को हल करना चाहता है उनके बारे में जानकारी
- उन मुद्दों के संबंध में दूसरे गैर–सरकारी संगठन और सरकारी अभिकरण क्या कर रहे हैं इस संबंध में जानकारी
- मुद्दे से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम

योजना निर्माण वर्तमान निर्णय के भावी प्रभाव को प्रतिविम्बित करता है। योजना निर्माण के उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

- यह पहचान करना कि क्या किया जाना जरूरी है
- जोखिम और अनिश्चितताओं को कम करके न्यूनतम करना
- निष्पादन के मानदण्ड स्थापित करना
- संचालन कार्य के लिए ढाँचागत आधार बनाना
- न्यूनतम समय में वांछित परिणाम प्राप्त करना

16.5.2.1 योजना– निर्माण में चरण

***चरण 1* : स्वैच्छिक संगठन के कार्य को पहचानना**

संगठन को अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने दीर्घकालिक, मध्य और अल्पकालिक कार्य योजनाओं की पहचान करनी चाहिए अर्थात् उसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तरह–तरह के कार्यकलाप करना चाहिए। यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि संगठन किसके लिए काम कर रहा है, यह कौन सा कार्य कर रहा है, उस कार्य को यह क्यों कर रहा है।

***चरण 2* : कार्यो का निर्धारण**

इसका अभिप्राय वे तरीके अथवा प्रक्रियाएं है जिनके द्वारा संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। अतएव संगठन को नीचे दिए गए प्रश्नों के हल खोजने चाहिए :

- लक्ष्य ग्रुपों से किस तरह मिलना होगा?
- लक्ष्य ग्रुपों या समुदाय की भागीदारी कैसे सुनिश्चत की जाएगी?
- सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति क्या होगी?

चरण 3 : लक्ष्य/कार्य की प्राथमिकताएं निर्धारित करना

यह निर्धारित करना कि मुद्दे का कौन सा पहलू पहले किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि एक समय सीमा निर्धारित की जाए जिसके भीतर कुछ लक्ष्य प्राप्त किए जाने अनिवार्य हों ताकि एक सुव्यवस्थित ढंग से अधिकतम कार्य सम्पन्न होगा जब एक कार्य अनुसूची तैयार की जाए जिसमें क्या–क्या करना है, कब और किसके द्वारा किया जाना है और कैसे किया जाना है, इन बातों को प्राथमिकताओं के आधार पर लिखा जाए। इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया जाए कि किन–किन कार्यो को तत्काल किया जाना है और किन–किन कार्यो को बाद के लिए छोड़ा जा सकता है जो कि संगठन की प्राथमिकताओं पर निर्धारित होगा।

ये बातें केवल तब ही संभव होगी जब संगठन अपने कार्यो के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित करें।

चरण 4: भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पहचानना

निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में संगठन के महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच स्पष्ट विचार–विमर्श से सभी तरह की आशंकाएं और संदेह समाप्त करने में मदद मिलेगी :–

- प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक भूमिका निर्धारित करें, अर्थात् किस व्यक्ति को संगठन के किस पहलू के लिए काम सौंपा जाएगा?
- संगठन के किस कार्यकलाप के लिए कौन जिम्मेदार होगा?
- कौन किसे आदेश देगा?
- किस कार्य को कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाएगा और किस कार्य को अकेले एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा?
- टीम निर्माण प्रक्रिया

चरण 5 : संसाधनों की पहचान करना

स्वैच्छिक संगठन को तीन तरह के संसाधनों की जरूरत होती है– मानव, वित्तीय और तकनीकी। मानव संसाधन की जरूरत पदाधिकारियों की भर्ती के समय पूरी की जाती है। योजना बनाने वालों को यह देखना होता है कि वित्तीय और तकनीकी संसाधनों को कहां से जुटाया जाएगा – क्या सरकार से कोई अनुदान या सहायता प्राप्त होने की संभावना है, क्या कुछ एजेंसियों से दान प्राप्त किया जा सकता है आदि। स्वैच्छिक संगठन यहां तक कि दूसरे गैर–सरकारी संगठनों से सहयोग मांग सकते हैं या अपने ऐसे भागीदार बना सकते हैं जो संगठन में धन का योगदान करें या बहुमूल्य सुझाव और विचार प्रस्तुत करें।

भागीदारी स्थापित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को अवश्य ध्यान में रखा जाए–

- प्रत्येक भागीदार की शक्तियों और कमजोरियों का पूरा–पूरा मूल्यांकन जरूरी है ताकि यह निर्धारित हो सके कि अमुक्त भागीदार संगठन की अपेक्षाओं के लिए किस तरह का योगदान कर सकता है और उसके व्यक्तित्व का कौन–सा पहलू संगठन के लिए खतरा साबित हो सकता है
- उनकी भूमिकाओं को आपस में एक दूसरे की सम्पूरक बनाना स्वैच्छिक संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भागीदार की महत्व को स्वीकरना चाहिए और उसको अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए।
- भागीदारी में शामिल व्यक्तियों के भिन्न–भिन्न विचारों और मान्यताओं/विश्वासों के कारण आपसी मतभेद होना स्वाभाविक है। तथापि, ऐसे मतभेद अच्छे से अच्छे ढंग से दूर किया जाना चाहिए ताकि स्वैच्छिक संगठन का समग्र लक्ष्य बाधित न होने पाए।

चरण 6 : योजना का पर्यवेक्षण और मानीटरिंग

योजना के पर्यवेक्षण और मानीटरिंग के हिस्से के रूप में पहले से यह निर्णय करना जरूरी है कि उसका पर्यवेक्षण कौन करेगा और उसकी प्रगति की मानीटरिंग करेगा, यह कार्य कैसे होगा, प्रगति का आकलन करने के लिए किस तरह के मानदण्डों को ध्यान में रखा जाएगा, योजना के अनुसार काम न होने के बारे में किसे सूचित किया जाएगा, जिसे व्यक्ति को यह सूचित किया जाएगा उसे गलतियों अथवा कमियों को ठीक करने के लिए किस तरह की कार्रवाई करने की अनुमति दी जाएगी या उससे किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा की जाएगी।

चरण 7 : योजना को दीर्घजीवी बनाना/बन्द करना

संगठन कितने समय तक काम करते रहना चाहता है और वह किन–किन कार्यकलापों को करना चाहता है इन बातों के आधार पर यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या उसने जिस कार्य को शुरू किया है उसे पूरा हो जाने के बाद भी या जब उसके लक्ष्य प्राप्त हो जांएगे तब उसके बाद भी कार्य करते रहना चाहता है। यदि हाँ तो

यह निर्णय लेना जरूरी होगा कि वह इसके लिए कौन–कौन से उपाय करेगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भागीदारी पहलू से संबंधित होगा। इसका आशय यह कि क्या संगठन लाभग्राहियों के प्रक्रिया के शुरू से लेकर उसके अंत तक प्रत्येक कदम में शामिल करेगा, यह लोगों की भागीदारी किस प्रकृति और सीमा की करना चाहेगा, इसके कार्यान्वयन की किस अवस्था में और कैसे, क्या लाभग्राहियों को किसी तरह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें संगठन में भागीदारी के लिए मदद की जा सके या संगठन की अपने कार्यकलापों का कार्यान्वयन में सहायता की जा सके।

चरण 8 : रणनीतियाँ

संगठन सफलता प्राप्त करने के लिए जिन रणीनतियाँ को अपनाएगा उन्हें वह अवश्य निर्धारित करें।

विपणन संबंधी रणनीति :

यह वह कौशल है जिसकी जरूरत संगठन को अपने उद्देश्यों, प्रयोजन, उपलब्धियों, लक्ष्य समूहों को तथा यह निर्धारित करना होगा कि संगठन के बारे में समूचे समाज को कौन सूचित करेगा और यह करने के लिए कौन–कौन तरीके अपनाए जाएंगे। शुरू में यदि धन की कमी है तो यह कार्य मौखिक ही करना होगा। किन्तु जब संगठन के वित्तीय हालात सुधारने लगेंगे तो वह ब्रोशर, समाचार पत्र आदि जैसी मुद्रित सामाग्रियों का प्रयोग कर सकेगा।

योजना बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को अनुपालन वांछनीय है जिन्हें नीचे दिया गया हैः–

- यह जरूरी है कि जिन कार्यकलापों का प्रस्ताव किया जाए वे स्वैच्छिक संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप हों
- उद्देश्य वास्तविकता पर आधारित पर होने चाहिए ताकि उन्हें संगठन की बजटीय योजना के भीतर आसानी से शामिल किया जा सके।

- योजना में गुणात्मक (उचित गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करें) और मात्रात्मक (अधिकतम लक्ष्य समूहों तक पहुंचने की कोशिश की जाए) दोनों पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।
- एक अच्छी योजना में संगठन के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के विचार और सुझाव शामिल किए जाने चाहिए ताकि योजना में सभी लोगों की सहमति सुनिश्चित हो सके और उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी लोग तत्पर हो सकें। इसके परिणामस्वरूप ऐसे सभी संभव पहलुओं या समस्याओं को शामिल किया जा सकेगा जो भविष्य में संगठन में उत्पन्न वाले हो सकते हैं।
- योजना निर्माण सामूहिक प्रयास है न कि अकेले व्यक्ति का प्रयास।

16.5.3 परियोजना कार्यान्वयन

जब योजना तैयार हो जाए तो अगला कदम उसे कार्यान्वित करना होता है अर्थात् अब योजना को कैसे निष्पादित या कार्य व्यवहार में लाया जाना है। योजना का निष्पादन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सुनिश्चित हो कि योजना के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे ताकि किसी तरह की आशंका अप्रत्याशित समस्या या बहुमूल्य समय की बर्बादी न होने पाए।

योजना का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यो को सबसे पहले किया जाए। पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगाह रखी जाए। अलग–अलग कार्यकलापों के लिए अलग–अलग टीमें बनाई जाएं। योजना के अनुसार जिस व्यक्ति को निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जाए उसे पर्याप्त प्राधिकार भी दिया जाए। निष्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए :

- जिम्मेदारियों का बंटवारा
- व्यक्ति की क्षमता और नेतृत्व संबंधी गुणों के अनुसार ही उसे विशिष्ट कार्य सौपे जाएं।
- टीम का निर्माण

संगठन की कोर टीम में ऐसे लोग हों जो पेशे की दृष्टि से सक्षम हों और उनमें जल्दी से और प्रभावी निर्णय लेने के कौशल के साथ–साथ नेतृत्व के गुण विद्यमान हो। को टीम, टीम के आय सदस्यों को प्रेरणा दें और

उन्हें अपने कर्तव्य निभाने में उनकी सहायता करें। यह आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य की संभावनाओं की पहचान करें और संगठन के लाभ के लिए उनकी संभावनाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

- विस्तृत चरणबद्ध कार्रवाई योजना

विस्तृत चरणबद्ध यह कार्य सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली और अनुक्रमिक, अनुकारिणी परिणामों के अनुसार दृढ़तापूर्वक किया जाए। उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बीच में हस्तक्षेप के लिए भी गुंजाईश रखनी चाहिए। प्राप्त हुए लक्ष्य का मूल्यांकन या अभी जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है उनका आकलन आंतरिक रूप से करते रहना जरूरी है। यदि लक्ष्य को किसी तरह की विसंगतियॉ आ गई है तो उन्हें दूर करने के तत्काल उपाय किये जाने चाहिए।

- लक्ष्य समूह

इस समूह की पहचान की जाए और सक्षम कार्यकर्ताओं की निगरानी में उन्हें संगठन के कार्यो से जोड़ा जाए।

- अन्य अभिकरणों के साथ नेटवर्क और सहयोग बनाना

16.5.4 परियोजना प्रस्ताव निर्माण :

परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में अत्यधिक समय और ऊर्जा की जरूरत होती है। तथापि, एक अच्छा प्रस्ताव तैयार करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप एक पेशेवर प्रस्ताव लेखक हों। आपके पास एक अच्छा विचार, सृजनात्मक और कौतूहलपूर्ण विषय हो जिसके लिए लोग धन दे सकें : प्रस्ताव लिखने के लिए एक अच्छी पारिभाषित योजना हो और कार्ययोजना एवं बजट तैयार करने के लिए समय और इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। परियोजना प्रस्ताव लिखना आरंभ करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि कुछ तैयारी के लिए उठाए जाने वाले कदम पूरे कर लिए जाएं :

- स्थिति विश्लेषण द्वारा उन मुद्दों समस्याओं या जरूरतों की पहचान कर ली जाए जिन्हें संबोधित किया जाना जरूरी है।
- अपने संगठन के सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार अवसरों और विशिष्ट कार्य क्षेत्रों की पहचान करें।
- स्थिति के वास्तिविक मूल्यांकन के लिए किन–किन माध्यमों/स्त्रोतों का प्रयोग किया जाएगा इनका निर्धारण करें (जैसे सामूहिक बैठकें, विचार विमर्श, सर्वेक्षण, द्वितीयक आंकड़े शोध पत्र, रिकार्ड आदि)।
- विद्यमान समस्याओं और प्रभावित व्यक्तियों के बारे में और प्रभावित क्षेत्रों के बारे में सूचना के साक्ष्य एकत्र करने की कोशिश करें (जैसे मुद्दे के स्थानीय/राष्ट्रीय संदर्भ), उसके तुलनात्मक महत्व और उसके संबंध में लोगों के विचार को ज्ञात करें, उसके परिणामों, प्रवृतियों (बढ़ने/घटने) के बारे में, मौजूद प्रयासों की पर्याप्तता (मौजूदा कार्यक्रमों की उपयोगिता एवं खामियाँ/पहले किए गए प्रयासों की अच्छाइयों और त्रुटियों) और पहले किए गए प्रयासों, यदि कोई हों, से प्राप्त सीखों के बारे में सूचना एकत्र करें, वे संसाधन/सेवाएं आदि जो क्षेत्र में पहले से उपलब्ध हैं उनके बारे में भी सूचना एकत्र करें।
- समस्याओं की प्राथमिकताएं नियम करें और जिन समस्याओं के बारे में कार्य किया जा सकता है उनकी पहचान करें एवं जिन विशिष्ट क्षेत्रों में आप काम करना चाहेंगे उनकी पहचान करें तथा इन तथ्यों की पहचान अपने सिद्धांतों अपनी दृष्टि एवं मिशन या मूल्यों के आधार पर करें।
- समस्याओं के समाधान के लिए आप किन–किन दृष्टिकोणों को अपनाएंगे इसका निर्धारण करें जैसे उपचारात्मक दृष्टिकोण (आमतौर पर तात्कालिक समाधान और अल्पकालिक प्रकृति के समाधान) अथवा विकासात्मक दृष्टिकोण (इससे समस्या के स्थायी समाधान में मदद मिलती है और इसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है)।
- अगला कदम निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रस्ताव का प्रारूप लिखना होता है।

निधि प्रदान करने वाले अभिकरण की पहचान करें और उनके किस विशिष्ट दिशा–निर्देश/समय सीमा की जानकारी प्राप्त करें अन्यथा प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करते समय निम्नलिखित सामान्य दिशा–निर्देश को ध्यान में रखा जाए :

16.5.5 परियोजना प्रस्ताव तैयार करना : सामान्य दिशा–निर्देश

भाग –।

अपने संगठन का संक्षिप्त परिचय लिखें (विधिक स्थिति, उद्देश्य, पूर्व अनुभव, महत्वपूर्ण कार्यकलाप, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, महत्वपूर्ण निधि–स्त्रोत, प्राप्त की गई कर राहत, एफ.सी.आर.ए. प्रमाण पत्र आदि)।

भाग– ।। (प्रस्ताविक परियोजना)

- प्रस्तावना (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, साहित्य–समीक्षा, पायलट परियोजना/अध्ययन यदि कोई हो, का संक्षिप्त परिचय)।
- समस्या का विवरण/परियोजना की जरूरत (स्थिति को विश्लेषण करने से प्राप्त जानकारी के अनुसार परियोजना की जरूरत निर्धारित करने वाले कारक)।
- परियोजना को पारिभाषित करें (कार्य का नाम लिखें)–
- परियोजना का नामआकर्षक/सारगर्भितः स्वतः निरूपित जिसमें प्रस्तावित कार्य, व्यक्तियों/लक्ष्यों और स्थानों का उल्लेख हों।
- संगठन की संरचना और क्षमताओं की दृष्टि से उसकी व्यावहारिकता (परियोजना का संचालन कर पाने के लिए उसकी क्षमताएं एवं सीमाएं)।
- परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट, विशिष्ट, परिमेय, प्राप्य, परिणोन्मुखी/वास्तविक, समयबद्ध और स्त्री–पुरूष (जहाँ लागू हो)की दृष्टि से तुलनात्मक हो। एक आदर्श उद्देश्य वह है जिसमें यह स्पष्ट कहा जाए कि क्या प्राप्त किया जाना है, कितना प्राप्त किया जाना है और कब प्राप्त किया जाना है।
- सामर्थ्य और नवाचार (बच्चों के अधिकार से जुड़े मुद्दों अथवा स्त्री–पुरूष मानकों में आए बदलाव से जुड़े मुद्दों आदि के संबंध में परियोजना की कोई विशिष्ट रणनीति)।
- स्थान और समय–ढाँचा।

- लाभग्राही/लक्ष्य समूह (कौन, कितने)।
- तरीके/रणनीति (जैसे उद्येश्यों को प्रशिक्षण, घर–घर जाकर, संसाधन केन्द्र/अन्य संस्थागत या गैर संस्थागत तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा)।
- सूचना का प्रचार–प्रसार (जैसे, क्या आंकड़ों/परिणामों को लिपिबद्ध/प्रकाशित किया जाएगा)।
- कार्यक्रम कार्यकलाप और संसाधनों की आवश्यकतः प्रस्तावित (उद्देश्यों के) परिणामों मे से प्रत्येक के लिए संभावित समाधानों (कार्यकलापों) की सूची तैयार करें।
- एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंः क्या करना है, कब और किनके द्वारा (जिम्मेदारी) किया जाना है, इसकी प्राथमिकता नियत करें और इस कार्य को कैसे सम्पन्न किया जाएगा (आवश्यक जन शक्ति और सामग्रियाँ)।
- यह आंकलन करें कि किस कार्यकलाप में कितना समय लगेगा
- प्रत्येक कार्य के आंरभ और अंत की योजना निर्धारित करें
- यह निर्णय करें कि किन–किन कार्यों को एक साथ किया जाएगा और किन–किन कार्यो को आनुक्रमिक आधार पर (इसका प्रभाव परियोजना के पूरे कार्यकाल पर पड़ेगा)।
- दृश्य प्रदर्शन के लिए कार्यक्रमों का एक चार्ट भी तैयार करें।
- परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लागत योजना/अनुमानित वित्तीय (बजटीय) संसाधनों (अर्थात् बजट अनुमान) की रूपरेखा तैयार करें। बजट प्रस्तावित कार्यकलाप की विभिन्न अवस्थाओं के लिए नकदी खर्च का निर्धारण है या परियोजना प्रस्ताव के हिस्से के रूप में परियोजना कर लागत अनुमान है। इसके अंतर्गत शुरू से अंत तक प्रत्येक मद पर होने वाले खर्च की लागत का विभाजित अनुमान शामिल किया जाना चाहिए। यदि परियोजना प्रस्ताव में समुचित ढंग से अनुसूची एवं (जन और सामग्री के) संसाधनों का उचित निर्धारण हो साथ ही आने वाली लागत को ठीक ढंग से निरूपित किया गया हो तो वित्त–पोषण अभिकरण द्वारा उसके निरस्त किए जाने की संभावना कम होती है। परियोजना बजट में निम्नलिखित शीर्ष रखे जा सकते हैंः

  – कार्य लागत

– प्रबोधन लागत

– परामर्श की लागत स्त्रोत

– व्यक्तियों आदि के देय राशि

– अधोसरंचना लागत

– स्टाफ के वेतन की लागत

–मूल्यांकन लागत वित्तीय लेखा–परीक्षा की लागत।

- अन्य अभिकरणों और कार्यक्रमों के साथ समन्वयन समुदाय और लाभग्राही भागीदारी की सीमा आदि।
- परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण और प्रबोधन हेतु तंत्र/एम और ई प्लान

  यह निर्धारित करें कि परियोजना की प्रगति का निर्धारण करने के लिए किन–किन विशिष्ट बातों की मानीटरिंग की जाएगी एवं किन–किन संकेतकों का प्रयोग किया जाएगा।

  यह उल्लेख करें कि मानीटरिंग करने और सूचना उपलब्ध कराने के लिए कौन जिम्मेदार होगा।
- परियोजना को आगे जारी रखने/समाप्त करने की योजनाः

  प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कार्य (जिम्मेदारियां) करेगा, संसाधनों को कहाँ से प्राप्त किया जाएगा और कार्य संचालन की निगरानी कौन करेगा, परियोजना पूर्ण होने के बाद उसके रख–रखाव एवं वित्तीय परियोजना को कब समाप्त करना चाहेगा (परियोजना को आगे जारी रखने/समाप्त करने की योजना लाभग्राहियों/समुदाय/पणधारियों की आम राय से तैयार की जानी चाहिए)।
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

भाग–III

आवरण पत्र के साथ सार टिप्पणी/परियोजना सार (जिसे प्रस्ताव के शीर्षक के साथ रखा जाए)।

भाग–IV

- संलग्नक/अनुबंध (सूची) परिशिष्ट ऊपर उल्लेख किए गए सभी भागों को प्रत्येक प्रस्ताव में शामिल किया जाना जरूरी नहीं है। किन्तु इनमें से अधिकांश मदें बहुत उपयोगी हैं। अभिकरण अपने अलग–अलग प्रपत्र या अपेक्षाएं या रख सकते हैं।

16.5.5.1 प्रस्ताव तैयार करने के लिए अन्य दिशा–निर्देश और अति महत्वपूर्ण बातें :

- अभिकरण की पहचान करें और उनके दिशा–निर्देश एवं समय–सीमा (यदि है) प्राप्त करें।
- यह नियत करें कि क्या आपका संगठन सहायता प्राप्त करने का पात्र है।
- यह नियत करें कि क्या आपकी परियोजना पात्र है और संगठन के प्रयोजनों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रयोजन और लक्ष्यों के क्षेत्र के दायरे में शामिल हैं।
- आवेदन प्रस्तुत करने की मूल अपेक्षाएं नियत करें।
- आवेदन तैयार करने में समुचित समय लगाएं। पृष्ठभूमि शोध, भागीदारों को तैयार करने वित्तीय आवश्यकता, यदि जरूरी है, पूरी करने, वास्तविक लेखन समय, अपने प्रस्ताव की अपने साथियों से समीक्षा कराने और अंतिम प्रारूप तैयार करने में उचित समय लगाएं। परियोजना प्रस्ताव और बजट बनाने के लिए आप कुछ लोगों की टीम सहायता भी ले सकते हैं।
- पूरी परियोजना के ढाँचे को यदि संभव हो तो आउट लाइन/फारमेट और सूची का प्रयोग करें।
- सार अवधारणाओं और उनके संबंधों की व्याख्या के लिए संकेतकों का प्रयोग करें। (अधिक संख्या में संकेतकों का प्रयोग न करें)।
- किसी बिन्दु को पूरी तरह समाप्त न करें। उसका उल्लेख करें, समर्थन करें और फिर अगले बिन्दु पर चर्चा करें।
- बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग न करें (जैसे ''करना चाहिए, सके, होगा, आशा है, विचार करेंगे, यह प्रतीत होता है आदि)।

- परियोजना से जुड़े या परियोजना के संदर्भ में उत्पन्न हो सकने वाली समस्याओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज न करें। यह बेहतर होगा कि एक दृष्टिकोण अपनाएं और प्रत्याशित समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा करें न कि ऐसे प्रश्नों से बचें।
- कोई काल्पनिक या अंसभव आश्वासन न करें।
- अपनी ओर से कोई ऐसा तर्क न रखे जिसके लिए दूसरों का समर्थन न मिल सके।
- प्रस्ताव के घटकों को तार्किक ढंग से रखें।
- ध्यानपूर्वक समीक्षा करें और बार–बार गलतियाँ, यदि हों, तो उन्हें देखें/ठीक करें। यदि जरूरी है तो दूसरे लोगों की राय लें। व्याकरण, शब्दों अंको आदि की त्रुटियाँ न रहने दें और देखने में प्रस्ताव का स्वरूप अच्छा रखें।
- मुख्य क्रियावाचक शब्दों का प्रयोग करें एवं सरल भाषा का प्रयोग करें। मुख्य क्रियावाचक शब्दो से वाक्य सरल होते हैं। जटिल, कर्मवाचक वाक्यों से आपकी बात की गहराई समाप्त होती है और व्याकरणिक कठिनाईयाँ आने लगती है।
- प्रस्ताव सुपाठय हो, पेज गायब न हों, उत्कृष्ट ढंग से तारतम्य रखते हुए लिखा गया हो।
- निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें नियत तारीख, आप अधिकतम कितनी धनराशि के लिए अनुरोध कर सकते हैं, अधिकतम कितने पृष्ठों का प्रस्ताव होगा, पृष्ठ का आकार कितना होगा और हाशिए की दूरी कितनी होगी, बजट फारमेट, आवेदन कहाँ और किसे भेजा जाएगा, अनिवार्य संलग्नक और आवेदन कितनी प्रतियों में किया जाएगा।
- पूरे आवेदन के सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या लिखें। यदि आपके प्रस्ताव का कुछ हिस्सा अलग हो जाता है तो इससे आपको मदद मिल सकेगी।
- छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करें, ताकि वे पढ़ने वाले के लिए आसान दिखाई दे।
- अनावश्यक शब्दों और व्यक्तियों को निकाल दें। पूरे प्रस्ताव को पढ़े और त्रुटियाँ, यदि हैं तो, ठीक कर दें यदि प्रस्ताव ठीक ढंग से नहीं लिख गया होगा तो उसकी पुनरीक्षा हो सकने की गुंजाईश बनी रहेगी।

पुनरीक्षणकर्ता यह महसूस करते हैं कि यदि प्रस्ताव ही उचित नहीं होगा तो आवेदक के कार्य भी उचित नहीं होंगे।

- प्रस्ताव का ढाँचा स्पष्ट रखें, आवश्यकतानुसार अनुलग्नक और परिशिष्ट संलग्न करें।
- प्रस्ताव पढ़ने और समझ पाने की दृष्टि से आसान हो।
- उत्साह और सजीवता प्रदर्शित करें। इससे प्रस्ताव करने वाले की परियोजना के प्रति वचनबद्धता प्रदर्शित होती है।
- आवेदन के साथ आवरण पत्र लगाएं। आवरण पत्र में प्रस्ताव का नाम लिखें और प्रस्तावित परियोजना का बहुत संक्षिप्त उल्लेख करें
- पूर्ण आवेदन पैकेज मेल करें। अनुदान कार्यक्रमों के लिए दावेदारों की बड़ी संख्या और परस्पर प्रतिस्पर्था को ध्यान में रखते हुए अनुदान समन्वयक प्रायः गायब या अपूर्ण सूचना के बारे में आवेदकों को सूचित नहीं कर पाते। यह सदैव सुनिश्चित करें कि अपना आवेदन हर तरह से पूर्ण हो। यदि आप आवश्यक संलग्नकों को लगाना भूल जाएंगे तो आपका आवेदन ही निरस्त हो जाएगा।
- अपना आवेदन उचित व्यक्ति को ही भेजें और समय पर भेजें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा।
- सदैव प्रायोजक/निधिपोषण अभिकरणों के दिशा–निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सुनिश्चित करें कि आप प्रायोजक/निधि पोषण अभिकरण द्वारा निर्धारण समय–सीमा, यदि है, के भीतर आवेदन कर रहे हैं।

याद रखें जो कुछ भी लिखा गया है या कहा गया है वह समझे जाने योग्य, आकर्षक और संतुष्ट करने योग्य होना चाहिए।

5.6 अनुश्रवण (मानीटरिंग)

अनुश्रवण का आशय एक नियत अंतराल में स्वैच्छिक संगठन की प्रगति के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से और लगातार सूचना प्राप्त कर उसका विश्लेषण करते रहना है। यह इसलिए उपयोगी है क्योंकि :–

- इससे संगठन की सुदृढ़ता को पहचानने में मदद मिलती है जिन्हें पक्का किया जा सकता है और कमियों को भी पहचाना जा सकता है जिन्हें संगठन के कामकाज में रूकावट उत्पन्न करने से पहले दूर किया जा सकता है।
- अनुश्रवण से पर्याप्त सूचना मिलती है जिसके आधार पर सही समय पर सही निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे निर्णय द्वारा ही कार्य या परिणाम की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलती है।
- किए गए कार्य के विश्लेषण के परिलाभों को आधार बनाकर योजना प्रक्रिया में अनावश्यक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इससे संगठन से संबंधित मुद्दों में हुई कई प्रगति को स्थान देने में मद्द मिलती है।
- अनुश्रवण यह सुनिश्चित करती है कि कार्यकलापों का कार्यान्वयन होने के साथ–साथ उन पर निगरानी भी रखी जाए।
- अनुश्रवण निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है :

  – उपयोगिता– क्या योजना संगठन की जरूरतों पर आवाश्यक कार्यवाही करती है?

  – कार्यदक्षता – क्या संसाधनों का बुद्धिमानी पूर्वक पर उपयोग हो रहा है?

  – प्रभाव – स्वैच्छिक संगठन किस सीमा तक व्यक्तियों/समुदाय को बेहतर बना सका?

  – प्रभावशीलता– क्या वांछित परिणाम प्राप्त किए गये है?

अनुश्रवण स्वैच्छिक संगठन के आंतरिक कार्यकलाप का अंग है और इसकी जरूरत हर स्तर पर होती है। यह निश्चय ही फीडबैक प्राप्त करने का प्रबंधन का हथियार है। अनुश्रवण कार्य उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी हो जो परियोजना के कार्यान्वयन में संलग्न हैं। अनुश्रवण की मदें इस प्रकार हैं :–

- निविष्टियाँ :

  अर्थात् योजना में जिन कार्यकलापों के बारे में विनिर्देश है उन्हें कार्यान्वित करने के संसाधन जैसी श्रमबल, धन, अवसंरचना, वाहन, सामग्रियाँ और वांछित समय

- कार्यकलाप :

  इन्हें कार्यान्वयन में लगे व्यक्तियों द्वारा वांछित परिणामों को ध्यान में रखते हुए निष्पादित किया जाता हैं, जैसे– प्रशिक्षण भवन निर्माण, वांछित सामग्रियों की खरीद आदि

- प्रक्रिया :

  इसका आशय कार्य करने का तरीका है जैसे अभियान शुरू करना, कार्यशाला आयोजित करना आदि।

- परिणाम :

  यह कार्य का परिणाम है।

16.5.6.1 अनुश्रवण के चरण

चरण – 1 : मानीटरिंग प्रणाली के लक्ष्यों को परिभाषित करें।

संगठन के उद्देश्यों और किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर मॉनीटरिंग प्रणाली को कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है जिसकी मानीटरिंग जरूरी है। मानीटरिंग से प्रबंधकों, स्टॉफ को दिन–प्रतिदिन की प्रगति, निर्णय–निर्माण और संगठन के कार्य की गुणवत्ता के बारे वांछित सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संगठन में लगे सभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जवाबदेह महसूस करें। इससे सामूहिक जवाबदारी की भावना पनपेगी और कार्य में दक्षता बढ़ेगी। जिन लाभग्राहियों/समुदाय को लक्ष्य बनाया जा रहा है वे स्वैच्छिक संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं ताकि वे अमुक कार्यो के लिए जवाबदेह संबंधित अधिकारियों से यह चर्चा कर सकें कि उनकी संगठन के कार्यकलापों के बारे में क्या विचार हैं। क्या संगठन अपने कार्यो से उनके जीवन पर कोई प्रभाव डालेगा/डाल रहा है अथवा अमुक कार्यकलाप की योजना अलग तरीके से बनाई जानी चाहिए थी, उनकी समस्याओं को कैसे लिया जा रहा है, आदि, आदि।

चरण–2 : सूचना संबंधी जरूरतों का निर्धारण और संकेतकों का चयन

सूचना संबंधी जरूरतें अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। जरूरत से अधिक जानकारी से अनावश्यक श्रम और समय का अपव्यय हो सकता है। कार्यक्रम प्रबंधन के सभी स्तरों की सूचना संबंधी जरूरतों को पूरी तरह समझ लेना संकेतकों के चयन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संकेतक वे आधार होते हैं जो किसी स्थिति के परिवर्तनों का अनुमान लगाने में सहायक होते हैं। ऐसे संकेतकों को प्रारूपित/विकसित करना जो वास्तव में किसी प्रक्रिया के मानदण्ड के रूप में प्रयुक्त हो सकें और उन्हें कार्यक्रमों उद्देश्यों (प्रभाव असर) के इनपुटों/आउटपुटों और उपलब्धियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का मूल्यांकन अथवा उन्हें प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जा सके एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। संकेतकों के चयन में प्रायः लचीलापन रखा जाता है ताकि भविष्य में अधिक संसाधित आंकड़े और अनुभव प्राप्त होने पर (यदि जरूरी हो तो) उनमें परिवर्तन किया जा सके। संकेतक मात्रात्मक (योग्य मूल्यों से संबंधित हो और जिनका सरलता से आकलन किया जा सके) अथवा गुणात्मक (ज्ञान, रूझान, व्यवहार, व्यष्टिगत, परिवार अथवा समुदाय के स्तर पर व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकें) हो सकते हैं। संकेतकों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं :–

- दस्त, कालाज्वर आदि से ग्रस्त हुए (0–6 वर्ष के) बच्चों का प्रतिशत
- आपूर्त की गई प्रसव किटों (इनपुट) की संख्या
- सुरक्षित प्रसव कराने में प्रशिक्षित की गई दाईयों की संख्या (प्रभाव/परिणाम)
- काल ग्रस्त हुए नवजात शिशुओं की संख्या (असर)
- वैध हों– वास्तव में उस बात का आकलन कर सकें जिसके लिए उन्हें स्थापित किया गया है।
- भरोसेमन्द हों– सत्यापन योग्य हों
- उपयोगी हों – कार्यक्रम उद्येश्यों के प्रति
- संवेदी हों – संबंधित स्थिति में परिवर्तन के साथ
- विशिष्ट हों– उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हों

- लागत के अनुरूप फलदायी हों– समय और धन के खर्च के अनुसार ही परिणम प्राप्त हों
- समय से हों – शीध्र/विशिष्ट समय सीमा के भीतर आकड़े एकत्र कर सकें।

अतएव, उचित संकेतकों का चयन एक कला है अनुभव, कौशल और विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन की सूचना संबंधी जरूरतों की समझा रखने के बाद ही विकसित किया जा सकता है। मानीटरिंग स्टॉफ द्वारा उत्तर दिए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं – सूचना की किसे आवश्यकता है, किस प्रयोजन के लिए, किस तरह की (अथवा उसके ब्योरे क्या होंगे) और कितने समय के अंतराल में यह जरूरत पड़ती रहेगी। केवल शैक्षिक रूचि के लिए सूचना एकत्र करने की लालसा नहीं रखनी चाहिए।

मानीटरिंग स्टॉफ द्वारा उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर सभी स्तरों के अन्य स्टॉफ से परामर्श करके ढूंढे जा सकते हैं। भावी प्रयोगकर्ता को शामिल किया जाना वांछित होगा क्योंकि वे केवल आपकी सूचना संबंधी जरूरतों को ही स्पष्ट नहीं करेंगे बल्कि वे मानीटरिंग प्रणाली को सहयोग और उसकी उपलब्धियों के उपयोग को भी सुनिश्चित करेंगे।

चरण–3 : मौजूदा सूचना की समीक्षा करना

स्वैच्छिक संगठन अपने पास पहले से मौजूद और बाहरी स्त्रोतों से मिलने वाली सूचनाओं की समीक्षा करें ताकि उनका सर्वाधिक उपयोग हो सकें। ऐसा करने से प्राइमरी स्त्रोतों से बार–बार आंकड़े एकत्र करने में लगने वाले समय, ऊर्जा और संसाधनों का अनावश्यक दुरूपयोग नहीं हो सकेगा।

चरण–4 : सूचना के गौण स्त्रोतों का पता लगाना ।

यह महत्वपूर्ण है कि स्वैच्छिक संगठन के मॉनीटरिंग स्टॉफ निम्नलिखित मानकों के आधार पर गौण स्त्रोतों की उपयोगिता एवं विश्वसनीयता की जाँच करें :–

- आंकड़े कितने नवीन हैं?
- क्या उपलब्ध आंकड़ों को स्वैच्छिक संगठन की विशिष्ट जरूरतों को पर्याप्त विशुद्धता से पूरा करने के लिए विभाजित किया जा सकता है?
- क्या ऐसे आंकड़ों की परिभाषाएँ एवं श्रेणियॉ स्वैच्छिक संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप है?

चरण–5 : प्राइमरी आंकड़े एकत्र करना।

प्राइमरी आंकड़े एकत्र करने का तरीका वांछित सूचना, उसे एकत्र करने वाले और उसे सूचना के उपयोग के तरीके पर निर्भर होता है। तरह–तरह के तरीकों से आंकड़ों की जॉच–परख की जा सकती है। आंकड़ों का संग्रह दोनों में या तो मात्रात्मक अथवा गुणात्मक तकनीकों द्वारा किया जा सकता है।

मात्रात्मक तरीका

इस तरीके के अनुसार आंकड़ों का विश्लेषण मात्रात्मक रूप मे किया जाता है। मात्रा से जुड़े प्रायः इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं– कौन, क्या, कब, कहाँ, कितना, कितनी संख्या में और कितनी बार? सांख्यिकीय अर्थ में परियोजना परिणामों के परिशुद्ध विवरण को देने के लिए किया जाता है।

मात्रात्मक आंकड़ों के निम्नलिखित उपयोग हैः

- परिशुद्ध, सटीक आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकते हैं
- आबादी की विशिष्टताओं के प्रमुख अंतर को पहचानने और यह जानने कि उनमें से किन–किन समूहों के लोग सर्वाधिक कुप्रभावित हुए हैं में मदद मिलती है।
- इस बात की परख की जा सकती है कि क्या समस्या और उसके कारणों के बीच कोई सांख्यिकीय संबंध है?

- इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि क्या कतिपय समस्याएं विद्यमान हैं, अथवा सरकार प्रायोजकों और अन्य नीति निर्माता अभिकरणों को खास रणनीति को युक्तिसंगत ठहराने में मदद मिलती है।

मात्रात्मक अनुसंधान का सर्वाधिक आम उपाय सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण के नमूनों का उपयोग स्वैच्छिक संगठनों के कार्य से प्रभावित हुए लोगों की तुलना उन लोगों से करने में किया जा सकता है जो उसके कार्य से प्रभावित नहीं हुए रहते या मौजूदा आकड़ों की तुलना स्वैच्छिक संगठन के काम की शुरूआत के समय किए गए अनुमानों से करने में किया जा सकता है।

गुणात्मक तरीका

इससे एक छोटे नमूने का उपयोग करके इस बात का चित्रण करने में मदद मिलती है कि कैसे आबादी या लक्ष्य समूह कार्य करता है, महत्वपूर्ण संबंध क्या है और लोग अपनी स्थिति, समस्याओं एवं प्राथमिकताओं को किस रूप में देखते हैं।

अनुसंधान का गुणात्मक तरीका लचीला होता है। खुले प्रश्न पूछे जाते हैं और आंकड़े संग्रह करने के साथ–साथ ही निष्कर्ष का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार अध्ययन के प्रारूप को महत्वपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होने पर उनके अनुसार लगातार संशोधित किया जा सकता है। अनुसंधान के लिए प्रश्न उठाता है – कैसे और क्यों? मात्रात्मक अनुसंधान के उपयोग निम्नलिखित हैं :

- यह सामाजिक परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में योजना बनाने में उपयोगी है
- इससे एक विशिष्ट संदर्भ में किसी विषय की पूरी–पूरी समझ बनाई जा सकती है
- इससे ये जानकारी मिलती है कि लोग अपनी स्थिति, समस्या और प्राथमिकताओं के बारे में कैसे सोचते हैं
- जब समय और धन की कमी हो तो यह आदर्श उपाय होता है।

आंकड़े एकत्र करते समय क्षेत्रीय अन्वेषकों की ओर से पक्षपात भी किए जा सकता है। तथापि, सावधानी पूर्वक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और सूचना की जाँच से इस तरह के पक्षपात को न्यनूतम किया जा सकता है। इस संबंध मे ंआकड़ों का संग्रह करने से पहले और उसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखा जाए जो निम्नलिखित हैं:

- सूचना को संग्रह करने के लिए उचित और प्रभावी उपायों का प्रयोग किया जाए।
- प्रश्नावली का प्रयोग करते समय यह गौर किया जाए कि प्रश्नों के लिए प्रयुक्त किए गए शब्दों और उन्हें पूछने के तरीकों (बोलने की शैली, हाव–भाव आदि) का उनके उत्तर पर असर न पड़े।
- जिनका साक्षात्कार किया जाएं उन्हें प्रशिक्षित करने के साथ–साथ स्पष्ट दिशा–निर्देश भी दिए जाएं।
- अनुसंधानकर्ता किसी समूह के साथ भेदभाव न करें।
- सभी आंकड़े नियमित रूप से वर्गीकृत किये जाएं जाते रहें ताकि संगत सूचना उपलब्ध कराई जा सके, उदाहरण के तौर पर–आंकड़ों को लिंग, आयु वर्ग, जाति आदि के आधार पर विभाजित और वर्गीकृत किया जाना।
- प्रश्नों और उत्तरों के अनुवाद ध्यानपूर्वक किए जाएं ताकि सूचना या प्राप्त उत्तर से विकृतियों न आने पाएं।

चरण– 6: : आंकड़ों का विश्लेषण

विश्लेषण वह तरीका है जिसके द्वारा सूचना की व्याख्या की जाती है और उसके परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। स्वैच्छिक संगठन के पास आधारिक और परिणामी आंकड़ों का विश्लेषण उसके कार्य की प्रगति की मॉनीटरिंग करने, सीमाओं, कामियों अथवा अप्रत्याशित समस्याओं को पहचानने जिनके लिए संगठन के प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई वांछित है के लिए किया जाता है। जिन कमियों का पता लग जाता है उन्हें समय से रिपोर्ट किया जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले कि वे संगठन को कोई ऐसी क्षति पहुंचा दे जिससे उबरा न जा सके, उनके संबंध मे निवारक उपाय कर दिये जाएं।

चरण– 7 : परिणामों को प्रस्तुत करना और उनका उपयोग करना

यह महत्वपूर्ण है कि सभी हितबद्ध लोगों जिनमें वे लोग भी शामिल है जो संगठन के कार्यकलापों से लाभान्वित हुए है को परिणामों पर चर्चा के अवसर प्रदान किए जाएं। परिणामों की सूचना स्वैच्छिक संगठन के उच्चतर प्राधिकारियों को मौखिक या लिखित रूप में सूचित की जाएं। रिपोर्ट सरल और समझ में आने योग्य ढंग से लिखी जाएं। रिपोर्ट का मुख्य ध्यय महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें होना चाहिए न कि अनुसंधान का तरीका और आंकड़ों का स्त्रोत।

स्टॉफ के साथ नियमित बैठकों से मानीटरिंग संबंधी निष्कर्षों की जानकारी मिलती रहती है ''संवेदनशील मुद्दों'' के बारे में संबंधित व्यक्तियों के साथ निजी बैठकें करके उन्हें सूचित किया जाए न कि इनकी चर्चा आम बैठकों या विस्तृत रिपोर्टों में की जाए।

5.7 मूल्यांकन

संगठन के कार्यकलापों के परिणाम उनके अवसर और उसमें लगी लागत का बीच–बीच में मूल्यांकन करके ये समझने की कोशिश की जाती है कि वांछित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा चुका है अथवा प्राप्त नहीं किया जा सका है इस तरह के मूल्यांकन का उद्देश्य भविष्य में किए जाने वाले कार्यो में सुधार किस प्रकार लाया जा सकता है ऐसे उपायों को समझाना है।

वास्तव में मूल्याकंन सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह सीखते हैं कि किसी कार्यकलाप को भविष्य के लिए किस प्रकार अधिक प्रभावकारी तथा सुसंगत बना सकते है। मूल्यांकन करते समय/मूल्यांकन योजना विकसित करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना वांछित होता है :–

- इसकी जरूरत क्यों है?
- इसकी जरूरत किसे है?

- इसके कब किया जाना चाहिए?
- इसके परिणाम कैसे उपयोग किए जांएगे?
- किन–किन बातों का मूल्यांकन किया जाएगा (कार्यक्रम प्रमाणिकता, कार्यक्षमता, उपयोगिता, असर, उत्तजीविता, और/अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति प्रगति)
- सूचना कौन उपलब्ध कराएगा?
- असर और प्रगति के आकलन के लिए किन–किन संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है?
- मूल्यांकन कार्य कौन करेगा? (मूल्यांकन बाहय/आंतरिक/स्वतः/संयुक्त होगा?)
- निष्कर्षो को कैसे लिपिबद्ध और प्रस्तुत किया जाएगा? (साधन)
- परिणामों का उपयोग भविष्य में कैसे किया जाएगा?
- इसकी लागत क्या होगी और किस किस सांधनों की जरूत होगी?

16.5.7.1 मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं?

- भागीदारी स्वः मूल्यांकन – लक्ष्य समूह सहित सभी पक्षकार संगठन के कार्य के असर का आकलन करते हैं
- स्वतंत्र मूल्यांकन– यह कार्य भाड़े पर लिए गए बाहरी अभिकरणों के सहयोग से कराया जाता है।
- मध्यकालिक मूल्यांकन– इन कार्यो की योजना कार्यान्वयन अवस्था में बनाई जाती है। इनका उद्देश्य संगठन के प्रबंधन और प्रभाविकता को बढ़ाना हैं।
- समाप्ति के समय मूल्यांकन – यह मूल्यांकन तब किया जाता है जब संगठन अपने लिए निर्धारित कार्य समाप्त कर लेता है। इसके अंतर्गत कार्य के दौरान प्राप्त अनुबंधों से सीखने में मद्द मिलती है जिसका उपयोग नए कार्यकलापों के लिए भविष्य में भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष यह है कि मूल्यांकन से स्वैच्छिक संगठन के विभिन्न पहलुओं का गहराई से और कई बार दीर्घकालिक विश्लेषण करने में मद्द मिलती है जिसके अन्तर्गत उसके कार्यो की प्रभाविकता, दक्षता, उपयोगिता, उत्तरजीविता और अप्रत्याशित प्रभावों को परखा जाता है।

हमने जाना

स्वैच्छिक संगठन में योजनाओं के निर्माण के लिए विविध चरण होते हैं। जिनमें संगठन के कार्यों को पहचानना, कार्यों का निर्धारण, प्राथमिकताओं का चिन्हांकन, भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण, संसाधनों की पहचान, मॉनीटरिंग इत्यादि चरण प्रमुख हैं।

परियोजना प्रस्ताव निर्माण एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और इसके लिये मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक है। प्रस्ताव तैयार करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त इकाई में दिये गये हैं।

मॉनीटरिंग योजना का महत्त्वपूर्ण पहलू है। इसके जरिये हम पारदर्शिता और समयबद्ध प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं।

कठिन शब्दों के अर्थ

अनुश्रवण : एक नियत अंतराल में सुव्यवस्थित तरीके से सूचना प्राप्त कर उसका विश्लेषण करना।

परियोजना निर्माण : उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाने वाली गतिविधि को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की योजना।

अभ्यास के प्रश्न

1. परियोजना से आप क्या समझते हैं?

2. परियोजना निर्माण में क्या–क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
3. परियोजना निर्माण के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालें।
4. परियोजना प्रस्ताव हेतु आवश्यक कदमों की चर्चा करें।
5. परियोजना प्रस्ताव का एक खाका तैयार करें।
6. अनुश्रवण से आप क्या समझते हैं?
7. अनुश्रवण के कौन–कौन से चरण होते हैं?
8. आँकड़ों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं?
9. मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं?
10. सहभागी मूल्यांकन के लाभ पर अपने विचार व्यक्त करें।

आओ करके देखें

किसी संगठन की किसी परियोजना का निर्माण कर उसका अनुश्रण एवं मूल्यांकन करने का अभ्यास करें।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

1. Iqbal Shah : A practical guide to NGOs and Project Management, Amazon.
2. एन.जी.ओ. हैण्डबुक
3. Pandey, Devendra Prasad : "Development and Management of NGOs, Adhyayan Publishers, New Delhi.

4. Levis David : Non-governmental organisations management and development, Routledge Publishers

5. Michael Edwards : The Earthscan Reader on NGO Management, Earthscan Reader Series.

■■■